सिविल सर्विसेस मासिक

CHAHAL ACADEMY
LEARN TODAY! LEAD TOMORROW!

अप्रेल 2021

सिविल सर्विसेस परीक्षाओं के सभी समाधान एक स्थान पर

दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज
एमटीपी संशोधन विधेयक
एआईएम–प्राईम
ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021
'मधुक्रांति पोर्टल' एवं 'हनी कॉर्नर्स'
सरलता मंगल हेलीकाप्टर
विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021
एससीआरआई (सप्लाय चेन रिसिलिएंट इनिशिएटिव)
महिलाओं के लिए कोई देश नहीं
पुलिस सुधार
बिम्सटेक को खुद को फिर से बनाने की आवश्यकता
दावाग्नि
शुद्ध शून्य एवं जलवायु अन्याय
रोगाणुरोधी प्रतिरोध – मूक खतरा
एक पोस्ट–कोविड वित्तीय ढांचा

विषय–सूची

प्रारंभिक परीक्षा

दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज	1
एमटीपी संशोधन विधेयक	1
पाकिस्तान भारत से प्रमुख आयात की अनुमति दी एवं फिर वापिस ले ली	2
बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में आग	3
दुर्लभ बीमारियों के लिए नीति को लेकर बेचैनी	4
ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021	4
सीवीसी ने दिशानिर्देशों में बदलाव किया	5
मधुक्रांति पोर्टल एवं हनी कॉर्नर	6
सऊदी अरब ने एशिया के लिए तेल शिपिंग लागत बढ़ाई	6
लोक अदालत	7
कॉपीराइट (संशोधन) नियम, 2021	8
टीआरईडीएस (ट्रेड रिसिवेबल्स डिस्काऊटिंग सिस्टम)	9
भारत का तेल आयात	9
शांतिर ओग्रोसेना	9
ई–सांता	10
आहार क्रांति	10
अमेरिकी सेना की अफगानिस्तान से वापसी	10
ईट–स्मार्ट सिटीज एवं ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंज	11
आईएमडी ने सामान्य मानसून की भविष्यवाणी की	11
भारतीय रेलवे ने पोर्ट कनेक्टिविटी को बढ़ाया	12
एफपीआई अंतर्वाह के 50 प्रतिशत से अधिक के लिए तीन देशों का खाता	12
इन्जेन्यूटी मंगल हेलीकाप्टर	13
चीन ने पीपी15 एवं पीपी17ए को खाली करने से मना किया	13
8 चिकित्सा वस्तुओं के लिए नई नियामक व्यवस्था	15
विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021	15
स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट 2020 रिपोर्ट	15
नागरिक सेवा दिवस – 21 अप्रैल	16
विश्व में वैक्सीन असमानता	16
भारत को सीपीसी सूची में होना चाहिए – यूएससीआईआरएफ	17
राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस	17
स्वामित्व योजना के तहत ई–प्रॉपर्टी कार्ड	18
कम सेवा वाले क्षेत्रों तक पहुंचने के लिए एनबीएफसी महत्वपूर्ण	18
2020–सिपरी में भारत तीसरा सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला	19
एससीआरआई (सप्लाय चेन रिसिलिएंस इनिशिएटिव) –	19

भारत के जैविक खाद्य उत्पादों का निर्यात 51% बढ़ा	19
ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर	20
तियान्हे	20
केंद्र ने अगले पांच वर्षों के लिए मुद्रास्फीति लक्ष्य 2–6: पर अपरिवर्तित रखा	21
म्यांमार में सैन्य जंता के खिलाफ भारतीय बयान	21
एमएसएमई के लिए आईबीसी में नया संशोधन	21
आईआरवी 2020	22
एनजीटी ने 8 सदस्य राष्ट्रीय कार्य बल का गठन करने का निर्देश दिया	22
यूरोपीय परिषद ने यूरोपीय संघ की इंडो–पैसिफिक रणनीति को मंजूरी दी	22
जस्टिस एन वी रमना ने सीजेआई के रूप में शपथ ली	23

मुख्य परीक्षा

सामान्य अध्ययन – 1

भारतीय हेरिटेज और संस्कृति, इतिहास और भूगोल विश्व और समाज

संस्थान, जाति एवं विश्वास का महत्वपूर्ण दल	24
वह अंबेडकर, जिन्हें हम नहीं जानते	25
मंदिर राज्य की जागीर नहीं हैं	26
महिलाओं के लिए कोई देश नहीं	28

सामान्य अध्ययन – 2

शासन, संरक्षण, नीति, सामाजिक न्याय, अंतरराष्ट्रीय संबंध

अभी भी तीसरे स्तर की मान्यता नहीं	31
एक कदम जो सहकारी संघवाद को बढ़ाता है	32
पुलिस सुधार	33
वॉक–बैक – एच–1बी वीजा समस्या	34
मुक्त एवं निर्बाध न्याय	35
अनुचित प्रतिबंध – आरटीई की फिर से जांच करें	37
एक अपारदर्शी बंधन – चुनावी बॉन्ड	38
भारत में शरणार्थी समस्या	39
बिम्सटेक को खुद को फिर से तलाशने की जरूरत	41
भारत एवं महान शक्ति त्रिकोण	43
अध्यादेश का रास्ता खराब है, फिर से लागू करना बदतर है	44
एक पूर्णतः गलत शासन	46
एक नया सामाजिक अनुबंध	47
कोविड–19 एवं प्रवासी मजदूर	49

सामान्य अध्ययन – 3

प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव–विविधता, पर्यावरण, सुरक्षा और प्रबंधन प्रबंधन

दावाग्नि – दावाग्नि वसंत ऋतु में क्यों लगती है, एवं इस वर्ष वे इतनी बार क्यों हुई हैं	**51**
ईंधन पर जीएसटी – एक मूल्य बनाम राजस्व ट्रेड–ऑफ	**53**
एलडब्ल्युई एवं आतंकवाद विरोधी रणनीति	**53**
शुद्ध शून्य एवं जलवायु अन्याय	**56**
व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक क्यों मायने रखता है	**57**
आईपीएबी को श्रद्धांजलि	**59**
रोगाणुरोधी प्रतिरोध – मूक खतरा	**61**
एक पोस्ट–कोविड वित्तीय ढांचा	**62**
सेक्टर आधारित परिवर्तन के माध्यम से कम कार्बन वाला भविष्य	**64**

प्रारंभिक परीक्षा

दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज

चिनाब ब्रिज

(a) जम्मू एवं कश्मीर के रियासी जिले में बक्कल से कौरी तक चिनाब नदी के तल से 359 मीटर ऊपर दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल के मेहराब (आर्क) का निर्माण पूरा हो गया। भारतीय रेलवे के उत्तर रेलवे क्षेत्र ने इसे एक बड़ी उपलब्धि बताया है।
(b) 1.3 किलोमीटर लंबे इस पुल का उद्देश्य कश्मीर घाटी से कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना है एवं इसका निर्माण उधमपुर–श्रीनगर–बारामूला रेलवे लिंक (युएसबीआरएल) परियोजना के तहत 1,486 करोड़ रुपये की लागत से किया जा रहा है।
(c) अधिकारियों ने कहा कि पेरिस में एफिल टॉवर से 35 मीटर ऊंचे इस पुल के एक वर्ष के भीतर पूरा होने की उम्मीद है।
(d) चिनाब पुल के मेहराब की मुख्य विशेषताएं –
   i. भारतीय रेलवे कश्मीर घाटी को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने के लिए यूएसबीआरएल परियोजना के एक हिस्से के रूप में चिनाब नदी पर प्रतिष्ठित आर्क ब्रिज का निर्माण कर रहा है।
   ii. यह पुल 1315 मीटर लंबा है।
   iii. यह दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है जो नदी तल से 359 मीटर ऊपर है।
   iv. यह पेरिस (फ्रांस) में प्रतिष्ठित एफिल टॉवर से 35 मीटर ऊंचा होगा।
   v. आर्क में स्टील के बक्से होते हैं। स्थिरता में सुधार के लिए आर्क के बक्सों में कंक्रीट भरा जाएगा।
(e) पुल की अनूठी विशेषताएं –
   i. 266 किमी/घंटा तक की उच्च हवा की गति का सामना करने के लिए डिजाइन किया गया पुल।
   ii. इसे भारत में पहली बार डीआरडीओ के परामर्श से ब्लास्ट लोड के लिए बनाया गया है।
   iii. यह एक पायर/ट्रेस्टल को हटाने के बाद यह 30 किमी/घंटा की प्रतिबंधित गति से चलने के लिए चालू रहेगा।
   iv. पुल को भारत में उच्चतम तीव्रता वाले क्षेत्र–V के भूकंप बलों को सहन करने के लिए बनाया गया है।

एमटीपी संशोधन विधेयक

संदर्भ –

- हाल ही में राज्यसभा ने काफी विरोध के बावजूद मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (एमटीपी) संशोधन विधेयक 2020 पारित किया।

एमटीपी संशोधन विधेयक की विशेषताएं –

- इसने महिलाओं की विशेष श्रेणियों के लिए ऊपरी गर्भावधि सीमा को 20 से बढ़ाकर 24 सप्ताह कर दिया।
- बिल के तहत, गर्भवती महिला के अनुरोध पर गर्भपात की अनुमति नहीं दी जाएगी, लेकिन डॉक्टर की अनुमति पर यह सशर्त दी जा सकती है।
- यह केवल 'असामान्यताओं वाले भ्रुणों' के लिए बिना किसी ऊपरी गर्भधारण सीमा के गर्भपात की अनुमति देता है।
- यह हर राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों में मेडिकल बोर्ड की अनिवार्य स्थापना का भी आह्वान करता है जो गर्भपात के अनुमोदन के लिए असंगत मानदंडों पर निर्भर करते हैं।
- गर्भ गिराने वाली महिलाओं की पहचान का विवरण कानून के अनुसार किसी अधिकृत व्यक्ति को नहीं बताया जाएगा।

एमटीपी विधेयक के मुद्दे –

- हितधारकों के साथ प्रभावी परामर्श का अभाव।
- एमटीपी ढांचे के भीतर ट्रांसजेंडर लोगों को शामिल करने का अभाव।
- बिल प्रजनन स्वायत्तता एवं शारीरिक अखंडता पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायशास्त्र के खिलाफ जाता है।
- मेडिकल बोर्ड का गठन महिलाओं की निजता का उल्लंघन करेगा एवं अत्यधिक देरी का कारण बनेगा।
- विधेयक ने अपने प्रतिगामी एवं अव्यवहारिक प्रावधानों के कारण विकलांग व्यक्तियों एवं ग्रामीण जनता की चिंताओं को नजरअंदाज कर दिया है।
- फिर भी, राज्य महिलाओं के प्रजनन एवं यौन अधिकारों को नियंत्रित करना जारी रखता है।
- महिलाओं के अधिकारों के सह–विकल्प की अनुमति देते हुए यह बिल गर्भपात का अपराधीकरण करता है एवं प्रजनन तथा लैंगिकता के आसपास हानिकारक रूढ़ियों एवं कलंक को कायम रखता है।

निष्कर्ष –

- भारत जैसे सबसे बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्र को महिलाओं की प्रजनन स्वायत्तता में विषम–पितृसत्तात्मक नियामक अभिविन्यास को तोड़ना है। भले ही यह विधेयक सुरक्षित एवं कानूनी गर्भपात की नींव रखता है, लेकिन यह समय की आवश्यकता है कि विधेयक को सभी हितधारकों की चिंताओं के अनुकूल होना चाहिए एवं महिलाओं के मुद्दों की राज्यों की समझ का विस्तार करना चाहिए जो नीति निर्माण को लिंग संवेदनशील बनाने में सहायता करता है।

OUR BRANCHES: New Delhi | Mumbai | Kolkata | Chennai | Ahmedabad | Bengaluru | Bhilai | Bhubaneswar | Chandigarh | Dehradun | Gandhinagar | Guwahati | Hyderabad| Kanpur | Lucknow | Mehsana | Nagaland | Patna | Raipur | Rajkot | Ranchi | Surat | Vadodara |
WhatsApp no: 7284911227 - 7284811227 chahalacademy@gmail.com

पाकिस्तान भारत से प्रमुख आयात की अनुमति दी एवं फिर वापिस ले ली –

संदर्भ –

- पाकिस्तान की आर्थिक समन्वय समिति (ईसीसी) ने निजी क्षेत्र को भारत से पांच लाख टन सफेद चीनी आयात करने की अनुमति दी।
- पाकिस्तान ने भारत से कपास एवं चीनी के आयात पर लगभग दो वर्ष का प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है।

जब दोनो देशो के व्यापार स्थिति सामान्य थी –

- व्यापार प्रतिबंध से पहले यानी अगस्त 2019 से दोनों के बीच कड़वे संबंधों के कारण भारत एवं पाकिस्तान दोनों के बीच व्यापार बहुत अच्छा नहीं रहा है।
- लेकिन भारत ने वर्षों से व्यापार अधिशेष बनाए रखा।
- उरी आतंकी हमले एवं भारत की सर्जिकल स्ट्राइक के बाद, भारत का निर्यात 2.17 बिलियन डॉलर (2015–16) से गिरकर 1.82 बिलियन डॉलर (2016–17) हो गया।
- तनाव के बावजूद, दोनों के बीच व्यापार में मामूली वृद्धि हुई व भारत का निर्यात औसत 6% की दर से बढ़ा।
- पाकिस्तान का निर्यात औसतन 3% बढ़ा।

व्यापार के प्रमुख उत्पाद –

- 2018–19 में, पाकिस्तान के आयात का आधा हिस्सा कपास एवं जैविक रसायनों का है एवं अन्य आयात प्लास्टिक, चर्मशोधन के तत्व एवं औद्योगिक उपकरण हैं।
- व्यापार पर प्रतिबंध लगाने से, फार्मा उत्पादों को छोड़कर, उपरोक्त पाँचों वस्तुओं के आयातों में भारी गिरावट आई है जबकि कपास का आयात पूरी तरह से बंद हो गया।
- पाकिस्तान से भारत का प्रमुख आयात खनिज ईंधन एवं तेल, खाद्य फल एवं अन्य मेवा रहा हैं। हालाँकि, भारत ने पश्चिम एशिया से लेकर दक्षिण अमेरिकी देशों तक के अन्य देशों से काफी अधिक आयात किया।

व्यापार प्रतिबंध क्यों लागु हुआ?

- अगस्त 2019 में, जम्मू एवं कश्मीर में संवैधानिक परिवर्तनों की पृष्ठभूमि में पाकिस्तान ने भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार संबंधों को स्थगित करने की घोषणा की।
- लेकिन अंतर्निहित कारण भारत द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ 200% ट्रेफिक थोपना एवं मोस्ट फेवर्ड नेशन (एमएफएन) का दर्जा वापस लेना था।
- लेकिन व्यापार प्रतिबंध ने पाकिस्तान को अधिक प्रभावित किया क्योंकि वह फार्मा एवं वस्त्रों के लिए कच्चे माल के लिए भारत पर बहुत अधिक निर्भर था।
- व्यापार प्रतिबंध के परिणामस्वरूप भारत के निर्यात एवं आयात में क्रमशः 60% एवं 97% की गिरावट आई।

INDIA'S TRADE WITH PAKISTAN (IN $)

Year	Exports	Imports	Trade Balance
2018-19	2.07 billion	494.87 million	1.57 billion
2019-20	816.62 million	13.97 million	802.65 million
2020-21*	240.99 million	2.15 million	238.84 million

*April to January, Source: Ministry of Commerce and Industry

MAJOR PRODUCTS TRADED BETWEEN INDIA AND PAKISTAN (IN $)

India's Top Exports to Pakistan	2018-19	2019-20	2020-21*
Cotton	550.33 mn	64.25 mn	0
Organic chemicals	457.75 mn	273.97 mn	115.92 mn
Plastic and articles thereof	131.19 mn	42.62 mn	1.43 mn
Tanning or dyeing extracts, etc.	114.48 mn	39.47 mn	0.92 mn
Nuclear reactors, boilers, machinery, etc	94.88 mn	42.42 mn	1.28 mn
India's Top Imports from Pakistan	**2018-19**	**2019-20**	**2020-21***
Mineral fuels and oils and products of their distillation, etc	131.29 mn	0.01 mn	N/A
Edible fruit and nuts, peel or citrus fruit or melons	103.27 mn	0.92 mn	0.85 mn
Salt, sulphur, earths and stone, plastering materials, lime and cement	92.84 mn	1.31 mn	0.20 mn
Ores, slag and ash	17.18 mn	0.03 mn	N/A
Raw hides and skin (other than fur skins) and leather	16.27 mn	N/A	N/A

*April to January, Source: Ministry of Commerce and Industry

OUR BRANCHES: New Delhi | Mumbai | Kolkata | Chennai | Ahmedabad | Bengaluru | Bhilai | Bhubaneswar | Chandigarh | Dehradun | Gandhinagar | Guwahati | Hyderabad| Kanpur | Lucknow | Mehsana | Nagaland | Patna | Raipur | Rajkot | Ranchi | Surat | Vadodara |

WhatsApp no: 7284911227 - 7284811227 chahalacademy@gmail.com

व्यापार प्रतिबंध हटाने के पीछे तक –

- कपास के आयात पर व्यापार प्रतिबंध हटाने का प्रमुख कारण कच्चे कपास की कमी है जिसके परिणामस्वरूप पाकिस्तान के कपड़ा क्षेत्र को भारी नुकसान हुआ है।
- चूंकि पाकिस्तान में कपास की पैदावार बहुत कम है एवं पश्चिम से आयात महंगा एवं समय लेने वाला है।
- चीनी की उच्च घरेलू कीमतों एवं भारत में कम कीमत स्तर के कारण भारत से इसके आयात की अनुमति है।

हालांकि, बाद में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पाकिस्तान की कैबिनेट ने इस फैसले को खारिज कर दिया एवं भारत के साथ व्यापार फिर से शुरू करने पर डबल यू–टर्न लिया, मंत्रालयों के भीतर व्यापार एवं राजनीतिक समुदायों के बीच आंतरिक मतभेदों एवं अर्थव्यवस्था एवं व्यापार पर राजनीति पर जोर दिया। यह पाकिस्तान कैबिनेट के घमंड को भी दर्शाता है, जो जम्मू एवं कश्मीर पर भारत के साथ संबंधों के सामान्य होने का बस दम भरता है।

बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में आग

(a) बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में कई क्षेत्रों में फैली एक दावाग्नि को दो दिन बाद नियंत्रण में लाया गया।
(b) अधिकारियों ने प्रभावित क्षेत्रों का ब्योरा देने से इनकार कर दिया, लेकिन कहा जाता है कि आग पानपथ, खितोली, ताला एवं मानपुर सहित छह क्षेत्रों में फैल गई थी।
(c) बाघों के लिए मशहूर सेंट्रल ताला जोन भी इससे प्रभावित बताया जा रहा है।
(d) बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान का विवरण – बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में स्थित है, जिसका कोर क्षेत्रफल 716 वर्ग किलोमीटर है। यह सफेद बाघ, नीलगाय, चौसिंघा, चीतल, चिंकारा, जंगली सूअर आदि के लिए प्रसिद्ध है।
   i. पड़ोसी पनपथा अभयारण्य में प्रोजेक्ट टाइगर नेटवर्क के तहत इसे, 1968 में, राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचितएवं 1993 में बाघ अभयारण्य घोषित किया गया था।
   ii. *ऐतिहासिक महत्व* – इसका उल्लेख 'नारद पंचरात्र' एवं 'शिव पुराण' की प्राचीन पुस्तकों में मिलता है कि इस स्थान को रामायण से जोड़ा जाता है।
   iii. बांधवगढ़ किले को 'त्रेता युग' (हिंदू धर्म में मानव जाति के युगों में से एक) की एक महान कृति के रूप में जाना जाता है।

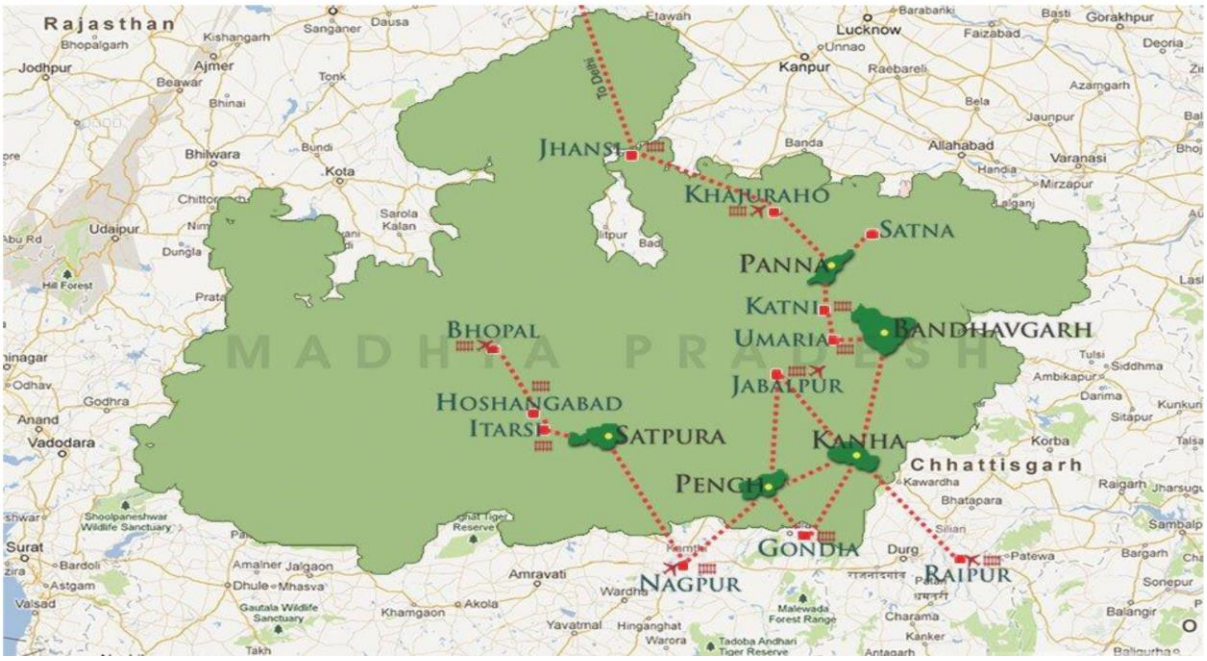

एआईएम–प्राईम

बीएमजीए एवं वेंचर सेंटर के साथ साझोदारी में अटल इनोवेशन मिशन ने 'एआईएम–प्राईम' लॉन्च किया

(a) **एआईएम–प्राईम** – अटल इनोवेशन मिशन (एआईएम), नीति आयोग नीति आयोग ने एआईम–प्राईम (प्रोग्राम फॉर रिसर्चर्स ऑन इनोवेशन, मार्केट–रेडीनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप) लॉन्च किया।
(b) **एआईएम** – संपूर्ण भारत में विज्ञान आधारित डीप–टेक स्टार्टअप एवं उपक्रमों को बढ़ावा देने एवं समर्थन करने के लिए एक पहल। इस संबंध में, एआईएम ने इस राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम को शुरू करने के लिए बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन (बीएमजीएफ) से हाथ मिलाया है, जिसे वेंचर सेंटर – एक गैर–लाभकारी प्रौद्योगिकी व्यवसाय इनक्यूबेटर द्वारा लागू किया जाएगा।

OUR BRANCHES: New Delhi | Mumbai | Kolkata | Chennai | Ahmedabad | Bengaluru | Bhilai | Bhubaneswar | Chandigarh | Dehradun | Gandhinagar | Guwahati | Hyderabad| Kanpur | Lucknow | Mehsana | Nagaland | Patna | Raipur | Rajkot | Ranchi | Surat | Vadodara |

WhatsApp no: 7284911227 - 7284811227 chahalacademy@gmail.com

(c) लाभ –
i. 12 महीने की अवधि में प्रशिक्षण एवं मार्गदर्शन के माध्यम से विशिष्ट मुद्दों को संबोधित करना।
ii. कार्यक्रम के लिए चुने गए उम्मीदवारों को एक व्यापक व्याख्यान श्रृंखला, लाइव टीम प्रोजेक्ट, अभ्यास एवं परियोजना–विशिष्ट सलाह के माध्यम से गहराई से सीखने की सुविधा मिलेगी।
iii. उनके पास एक डीप टेक स्टार्टअप प्लेबुक, क्यूरेटेड वीडियो लाइब्रेरी एवं पीयर–टू–पीयर सीखने के भरपूर अवसर भी होंगे।

दुर्लभ बीमारियों के लिए नीति को लेकर बेचैनी –

(a) **दुर्लभ बीमारियों के लिए राष्ट्रीय नीति, 2021** – दस्तावेज 'दुर्लभ बीमारी' के रोगियों के इलाज के लिए सरकारी सहायता को ₹15 लाख से बढ़ाकर ₹20 लाख करने का उल्लेख करता है। यह रोगों को तीन समूहों में विभाजित करता है –
   i. समूह 1 – एक बार उपचार की आवश्यकता वाले विकार
   ii. समूह 2 – दीर्घकालीन/आजीवन उपचार की आवश्यकता वाले रोगों के उपचार के लिए लाभों एवं अपेक्षाकृत कम लागत को साहित्य में प्रलेखित किया गया है एवं वार्षिक या अधिक लगातार निगरानी की आवश्यकता है।
   iii. समूह 3 – ऐसे रोग जिनके लिए निश्चित उपचार उपलब्ध है लेकिन लाभ के लिए इष्टतम रोगी चयन, बहुत अधिक लागत एवं आजीवन चिकित्सा की चुनौतियां हैं।

(b) **संकट** –
   i. समूह 3 रोगी – नई नीति में समूह 3 के रोगियों, जिन्हें आजीवन उपचार सहायता की आवश्यकता होती है, पर बिल्कुल कोई विचार नहीं किया गया है।
   ii. यह उपचार की प्रतीक्षा कर रहे रोगियों को कोई सहायता प्रदान नहीं करता है क्योंकि इससे पहले दुर्लभ रोगों के उपचार के लिए राष्ट्रीय नीति 2017 को स्थगित रखा गया था। संबंधित राज्य तकनीकी समितियों द्वारा निदान एवं उपचार के लिए योग्य माने जाने वाले दुर्लभ रोग रोगियों की संख्या को देखते हुए, निदान किए गए रोगियों की तत्काल उपचार आवश्यकताओं का समर्थन करने के लिए धन की तत्काल आवश्यकता ₹ 80 करोड़ से ₹ 100 करोड़ सालाना से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(c) समाधान –
   i. यदि केंद्र राज्यों को लोड–शेयरिंग मॉडल के लिए मनाने में सक्षम है तो इसका योगदान ₹ 40 से ₹ 50 करोड़ तक होगा।
   ii. उदाहरण – केरल, तमिलनाडु एवं कर्नाटक जैसे कुछ राज्य पहले ही संकेत दे चुके हैं।

(d) दुर्लभ रोगों का विवरण –
   i. दुर्लभ बीमारी की कोई सार्वभौमिक या मानक परिभाषा नहीं है। एक बीमारी जो बार–बार होती है उसे आम तौर पर एक दुर्लभ बीमारी माना जाता है।
   ii. इसे विभिन्न देशों द्वारा व्यापकता के संदर्भ में परिभाषित किया गया है – या तो निरपेक्ष रूप से या प्रति 10,000 जनसंख्या पर व्यापकता के संदर्भ में।
   iii. एक देश अपनी आबादी, स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली एवं संसाधनों के संदर्भ में सबसे उपयुक्त दुर्लभ बीमारी को परिभाषित करता है।

(e) **चुनौतियां** –
   i. अनुसंधान एवं विकास – अधिकांश दुर्लभ बीमारियों के लिए अनुसंधान एवं विकास में एक मौलिक चुनौती यह है कि पैथोफिजियोलॉजी या इन बीमारियों के प्राकृतिक इतिहास के बारे में अपेक्षाकृत कम जानकारी है।
   ii. उपचार की अनुपलब्धता – दुर्लभ बीमारियों से जुड़ी रुग्णता एवं मृत्यु दर को कम करने के लिए दवाओं की उपलब्धता एवं पहुंच महत्वपूर्ण है। हाल के वर्षों में प्रगति के बावजूद, अधिकांश दुर्लभ बीमारियों के लिए प्रभावी या सुरक्षित उपचार उपलब्ध नहीं है। इसलिए, जब एक सही निदान किया जाता है, तब भी दुर्लभ बीमारी के इलाज के लिए उपलब्ध चिकित्सा उपलब्ध नहीं हो सकती है।

ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021

भारत, विश्व आर्थिक मंच की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 में 156 देशों में 28 स्थान नीचे 140वें स्थान पर आ गया है, जो पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के पीछे दक्षिण एशिया में तीसरा सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला देश बन गया है। भारत में लिंग अंतर 62.5% तक बढ़ गया है, जिसका मुख्य कारण राजनीति में महिलाओं का अपर्याप्त प्रतिनिधित्व, तकनीकी एवं नेतृत्व की भूमिका, महिलाओं की श्रम शक्ति की भागीदारी दर में कमी, खराब स्वास्थ्य सेवा, महिला से पुरुष साक्षरता अनुपात में कमी, आय असमानता है।

रिपोर्ट चार मापदंडों पर लिंग अंतर का एक उपाय है – आर्थिक भागीदारी एवं अवसर, शैक्षिक प्राप्ति, स्वास्थ्य एवं अस्तित्व, एवं राजनीतिक सशक्तिकरण। राजनीतिक सशक्तिकरण के आयाम में यह अंतर सबसे अधिक है, जिसमें आर्थिक भागीदारी एवं अवसर अगली पंक्ति में हैं। हालांकि, शैक्षिक प्राप्ति एवं स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता के अंतर को व्यावहारिक रूप से पाट दिया गया है।

OUR BRANCHES: New Delhi | Mumbai | Kolkata | Chennai | Ahmedabad | Bengaluru | Bhilai | Bhubaneswar | Chandigarh | Dehradun | Gandhinagar | Guwahati | Hyderabad| Kanpur | Lucknow | Mehsana | Nagaland | Patna | Raipur | Rajkot | Ranchi | Surat | Vadodara |

WhatsApp no: 7284911227 - 7284811227 chahalacademy@gmail.com

भारत के पड़ोसियों में बांग्लादेश 65वें, नेपाल 106वें, पाकिस्तान 153वें, अफगानिस्तान 156वें, भूटान 130वें एवं श्रीलंका 116वें स्थान पर है।

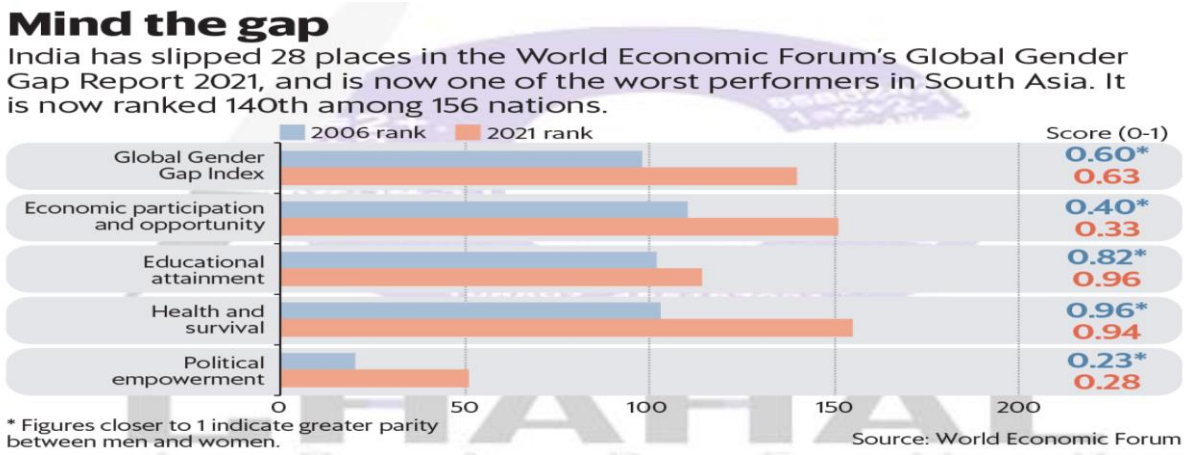

(a) वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (डब्ल्युईएफ) ने अपनी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, 2021 में न केवल दो प्रमुख लिंगों के बीच महिलाओं की असमान प्रगति की दुखद स्थिति को उजागर किया है, बल्कि इस बात के भी सबूत मिले हैं कि कोविड –19 महामारी ने पुरुषों की तुलना में महिलाओं को अधिक प्रभावित किया है।

(b) भारत एक उच्च लिंग अंतर (जीजी) वाला देश बना हुआ है जो भारत को पश्चिम एशिया एवं उप–सहारा अफ्रीका के समान श्रेणी में रखता है।

(c) स्कैंडिनेवियाई एवं अमेरिकी देशों ने जीजी को सबसे अधिक पाटा है। लेकिन इससे भी ज्यादा चिंताजनक बात यह है कि 2020 की रिपोर्ट में इंडेक्स पर भारत की स्थिति 0.668 से गिर गई है।

डब्ल्युईएफ का विवरण – विश्व आर्थिक मंच सार्वजनिक–निजी सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। फोरम वैश्विक, क्षेत्रीय एवं उद्योग एजेंडा को आकार देने के लिए अग्रणी राजनीतिक, व्यावसायिक, सांस्कृतिक एवं समाज के अन्य नेताओं को शामिल करता है। यह 1971 में एक गैर–लाभकारी फाउंडेशन के रूप में स्थापित किया गया था एवं इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। यह स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं किसी विशेष हितों से बंधा नहीं है। फोरम शासन के उच्चतम मानकों को कायम रखते हुए वैश्विक जनहित में उद्यमिता प्रदर्शित करने के अपने सभी प्रयासों में प्रयासरत है। डब्ल्युईएफ दावोस में जनवरी के अंत में एक वार्षिक बैठक आयोजित करता है।

RIFT WIDENS
Highlights of report

- According to WEF's Global Gender Gap Report 2021, India has closed 62.5% of its gender gap till date
- India's gender gap on economic participation and opportunity sub–index widened by 3% this year
- Highest decline on political empowerment sub–index, where India regressed 13.5 percentage points
- Women's labour force participation rate fell from 24.8% to 22.3%
- Estimated earned income of women is only one–fifth of men's, which puts India among the bottom 10
- India ranks among bottom five in discrimination against women in health and survival sub–index
- As Covid–19 impact continues to be felt, global gender gap has increased by a generation from 99.5 to 135.6 years
- Iceland is the most gender–equal nation for the 12th time in 15 years
- Top 10 gender–equal countries include Finland, Norway, New Zealand, Rwanda, Sweden, Ireland and Switzerland

सीवीसी ने दिशानिर्देशों में बदलाव किया

सीवीसी ने स्थानांतरण एवं नियुक्ति से संबंधित दिशानिर्देशों में संशोधन करते हुए सरकारी संगठनों की सतर्कता इकाइयों में अधिकारियों का पदस्थापन, उनके कार्यकाल को एक स्थान पर तीन वर्ष तक सीमित किया है।

(a) संदभ – मुद्दे के महत्व पर जोर देने एवं दृष्टिकोण में पारदर्शिता, वस्तुनिष्ठता एवं एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए, आयोग ने सीवीसी के अपने पहले के दिशानिर्देशों को संशोधित करने का निर्णय लिया है।

OUR BRANCHES: New Delhi | Mumbai | Kolkata | Chennai | Ahmedabad | Bengaluru | Bhilai | Bhubaneswar | Chandigarh | Dehradun | Gandhinagar | Guwahati | Hyderabad| Kanpur | Lucknow | Mehsana | Nagaland | Patna | Raipur | Rajkot | Ranchi | Surat | Vadodara |
WhatsApp no: 7284911227 - 7284811227 chahalacademy@gmail.com

(b) कार्यकाल अवधि –

i. केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) ने अधिकारियों के स्थानांतरण एवं नियुक्ति से संबंधित दिशा–निर्देशों में संशोधन करते हुए उनके कार्यकाल को एक स्थान पर तीन वर्ष तक सीमित कर दिया है।

ii. सतर्कता विभाग में एक अधिकारी के अनुचित लंबे समय तक रहने से अनावश्यक शिकायतों या आरोपों को जन्म देने के अलावा निहित स्वार्थों को विकसित करने की क्षमता थी।

iii. कार्मिकों की सतर्कता इकाइयों में दो निरंतर पोस्टिंग हो सकती है, पोस्टिंग के विभिन्न स्थानों पर, प्रत्येक की अधिकतम तीन वर्षों में नियुक्ति हो सकती है। आदेश में कहा गया है कि जिन कर्मियों ने एक स्थान पर तीन वर्ष से अधिक समय तक काम किया है, उन्हें चरणबद्ध तरीके से स्थानांतरित किया जाना चाहिए।

iv. इसमें कहा गया है कि एक स्थान पर पांच वर्ष से अधिक पूरा करने वालों को सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर स्थानांतरित किया जाना चाहिए।

(c) चरण –

i. पहला चरण – ऐसे कम से कम 10% कर्मियों को बिना किसी अपवाद के क्रमिक क्रम में स्थानांतरित किया जाना चाहिए यदि किसी ने एक स्थान पर तीन वर्ष से अधिक समय तक सेवा की है, तो अगले स्थान पर उसके कार्यकाल को कम कर दिया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि संयुक्त कार्यकाल छह वर्ष तक सीमित था।

ii. आदेश में कहा गया है कि विजिलेंस यूनिट से ट्रांसफर के बाद अनिवार्य कूलिंग ऑफ रहेगा। तीन वर्ष की अवधि से पहले किसी को भी इकाई में पदस्थापन के लिए फिर से विचार किया जा सकता है।

iii. एक कार्मिक, जिसने किसी संगठन की सतर्कता इकाई में तीन वर्ष पूरे कर लिए हों, को निर्धारित नियमों के अधीन, किसी अन्य संगठन की इकाई में प्रतिनियुक्ति के आधार पर स्थानांतरण के लिए विचार किया जा सकता है।

मधुक्रांति पोर्टल एवं हनी कॉर्नर

केंद्रीय कृषि मंत्री ने 'मधुक्रांति पोर्टल' एवं 'हनी कॉर्नर' लॉन्च किया। पोर्टल उपभोक्ताओं को शहद के स्रोत को जानने एवं उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने में सक्षम बनाता है।

(a) केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने आज नई दिल्ली में नेफेड के इस पोर्टल का शुभारंभ किया।

(b) यह राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन (एनबीएचएम) के तहत राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड (एनबीबी), कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की एक पहल है।

(c) इस पोर्टल को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर शहद एवं अन्य मधुमक्खी उत्पादों के पता लगाने की क्षमता प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण के लिए विकसित किया जा रहा है। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के विकास के लिए तकनीकी एवं बैंकिंग पार्टनर इंडियन बैंक है। इस परियोजना के लिए एनबीबी एवं इंडियन बैंक के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

(d) महत्व – हनी मिशन से किसानों की आय में वृद्धि, रोजगार सृजन एवं निर्यात में वृद्धि होगी। मीठी क्रांति पूरे देश में फैलनी चाहिए एवं भारतीय शहद वैश्विक मानकों को पूरा करना चाहिए हनी एवं अन्य हाइव उत्पादों के उत्पादन, बिक्री एवं विपणन श्रृंखला में शामिल सभी हितधारकों का डेटाबेस बनाने के लिए पोर्टल पर आवश्यक कार्यात्मकताएं विकसित की जा रही हैं।

सऊदी अरब ने एशिया के लिए तेल शिपिंग लागत बढ़ाई

भारत द्वारा आयात में कटौती के जवाब में सऊदी अरब ने एशिया में तेल शिपिंग लागत क्यों बढ़ा दी है।

(a) सऊदी अरामको – सऊदी अरब की राष्ट्रीय तेल कंपनी सऊदी अरामको ने एशिया में तेल शिपमेंट की कीमत 20–50 सेंट प्रति बैरल के बीच बढ़ा दी है, जिससे भारत जैसे प्रमुख एशियाई आयातकों के लिए अरब लाइट क्रूड की कुल लागत बेंचमार्क मूल्य से 1.8 डॉलर अधिक हो गई है।

(b) केवल भारत तक सीमित – सऊदी अरामको ने हालांकि उत्तर–पश्चिमी यूरोपीय ग्राहकों के लिए शिपिंग कीमतों में वृद्धि नहीं की है एवं अमेरिकी ग्राहकों के लिए शिपिंग कीमतों में भी कटौती की है।

(c) एशिया के लिए शिपिंग मूल्य में बढ़ोतरी – वृद्धि भारत के लिए एक संकेत हो सकती है, जो सऊदी अरब से दूर आपूर्ति में विविधता लाने की कोशिश कर रहा है, कि कच्चे तेल की साधारण कीमत के अलावा चिंताएं हैं जो एक आयातक के लिए कच्चे तेल की पहुंच कीमत को प्रभावित कर सकती हैं।

(d) राज्य के स्वामित्व वाली ओएमसी सऊदी अरब से आपूर्ति में कटौती कर रहे हैं – ओपेक +, 23 प्रमुख तेल उत्पादक देशों का एक समूह, जिसने कोविड–19 महामारी के चरम के दौरान कच्चे तेल के उत्पादन के स्तर में कटौती की थी, क्योंकि ब्रेंट क्रूड की कीमत 20 डॉलर प्रति बैरल से नीचे गिर गई थी, कच्चे तेल की कीमतों में महामारी से पहले के स्तर पर सुधार के बावजूद अप्रैल तक कम उत्पादन स्तर बनाए रखने का फैसला किया था।

(e) कच्चे तेल की कीमतों में लगातार वृद्धि ने भारत में ऑटो ईंधन की कीमतों में रिकॉर्ड ऊंचाई तक पहुंचने में योगदान दिया है क्योंकि यह अपनी कच्चे तेल की जरूरतों का 80 प्रतिशत से अधिक आयात करता है।

i. अकेले सऊदी अरब ने कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि में योगदान करते हुए, अप्रैल के माध्यम से प्रति दिन 1 मिलियन बैरल उत्पादन में कटौती की थी।

(f) भारत पर प्रभाव –

i. कच्चे तेल के टुकड़ों में लगातार वृद्धि से पेट्रोल एवं डीजल की कीमतें पूरे भारत में रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गई हैं, पेट्रोल की कीमतदेश के कुछ हिस्सों में यह 100 रुपये प्रति लीटर है।

OUR BRANCHES: New Delhi | Mumbai | Kolkata | Chennai | Ahmedabad | Bengaluru | Bhilai | Bhubaneswar | Chandigarh | Dehradun | Gandhinagar | Guwahati | Hyderabad| Kanpur | Lucknow | Mehsana | Nagaland | Patna | Raipur | Rajkot | Ranchi | Surat | Vadodara |
WhatsApp no: 7284911227 - 7284811227 chahalacademy@gmail.com

ii. कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों ने ऑटो ईंधन पर केंद्रीय एवं राज्य करों के प्रभाव को भी बढ़ा दिया है, जो कम आर्थिक गतिविधियों के बीच राजस्व को बढ़ावा देने के लिए 2020 में काफी बढ़ाए गए थे।

लोक अदालत

लोक अदालतें – न्याय में देरी न्याय ना मिलने तुल्य है

(a) हमारी कानूनी प्रणाली के तहत उचित उपचार सुनिश्चित करने के लिए गरीबों के लिए न्याय तक पहुंच एक संवैधानिक जनादेश है। इसलिए, न्याय को सभी के लिए सुलभ एवं वहनीय बनाने के लिए लोक अदालतों (शाब्दिक रूप से, 'पीपुल्स कोर्ट') की स्थापना की गई। यह भीड़ भरी औपचारिक न्यायनिर्णयन प्रणाली के बाहर मामलों की समस्याओं के समाधान के लिए एक मंच था।

(b) लोक अदालत – 'वैकल्पिक विवाद समाधान' का भारतीय तरीका – यह एक मध्यस्थता तंत्र है (दोनों पक्ष लोक अदालत में अपने मामले की मध्यस्थता के लिए जाने के लिए सहमत हैं)। यह तब भी संपर्क किया जा सकता है जब मामला नियमित अदालत में या पूर्व मुकदमेबाजी चरण में मुकदमेबाजी में हो। यह महत्वपूर्ण है कि दोनों पक्ष सहमत हों।

(c) इतिहास –

i. इस अवधारणा को वैधानिक मान्यता मिलने से पहले ही लोक अदालतें अस्तित्व में थीं।
ii. 1949 में, महात्मा गांधी के एक शिष्य हरिवल्लभ पारिख ने गुजरात के रंगपुर में इसे लोकप्रिय बनाया।
iii. संविधान (42वां संशोधन) अधिनियम, 1976 ने 'समान न्याय एवं मुफ्त कानूनी सहायता' सुनिश्चित करने के लिए अनुच्छेद 39ए को शामिल किया। इसके लिए, कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987, संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था एवं यह 1995 में 'समाज के कमजोर वर्गों को मुफ्त एवं सक्षम कानूनी सेवाएं प्रदान करने के लिए' एवं 'लोक अदालतों के संचालन को सुरक्षित करने के लिए' लागू हुआ था। कानूनी व्यवस्था समान अवसर के आधार पर न्याय को बढ़ावा देती है।'

(d) यह एक गैर–विरोधात्मक प्रणाली है, जिसमें – 1. राज्य प्राधिकरण, 2. जिला प्राधिकरण, 3. सर्वोच्च न्यायालय कानूनी सेवा समिति, 4. उच्च न्यायालय कानूनी सेवा समिति, या 5. तालुक कानूनी सेवा समिति, द्वारा नकली अदालतें (लोक अदालतें) आयोजित की जाती हैं।

i. ये अदालतें समय–समय पर एवं जब वे ठीक समझते हैं तब आयोजित की जाती है।

(e) सदस्य –

i. आमतौर पर अध्यक्ष के रूप में सेवानिवृत्त न्यायाधीश अधिकारी होते हैं।
ii. दो अन्य सदस्य – आमतौर पर एक वकील एवं एक सामाजिक कार्यकर्ता या कानूनी पेशे के सदस्य।

(f) विशेषताएं एवं मुद्दे –

i. गैर–शमनीय अपराधों से संबंधित मामलों पर इसका अधिकार क्षेत्र नहीं है।
ii. कोई अदालत शुल्क नहीं है एवं कोई कठोर प्रक्रियात्मक आवश्यकता नहीं है (यानी सीआरपीसी या भारतीय साक्ष्य अधिनियम द्वारा दी गई प्रक्रिया का पालन करने की कोई आवश्यकता नहीं है), जो प्रक्रिया को बहुत तेज बनाता है।
iii. पार्टियां जज से सीधे बातचीत कर सकती हैं, जो नियमित अदालतों में संभव नहीं है।
iv. यदि दोनों पक्ष सहमत हों तो नियमित अदालतों में लंबित मामलों को लोक अदालत में स्थानांतरित किया जा सकता है।
   1. एक मामले को लोक अदालत में भी स्थानांतरित किया जा सकता है यदि एक पक्ष अदालत में आवेदन करता है एवं अदालत दूसरे पक्ष को सुनवाई का अवसर देने के बाद निपटान का कुछ मौका देखती है।
v. समझौता पर ध्यान दें –
   1. जब कोई समझौता नहीं होता है, तो मामला वापस अदालत में चला जाता है।
   2. यदि कोई समझौता होता है, तो एक आदेश दिया जाता है जो दोनो पक्षों के लिए बाध्यकारी होता है। इसे दीवानी न्यायालय के आदेश के रूप में लागू किया जाता है। एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि आदेश अंतिम है एवं भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत भी अपील नहीं की जा सकती है (जो वादियों को उच्च न्यायालयों के समक्ष रिट याचिका दायर करने का अधिकार देता है) क्योंकि यह सहमति से निर्णय है। लोक अदालत के आदेश के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती।
vi. प्रत्येक लोक अदालत को एक सिविल कोर्ट माना जाता है एवं इसकी कार्यवाही को न्यायिक कार्यवाही माना जाता है।

OUR BRANCHES: New Delhi | Mumbai | Kolkata | Chennai | Ahmedabad | Bengaluru | Bhilai | Bhubaneswar | Chandigarh | Dehradun | Gandhinagar | Guwahati | Hyderabad| Kanpur | Lucknow | Mehsana | Nagaland | Patna | Raipur | Rajkot | Ranchi | Surat | Vadodara |
WhatsApp no: 7284911227 - 7284811227 chahalacademy@gmail.com

कॉपीराइट (संशोधन) नियम, 2021

(a) भारत सरकार ने कॉपीराइट (संशोधन) नियम, 2021 अधिसूचित किया है।

(b) **संदभ** – भारत में, कॉपीराइट शासन, कॉपीराइट अधिनियम, 1957 एवं कॉपीराइट नियम, 2013 द्वारा शासित होता है। कॉपीराइट नियम, 2013 को अंतिम बार वर्ष 2016 में संशोधित किया गया था।

(c) **उद्देश्य एवं संशोधन का प्रावधान** –

1. इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों को संचार के प्राथमिक माध्यम के रूप में अपनाकर एवं कॉपीराइट कार्यालय में काम करके डिजिटल युग में तकनीकी प्रगति के आलोक में निर्विघ्न एवं त्रुटिहीन अनुपालन।
2. किसी कॉपीराइट जर्नल के प्रकाशन के संबंध में एक नया प्रावधान शामिल किया गया है, जिससे आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की आवश्यकता समाप्त हो गई है। उक्त पत्रिका कॉपीराइट कार्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध होगी।
3. कॉपीराइट सोसायटी के कामकाज में पारदर्शिता को सुदृढ़ करने के लिए एक नया नियम पेश किया गया है, जिसके तहत कॉपीराइट सोसायटी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए एक वार्षिक पारदर्शिता रिपोर्ट तैयार करने एवं सार्वजनिक करने की आवश्यकता होगी।
4. केंद्र सरकार के लिए एक कॉपीराइट सोसायटी के रूप में पंजीकरण के लिए उसके सामने किए गए आवेदन पर प्रतिक्रिया देने की समय सीमा एक सौ अस्सी दिनों तक बढ़ा दी गई है, ताकि आवेदन की अधिक व्यापक जांच की जा सके।
5. जवाबदेही एवं पारदर्शिता को प्रोत्साहित करने के लिए, रॉयल्टी के संग्रह एवं वितरण के दौरान अविभाजित रॉयल्टी राशि एवं इलेक्ट्रॉनिक एवं ट्रेस करने योग्य भुगतान विधियों के उपयोग से निपटने के लिए नए प्रावधान पेश किए गए हैं।
6. सॉफ्टवेयर कार्यों के पंजीकरण के लिए अनुपालन आवश्यकताओं को काफी हद तक कम कर दिया गया है, क्योंकि अब आवेदक को सोर्स कोड के पहले 10 एवं अंतिम 10 पेज, या पूरे सोर्स कोड को 20 पेज से कम होने पर, बिना किसी ब्लॉक आउट या संशोधित अंश के साथ फाइल करने की स्वतंत्रता है।

यूएसएस जॉन पॉल जोन्स भारत के ईईजेड में प्रवेश करता है

अमेरिकी नौसेना ने 7 अप्रैल को घोषणा की कि उसके सातवें बेड़े से यूएसएस जॉन पॉल जोन्स का 'लक्षद्वीप द्वीप समूह के पश्चिम में लगभग 130 समुद्री मील की दूरी पर भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) के अंदर भारत की पूर्व सहमति लिए बिना किया गया प्रवेश भारत के अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुरूप है।

(a) अमेरिका का विचार – इसने कहा, 'भारत के अपने ईईजेड या महाद्वीपीय शेल्फ में सैन्य अभ्यास या युद्धाभ्यास के लिए पूर्व सहमति की आवश्यकता, अंतरराष्ट्रीय कानून के साथ असंगत है', एवं 'नेविगेशन ऑपरेशन की स्वतंत्रता (एफओएनओपी) में अधिकारों, स्वतंत्रता एवं भारत के अत्यधिक समुद्री दावों को चुनौती देकर अंतरराष्ट्रीय कानून में समुद्र के वैध उपयोग को मान्यता दी गई है।

(b) भारतीय प्रतिक्रिया – विदेश मंत्रालय ने जवाब दिया कि समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (युएनसीएलओएस) पर सरकार की घोषित स्थिति 'यह है कि कन्वेंशन अन्य राज्यों को ईईज़ेड एवं महाद्वीपीय शेल्फ, सैन्य अभ्यास या युद्धाभ्यास करने के लिए अधिकृत नहीं है, विशेष रूप से वे जिसमें तटीय राज्य की सहमति के बिना हथियारों या विस्फोटकों का उपयोग शामिल है'।

(c) 7वां बेड़ा – यह अमेरिकी नौसेना के आगे तैनात बेड़े में सबसे बड़ा है। इसकी वेबसाइट के अनुसार, इसमें किसी भी समय लगभग 50–70 जहाज एवं पनडुब्बियां, 150 विमान, एवं लगभग 20,000 नाविक होते हैं। जिसकी कमान एक 3–सितारा नौसेना अधिकारी के पास होती है।

(d) ईईज़ेड – युएनसीएलओएस के अनुसार, ईईज़ेड 'प्रादेशिक समुद्र से परे एवं आस–पास का एक क्षेत्र है, जो विशिष्ट कानूनी व्यवस्था के अधीन है' जिसके तहत 'तटीय राज्य के अधिकार एवं अधिकार क्षेत्र एवं अन्य राज्यों के अधिकार एवं स्वतंत्रता इस कन्वेंशन के प्रासंगिक प्रावधानों द्वारा शासित होते हैं।

(e) ईईजेड पर भारतीय कानून –

i. भारत का प्रादेशिक जल, महाद्वीपीय शेल्फ, विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र एवं अन्य समुद्री क्षेत्र अधिनियम, 1976, भारत का ईईजेड 'प्रादेशिक जल से परे एवं आस–पास का क्षेत्र है, एवं ऐसे क्षेत्र की सीमा आधार रेखा से दो सौ समुद्री मील है'।
ii. भारत की 'प्रादेशिक जल सीमा वह रेखा है जिसका प्रत्येक बिंदु उपयुक्त आधार रेखा के निकटतम बिंदु से बारह समुद्री मील की दूरी पर है'।
iii. 1976 के कानून के तहत, 'सभी विदेशी जहाजों (सब–मरीन एवं अन्य पानी के नीचे के वाहनों सहित युद्धपोतों को छोड़कर) को प्रादेशिक जल से निर्दोष मार्ग के अधिकार का आनंद मिलेगा', निर्दोष मार्ग एक ऐसा मार्ग है जो 'शांति, अच्छी व्यवस्था या भारत की सुरक्षा के लिए प्रतिकूल नहीं है'।

OUR BRANCHES: New Delhi | Mumbai | Kolkata | Chennai | Ahmedabad | Bengaluru | Bhilai | Bhubaneswar | Chandigarh | Dehradun | Gandhinagar | Guwahati | Hyderabad| Kanpur | Lucknow | Mehsana | Nagaland | Patna | Raipur | Rajkot | Ranchi | Surat | Vadodara |
WhatsApp no: 7284911227 - 7284811227 chahalacademy@gmail.com

टीआरईडीएस (ट्रेड रिसिवेबल्स डिस्काऊटिंग सिस्टम)

समाचार – टीआरईडीएस छोटे व्यवसायों के लिए एक जीवन रेखा हो सकती है।

(a) प्रावधान –

1. 2017 से, टीआरईडी ने 20,000 से अधिक एमएसएमई को समय पर भुगतान में 30,000 करोड़ रुपये से अधिक प्राप्त करने में सक्षम बनाया है।
2. केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) को सरकार द्वारा एमएसएमई से अपनी खरीद का कम से कम 25 प्रतिशत खरीदना एवं टीआरईडीएस पर पंजीकरण करना अनिवार्य है।
3. चूंकि सरकार एवं उसके सीपीएसई अकेले सबसे बड़े संस्थान हैं जो एमएसएमई से खरीद करते हैं, इसलिए टीआरईडीएस पर इसके उपयोग को बढ़ावा देने एवं लेनदेन की मात्रा बढ़ाने की उनकी क्षमता बहुत अधिक है। वर्तमान आर्थिक माहौल में, सीपीएसई ऐसे उद्धारकर्ता के रूप में कार्य कर सकते हैं जिनमें एमएसएमई को समय पर उनके बकाया का भुगतान सुनिश्चित करके तरलता प्रदान करने की क्षमता है।

(b) समस्या –

1. हालांकि, 20,000 एमएसएमई, एमएसएमई से खरीद पर खर्च किए गए सार्वजनिक उद्यमों की कुल राशि के केवल एक अंश का प्रतिनिधित्व करते हैं।
2. 156 सीपीएसई ने पंजीकृत किया है, केवल 32 ने कोई लेनदेन किया है। एवं इस संख्या में से, केवल आठ ने 30 सितंबर, 2020 तक 10 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान किया है।

(c) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) – ये 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण तत्व हैं। महामारी ने देखा कि कई एमएसएमई को बड़े पैमाने पर तरलता की कमी का सामना करना पड़ा, एवं यह टीआरईडीएस (ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम) को छोटे व्यवसायों को वित्तपोषण प्रदान करके अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए एक प्रमुख मंच बनाता है।

भारत का तेल आयात –

(a) भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल आयातक है एवं अपनी तेल आवश्यकताओं का 84% आयात करता है। वित्त वर्ष 2020 और वित्त वर्ष 2019 में भारत का तेल आयात बिल क्रमशः $101.4 बिलियन और $111.9 बिलियन था।

(b) फरवरी 2021 में –

1. इराक भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता बना रहा।
2. अमेरिका के बाद रिफाइनर के रूप में सस्ते यूएस क्रूड की खरीद में 48% (कुल आयात का 14%) की वृद्धि हुई।
3. इस प्रकार सऊदी अरब को चौथा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बन गया, और ओपेक + आपूर्ति कटौती की रणनीति की भरपाई की गई। परंपरागत रूप से, ओपेक और सऊदी अरब भारत के मुख्य आपूर्तिकर्ता रहे हैं, जो भारतीय तेल आयात का 86% हिस्सा हैं।
4. नाइजीरिया तीसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता था।

(c) ओपेक, जो दुनिया के कच्चे तेल का 40% नियंत्रित करता है, का लक्ष्य अपने सदस्यों के पेट्रोलियम मूल्य निर्धारण को एकीकृत करना है। भारतीय खुदरा विक्रेता अपनी तेल आवश्यकता का दो–तिहाई निश्चित वार्षिक अनुबंधों पर खरीदते हैं। ओपेक खरीदार के लिए अनुबंधित मात्रा की आपूर्ति का आश्वासन देता है, जबकि कीमत और अन्य शर्तें आपूर्तिकर्ता के पक्ष में संतुलित हैं।

1. अनुबंध की शर्तों के अनुसार, जब ओपेक राष्ट्र कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि करने के लिए उत्पादन के स्तर को कम करने का निर्णय लेते हैं, तो आपूर्तिकर्ता आपूर्ति कम कर सकते हैं, जिससे अनुबंध मूल्य (जब उत्पादन में कटौती के कारण कीमत बढ़ जाती है) का पालन करने से इनकार कर दिया जाता है।
2. जनवरी 2021 में, सऊदी अरब ने प्रति दिन 1 मिलियन बैरल की अतिरिक्त उत्पादन कटौती का वादा किया, जिससे फरवरी 2021 में तेल की कीमतें बढ़कर 61.22 डॉलर हो गईं।

शांतिर ओग्रोसेना –

बांग्लादेश में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांतिर ओग्रोसेना का समापन

(a) अभ्यास शांति ओग्रोसेनाः 2021 – 10 दिवसीय बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास, जो अप्रैल 04, 2021 को शुरू हुआ, का समापन अप्रैल 12, 2021 को बंगबंधु सेनानिबास (बीबीएस), बांग्लादेश में हुआ।

OUR BRANCHES: New Delhi | Mumbai | Kolkata | Chennai | Ahmedabad | Bengaluru | Bhilai | Bhubaneswar | Chandigarh | Dehradun | Gandhinagar | Guwahati | Hyderabad| Kanpur | Lucknow | Mehsana | Nagaland | Patna | Raipur | Rajkot | Ranchi | Surat | Vadodara |
WhatsApp no: 7284911227 - 7284811227 chahalacademy@gmail.com

(b) अभ्यास का समापन भारतीय सेना, रॉयल भूटानी सेना, श्रीलंकाई सेना और बांग्लादेश सेना की टुकड़ियों द्वारा संयुक्त रूप से किए गए मजबूत शांति रक्षा अभियानों के विषय पर आयोजित एक सत्यापन चरण और समापन समारोह के साथ हुआ, जिसके पहले सेना प्रमुखों का सम्मेलन हुआ।

(c) संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, तुर्की, सऊदी अरब साम्राज्य, कुवैत और सिंगापुर के पर्यवेक्षकों ने भाग लिया।

(d) अभ्यास का उद्देश्य – प्रभावी शांति बनाए रखने के संचालन को सुनिश्चित करने के लिए रक्षा संबंधों को मजबूत करना और पड़ोसी देशों के बीच अंतःक्रियाशीलता को बढ़ाना। सभी भाग लेने वाले देशों की सेनाओं ने अपने व्यापक अनुभवों को साझा किया और मजबूत सूचना विनिमय प्लेटफार्मों के माध्यम से अपनी स्थिति संबंधी जागरूकता को बढ़ाया।

ई–सांता –

श्री पीयूष गोयल ने जलीय किसानों और खरीदारों को जोड़ने के लिए एक मंच प्रदान करने वाले इलेक्ट्रॉनिक मार्केटप्लेस ई–सांता का उदघाटन किया।

(a) ई–सांता – जलीय कृषि में किसानों के व्यापार को बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक समाधान। नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल एक्वाकल्चर (एनएसीएसए) समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एमपीईडीए), भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की एक विस्तार शाखा है।
(b) जलीय किसानों और खरीदारों को जोड़ने के लिए एक मंच प्रदान करने वाला एक इलेक्ट्रॉनिक बाजार।
(c) यह किसानों को बेहतर मूल्य प्राप्त करने में सक्षम बनाएगा और निर्यातक सीधे किसानों से गुणवत्ता वाले उत्पाद खरीद सकेंगे, जिससे पता लगाने की क्षमता बढ़ेगी, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक प्रमुख कारक है।
(d) ई–सांता निम्न किसानों के जीवन स्तर और आय को बढ़ाएगा –
   i. जोखिम कम करना
   ii. उत्पादों और बाजारों के बारे में जागरूकता
   iii. आय में वृद्धि
   iv. गलत व्यवहार से बचाव
   v. प्रक्रियाओं में आसानी

आहार क्रांति –

डॉ हर्षवर्धन ने 'आहार क्रांति' के शुभारंभ की घोषणा की

(a) आहार क्रांति – विज्ञान भारती (विभा), 'वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक और टेक्नोक्रेटस फोरम (जीआईएसटी), विज्ञान प्रसार, और प्रवासी भारतीय अकादमिक और वैज्ञानिक संपर्क (प्रभास) 'उत्तम आहार – उत्तम विचार' या 'अच्छा आहार–अच्छा ज्ञान' के आदर्श वाक्य के साथ मिशन शुरू करने के लिए एक साथ आए हैं।

(b) उद्देश्य –
   i. यह भारत और दुनिया के सामने आने वाली अजीबोगरीब समस्या – 'भूख और बीमारियों की बहुतायत' को दूर करने के लिए बनाया गया है। अध्ययनों का अनुमान है कि भारत जितनी कैलोरी की खपत करता है, उससे दोगुना उत्पादन करता है। हालांकि, देश में कई अभी भी कुपोषित हैं। इस अजीब घटना का मूल कारण पोषण संबंधी जागरूकता की कमी है।
   ii. यह लोगों को भारत के पारंपरिक आहार के मूल्यों और समृद्धि, स्थानीय फलों और सब्जियों एवं संतुलित आहार की उपचार शक्तियों के चमत्कारों के लिए लोगों को जगाने के लिए काम करके समस्या का समाधान करता है। यह स्थानीय रूप से खट्टे फलों और सब्जियों से भरपूर पौष्टिक संतुलित आहार पर ध्यान केंद्रित करेगा।

अमेरिकी सेना की अफगानिस्तान से वापसी

अमेरिका, 9/11 के हमलों की बीसवीं बरसी, सितंबर 11, 2021 तक अफगानिस्तान से अपने सभी सैनिकों को हटा लेगा। इस निर्णय से क्षेत्र की फाल्ट–रेखाओं के झटके महसुस किए गए हैं।

(a) **संदभ** – वर्तमान में अफगानिस्तान में लगभग 2,500–3,500 अमेरिकी सैनिक हैं, साथ ही 8,000 से कम की नाटो सेना है। एक समन्वित निकासी जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है।

(b) **प्रभाव** –
   i. तालिबान को लाभ – बिडेन की घोषणा ने तालिबान के लिए अफगान सरकार के साथ बातचीत के लिए सहमत होने के सभी प्रोत्साहनों को हटा दिया है।

OUR BRANCHES: New Delhi | Mumbai | Kolkata | Chennai | Ahmedabad | Bengaluru | Bhilai | Bhubaneswar | Chandigarh | Dehradun | Gandhinagar | Guwahati | Hyderabad| Kanpur | Lucknow | Mehsana | Nagaland | Patna | Raipur | Rajkot | Ranchi | Surat | Vadodara |

WhatsApp no: 7284911227 - 7284811227 chahalacademy@gmail.com

ii. पाकिस्तान – यह इस्लामाबाद में प्रतिशोध एवं चिंता दोनों का क्षण है। क्योंकि 1. तालिबान पाकिस्तानी सुरक्षा प्रतिष्ठान की देन हैं। 2. पाकिस्तानी सेना के लिए, जिसने हमेशा भारत के साथ अपनी शत्रुता में 'रणनीतिक गहराई' के संदर्भ में अफगानिस्तान को देखा है, अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा अंततः 20 वर्ष बाद काबुल में एक मित्र शक्ति को सत्ता में लाएगा।

iii. भारत – सावधान रहने का समय –
   1. भारत अफगानिस्तान से बाहर निकलने के लिए ट्रम्प के निर्णय जिसकी परिणति दोहा समझौते में हुई, के बाहरी किनारों पर था एवं तालिबान एवं अफगान सरकार के बीच 'अंतर–अफगान वार्ता' का अनिच्छुक समर्थक था।
   2. एक और चिंता लश्कर–ए–तैयबा एवं जैश–ए–मोहम्मद जैसे भारत–केंद्रित आतंकवादी संगठन होंगे, जिन्हें भारतीय सुरक्षा प्रतिष्ठान पहले से ही बड़ी संख्या में अफगानिस्तान में स्थानांतरित करने का विश्वास करता है।

iv. चीन – अफगानिस्तान में अस्थिरता से उसे बहुत कुछ खोना होगा क्योंकि इससे चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे पर असर पड़ सकता है।

v. रूस – अमेरिका समर्थित मुजाहिदीन के हाथों अपनी हार एवं तीन दशक पहले अफगानिस्तान से बाहर निकलने के बाद रूस के लिए अमेरिका से बाहर निकलना एक पूर्ण चक्र है। पाकिस्तान के साथ रूस के बढ़ते संबंध अफगानिस्तान में मास्को के लिए अमेरिका के बाद की भूमिका में तब्दील हो सकते हैं।

vi. ईरान – एक ऐसे देश के रूप में जो पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करता है, ईरान दोनों से सक्रिय सुरक्षा खतरों को मानता है एवं काबुल में तालिबान का शासन केवल इस खतरे की धारणा को बढ़ाएगा। दोनों के बीच आपसी दुश्मनी एवं धार्मिक विभाजन के बावजूद, ईरान ने कुछ वर्ष पहले तालिबान के लिए चैनल खोले, एवं हाल ही में, तेहरान में तालिबान के एक प्रतिनिधिमंडल की मेजबानी भी की।

ईट–स्मार्ट सिटीज एवं ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंज

समाचार –

(a) आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने एक ऑनलाइन इवेंट में ईट स्मार्ट सिटीज चैलेंज एवं ट्रांसपोर्ट 4 ऑल चैलेंज शुरू किया

(b) ट्रांसपोर्ट 4 ऑल चैलेंज – इसका उद्देश्य सार्वजनिक परिवहन को सुरक्षित, वहनीय, आरामदायक एवं विश्वसनीय बनाना है।

(c) ईट स्मार्ट सिटीज चैलेंज – यह आंदोलन शहरी आबादी को सही भोजन विकल्प चुनने एवं एक स्वस्थ एवं खुशहाल राष्ट्र बनाने में मदद करने के लिए प्रेरित करेगा।

(d) उद्देश्य – स्मार्ट शहरों को एक ऐसी योजना विकसित करने के लिए प्रेरित करना जो खाद्य संबंधी मुद्दों से निपटने के लिए 'स्मार्ट' समाधानों के अनुप्रयोग के साथ–साथ संस्थागत, भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक बुनियादी ढांचे द्वारा समर्थित एक स्वस्थ, सुरक्षित एवं टिकाऊ खाद्य वातावरण का समर्थन करता हो।

आईएमडी ने सामान्य मानसून की भविष्यवाणी की

आईएमडी ने लगातार तीसरे वर्ष सामान्य मानसून की भविष्यवाणी की है।

(a) प्रथम चरण लॉन्ग रेंज फोरकास्ट (एलआरएफ) रिपोर्ट – आईएमडी ने अपने चरण लॉन्ग रेंज फोरकास्ट (एलआरएफ) में कहा है कि इस वर्ष मानसून सामान्य रहेगा। आईएमडी अपना एलआरएफ हर वर्ष दो बार अप्रैल एवं जून में जारी करता है।
   i. चार महीने का दक्षिण–पश्चिम मानसून का मौसम भारत को अपनी वार्षिक वर्षा का लगभग 70% लाता है।
   ii. जून से सितंबर के दौरान मात्रात्मक वर्षा लंबी अवधि के औसत (एलपीए) का 98% होगी, जो 'सामान्य वर्षा' श्रेणी में है।
   iii. आईएमडी ने कहा कि तटस्थ ईएसएनओ (अल नीनो दक्षिणी दोलन) की स्थिति वर्तमान में प्रशांत महासागर में व्याप्त है। 2021 के मानसून के मौसम के दौरान, हम अल नीनो स्थितियों के विकास की उम्मीद नहीं करते हैं।

(b) ईएनएसओ का विवरण – यह कई बड़े पैमाने की विशेषताओं में से एक है जो भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसून को प्रभावित करती है।
   i. अल नीनो भूमध्यरेखीय पूर्वी प्रशांत महासागर के सतही जल के असामान्य रूप से गर्म होने को दर्शाता है। यह देखा गया है कि अल नीनो वर्षों में भारत में दक्षिण–पश्चिम मानसून की वर्षा कम रहती है।
   ii. अल नीनो के विपरीत प्रणाली ला नीना है, जो भूमध्यरेखीय प्रशांत क्षेत्र में असामान्य रूप से ठंडे समुद्र के तापमान के कारण होती है, एवं भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसून के पक्ष में देखी गई है।
   iii. हिंद महासागर द्विध्रुव – जो ईएनएसओ की स्थिति के समान है प्रशांत क्षेत्र में अल नीनो एवं ला नीना घटनाओं को बनाता है। हिंद महासागर में समुद्र की सतह का तापमान सामान्य से अधिक गर्म एवं ठंडा दोनों हो जाता है, एवं यह विचलन भारतीय मानसून सहित क्षेत्रीय वायुमंडलीय एवं मौसम के पैटर्न को प्रभावित करता है।

(c) भारतीय कृषि पर प्रभाव – यह मुख्य रूप से वर्षा पर निर्भर होने के कारण, दक्षिण–पश्चिम मानसून भारत की अर्थव्यवस्था के प्रमुख चालकों में से एक है।

(d) चार महीने की अवधि तब होती है जब जलाशयों को फिर से भर दिया जाता है, एवं सुदूर उत्तर एवं तमिलनाडु के कुछ हिस्सों को छोड़कर, मानसून देश में पीने के पानी का मुख्य स्रोत है।

OUR BRANCHES: New Delhi | Mumbai | Kolkata | Chennai | Ahmedabad | Bengaluru | Bhilai | Bhubaneswar | Chandigarh | Dehradun | Gandhinagar | Guwahati | Hyderabad| Kanpur | Lucknow | Mehsana | Nagaland | Patna | Raipur | Rajkot | Ranchi | Surat | Vadodara |

WhatsApp no: 7284911227 - 7284811227 chahalacademy@gmail.com

आईएमडी का विवरण – मौसम विज्ञान विभाग (डब्ल्युएमओ) भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की एक एजेंसी है। यह मौसम संबंधी अवलोकन, मौसम पूर्वानुमान एवं भूकंप विज्ञान के लिए जिम्मेदार प्रमुख एजेंसी है। डब्ल्युएमओ का मुख्यालय दिल्ली में है एवं यह पूरे भारत एवं अंटार्कटिका में सैकड़ों ऑब्जर्वेशन स्टेशन संचालित करता है। क्षेत्रीय कार्यालय चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, नागपुर, गुवाहाटी एवं नई दिल्ली में हैं।

भारतीय रेलवे ने पोर्ट कनेक्टिविटी को बढ़ाया –

भारतीय रेलवे बंदरगाह संपर्क परियोजनाओं पर प्रयास तेज कर रहा है।

(a) उद्देश्य – 2026 तक इस हिस्से को 925 मिलियन टन के 32–35 प्रतिशत एवं 2030 तक 1,200 मिलियन टन के 40–45 प्रतिशत तक बढ़ाने का लक्ष्य है।
   i. विजन 2024 के तहत परियोजनाएं इस अभ्यास के पहले चरण का हिस्सा हैं। दो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (डीएफसी) को 2026 से पहले चालू कर दिया जाएगा, ताकि मौजूदा ट्रैफिक 27% से बढ़कर कुल फ्रेट शेयर का 32–35% हो जाए।
   ii. दूसरे चरण में, रेलवे का लक्ष्य 2030 से पहले तीन नए डीएफसी विकसित करना है ताकि कुल फ्रेट शेयर की 45% जरूरतों को पूरा किया जा सके।

(b) 'राष्ट्रीय ट्रांसपोर्टर' (रेलवे) प्रमुख बंदरगाहों (जैसे कांडला, मुंद्रा, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (जेएनपीटी), विशाखापत्तनम, अन्य) को रेल नेटवर्क से जोड़ने का प्रयास कर रहा है।
   i. "गुजरात के पश्चिमी बंदरगाह एवं महाराष्ट्र में जेएनपीटी हरियाणा में रेवाड़ी के उत्तरी भीतरी इलाकों के साथ–साथ पश्चिमी डीएफसी के माध्यम से पंजाब (लुधियाना) से फीडर मार्गों के साथ जुड़ जाएंगे। पूर्वी डीएफसी के लिए कोलकाता एवं हल्दिया बंदरगाहों की कनेक्टिविटी पूर्वी कॉरिडोर के सोननगर–दानकुनी लेग के माध्यम से स्थापित की जाएगी।

MAJOR PORT CONNECTIVITY PROJECTS TO BE COMPLETED BY 2024

Project	Line	Connecting port(s)
Doubling	▶ Kanaknadi – Panambur	New Mangaluru
	▶ Raipur – Titlagarh	Visakhapatnam
	▶ Madurai – Thoothukudi	Thoothukudi
	▶ Titlagarh – Sambalpur	Paradip
	▶ Banspani – Daitri – Jakhapur	Paradip
	▶ Sambalpur – Talcher	Paradip
	▶ Hospet – Tenaighat – Vasco	Marmagao
3rd line	▶ Bhadrak – Vizianagram – Vizag – Vijayawada	All major ports on East Coast
3rd and 4th line	▶ Budhapank – Salegaon	Paradip
4th line	▶ Chennai Beach – Attipattu	Kamarajar

Source: Rail ministry

एफपीआई अंतर्वाह के 50 प्रतिशत से अधिक के लिए तीन देशों का खाता

LEARN TODAY! LEAD TOMORROW!

1. **तीन देशों का एफपीआई प्रवाह में 50 प्रतिशत से अधिक का योगदान है –**
   (a) भारत को अब तक प्राप्त कुल विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई) में तीन देशों, अमेरिका, मॉरीशस एवं लक्जमबर्ग का हिस्सा 50 प्रतिशत से अधिक है।
   (b) नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) के आंकड़ों के मुताबिक, 44.62 लाख करोड़ रुपये के निवेश में से अमेरिकी निवेशकों ने 15.38 लाख करोड़ रुपये, मॉरीशस ने 5.29 लाख करोड़ रुपये एवं लक्जमबर्ग में 3.74 लाख करोड़ रुपये के निवेश किए।
   (c) यूएस फेड द्वारा अपनाई गई उदार नीतियों ने उभरते बाजारों में धन के ऐसे प्रवाह को सुगम बनाया है जिससे भारत को भी लाभ हुआ है।
   (d) यह व्यापक रूप से माना जाता है कि स्टॉक इंडेक्स में एफपीआई प्रवाह एवं आंदोलनों के बीच एक मजबूत संबंध है।

नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) मुंबई में स्थित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में एक भारतीय केंद्रीय प्रतिभूति डिपॉजिटरी है। इसे अगस्त 1996 में राष्ट्रीय कवरेज के साथ भारत में पहली इलेक्ट्रॉनिक प्रतिभूति डिपॉजिटरी के रूप में स्थापित किया गया था। यह भारत के आर्थिक विकास के लिए जिम्मेदार एक राष्ट्रीय संस्था के सुझाव के आधार पर स्थापित किया गया था।

OUR BRANCHES: New Delhi | Mumbai | Kolkata | Chennai | Ahmedabad | Bengaluru | Bhilai | Bhubaneswar | Chandigarh | Dehradun | Gandhinagar | Guwahati | Hyderabad| Kanpur | Lucknow | Mehsana | Nagaland | Patna | Raipur | Rajkot | Ranchi | Surat | Vadodara |

WhatsApp no: 7284911227 - 7284811227 chahalacademy@gmail.com

इन्जेन्यूटी मंगल हेलीकाप्टर

नासा की इन्जेन्यूटी मार्स हेलीकॉप्टर की पहली उड़ान।

1. नासा का इन्जेन्यूटी मार्स हेलीकॉप्टर इतिहास का पहला विमान बन गया जिसने किसी अन्य ग्रह पर संचालित, नियंत्रित उड़ान भरी।

2. दक्षिणी कैलिफोर्निया में एजेंसी की जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी में इन्जेन्यूटी टीम ने पुष्टि की कि नासा के पर्सवेरेंस मार्स रोवर के माध्यम से हेलीकॉप्टर से डेटा प्राप्त करने के बाद उड़ान सफल रही।

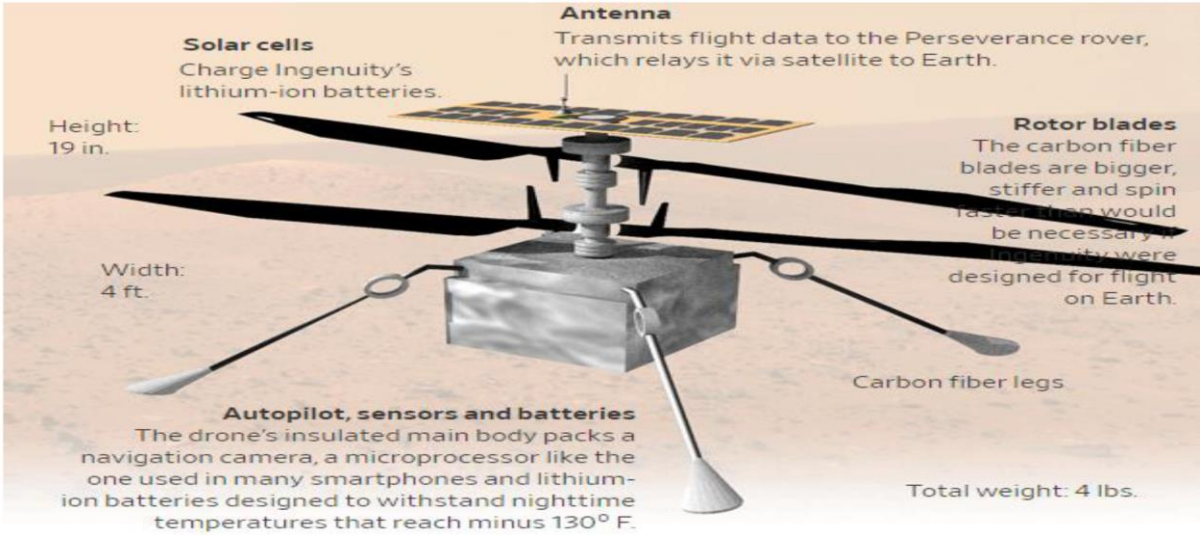

3. मुख्य विशेषताएं –
   a. इन्जेन्यूटी 2 किलो का ड्रोन है। इसने मंगल की सतह से 3 मीटर की ऊंचाई पर 40 सेकंड के लिए उड़ान भरी।
   b. उड़ान भरने के लिए, गुरुत्वाकर्षण का मुकाबला करने के लिए लिफ्ट उत्पन्न की जाती है। लिफ्ट, विमान के डिजाइन, गुरुत्वाकर्षण बल एवं वायुमंडलीय घनत्व पर निर्भर करती है।
   c. यह सौर ऊर्जा से चलने वाला हेलीकॉप्टर है।
   d. इन्जेन्यूटी का प्रारंभिक उड़ान प्रदर्शन स्वायत्त था – जेपीएल में टीम द्वारा विकसित ऑनबोर्ड मार्गदर्शन, नेविगेशन एवं नियंत्रण प्रणाली चलाने वाले एल्गोरिदम द्वारा संचालित।
   e. लैग – क्योंकि परिक्रमा करने वाले उपग्रहों एवं नासा के डीप स्पेस नेटवर्क का उपयोग करते हुए डेटा को लाल ग्रह से सैकड़ों मिलियन मील की दूरी पर भेजा एवं पुनः प्राप्त किया जाता है, इन्जेन्यूटी को जॉयस्टिक के साथ नहीं उड़ाया जा सकता है, एवं इसकी उड़ान वास्तविक समय में पृथ्वी से देखने योग्य नहीं थी।

4. एक्स–15 अंतरिक्ष यान के लिए पाथफांइडर था। मार्स पाथफाइंडर एवं उसके सोजॉर्नर रोवर ने मार्स रोवर्स की तीन पीढ़ियों के लिए ऐसा ही किया।

मंगल ग्रह पर इन्जेन्यूटी हेलीकॉप्टर की सफल परीक्षण उड़ान अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए एक नए युग की शुरुआत करती है। रोवर्स जैसे जमीनी वाहनों की तुलना में मंगल जैसे ग्रहों को हवाई वाहनों से बहुत तेजी से खोजा जा सकता है। इसके परिणामस्वरूप पृथ्वी पर ही उच्च ऊंचाई वाले हेलीकॉप्टर कनेक्टिविटी में महत्वपूर्ण प्रगति हो सकती है।

चीन ने पीपी15 एवं पीपी17ए को खाली करने से मना किया

संदभ –

- पूर्वी लद्दाख में 11 महीने से अधिक लंबे गतिरोध को हल करने के लिए भारत एवं चीन के वरिष्ठ सैन्य कमांडरों के बीच 11वें दौर की चर्चा के दौरान, चीन ने चार मूल घर्षण बिंदुओं में से दो को खाली करने से इनकार कर दिया।

11 माह का गतिरोध –

- मई 2020 में, चीन ने अपने सैनिकों को, जो तिब्बती पठारी क्षेत्र में वार्षिक अभ्यास के लिए आए थे, पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा की ओर भेजकर, भारत के साथ पीपी15 एवं पीपी17ए बिंदुओं पर गतिरोध पैदा कर दिया था।

OUR BRANCHES: New Delhi | Mumbai | Kolkata | Chennai | Ahmedabad | Bengaluru | Bhilai | Bhubaneswar | Chandigarh | Dehradun | Gandhinagar | Guwahati | Hyderabad| Kanpur | Lucknow | Mehsana | Nagaland | Patna | Raipur | Rajkot | Ranchi | Surat | Vadodara |
WhatsApp no: 7284911227 - 7284811227 chahalacademy@gmail.com

- चीनी सैनिकों ने भी गलवान घाटी एवं पैंगोंग त्सो के उत्तरी तट में पीपी14 पर एलएसी को पार किया एवं खुद को उस पार तैनात कर दिया।
- अधिकतम प्रवेश पैंगोंग त्सो के उत्तरी तट पर था, जहां चीनी सैनिक फिंगर 4 पर थे, जो कि फिंगर 8 से 8 किमी पश्चिम में है जहां भारत एलएसी स्थित है।

पीपी5 एवं पीपी17ए क्या हैं?

- 1976 में स्थापित चाइना स्टडी ग्रुप चीन पर निर्णय लेने वाली सर्वोच्च संस्था है जिसने भारतीय सेना को अपने नियंत्रण में गश्त के लिए एलएसी के साथ कुछ निश्चित बिंदु स्थान दिए थे, इन बिंदुओं को पेट्रोलिंग–पॉइंट या पीपी के रूप में जाना जाता है।
- देपसांग मैदानों जैसे कुछ क्षेत्रों को छोड़कर, ये गश्त बिंदु एलएसी पर हैं, एवं सैनिक इन बिंदुओं पर पहुंचकर क्षेत्र पर अपना नियंत्रण स्थापित करते हैं।
- यह एक महत्वपूर्ण अभ्यास है क्योंकि भारत एवं चीन के बीच की सीमा अभी तक आधिकारिक रूप से सीमांकित नहीं हुई है।
- पीपी15 एवं पीपी17ए दोनों ही 65 पेट्रोलिंग पॉइंट्स में से दो हैं, जो पूर्वी लद्दाख में एलसीए के ग्लवान सब–सेक्टर में चांग चेन्मो नदी के करीब हैं।
  – पीपी15 हॉट स्प्रिंग्स के नाम से जाने जाने वाले क्षेत्र में स्थित है।
  – पीपी17ए गोगरा पोस्ट नामक क्षेत्र के पास है।
- यह क्षेत्र पहाड़ों की काराकोरम रेंज के उत्तर में है, जो पैंगोंग त्सो झील के उत्तर में स्थित है, एवं गलवान घाटी के दक्षिण–पूर्व में है जो जून 2020 में एक प्रमुख हिंसक फ्लैशपॉइंट स्थल बन गया था।

इस क्षेत्र का महत्व –

- भारत के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय सीमा काफी पूर्व में स्थित है, क्योंकि इसमें संपूर्ण अक्साई चिन क्षेत्र शामिल है। लेकिन चीन का दावा है कि कोंगका दर्रे के करीब का क्षेत्र भारत एवं चीन के बीच की सीमा का प्रतीक है।
- 1960 में, भारत एवं चीन के बीच सीमा पर आधिकारिक वार्ता के दौरान, चीन ने कहा कि सीमा के पश्चिमी क्षेत्र को कोंगका दर्रे के साथ दो भागों में विभाजित किया गया है।
  – 'कोंगका दर्रे के उत्तरी भाग झिंजियांग एवं लद्दाख के बीच की सीमा है ।
  – इसका दक्षिण भाग तिब्बत एवं लद्दाख के बीच सीमा है।
- इस प्रकार हॉट स्प्रिंग्स एवं गोगरा पोस्ट चीन के दो सबसे ऐतिहासिक रूप से अशांत प्रांतों के बीच की सीमा के करीब हैं।

क्षेत्र का सैन्य महत्व –

- पीपी15 एवं पीपी17ए दोनों एलएसी के साथ संरेखण में हैं, जो गलवान घाटी से दक्षिण–पूर्व में आता है, कोंगा ला में मुड़ता है एवं पैंगोंग त्सो के उत्तरी तट तक पहुँचने से पहले ऐन दर्रे की ओर बढ़ता है।
- चीन की सेना की चौकी कोंगका ला से कुछ किमी पूर्व में है, जबकि भारत की चौकियां इसके दक्षिण–पश्चिम में स्थित हैं। 1962 के चीन–भारत युद्ध के इतिहास के अनुसार, इस क्षेत्र की पहचान दोनों पक्षों द्वारा आक्रामक कार्रवाई के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रमुख लॉन्चपैड के रूप में नहीं की गई है।
- उस समय, चीनी डीबीओ, चुशुल एवं डेमचोक पदों को समाप्त करके अक्साई चिन राजमार्ग के खिलाफ किसी भी आक्रमण के लिए संभावित लॉन्च पैड को समाप्त करने में सफल रहे थे।
- 1962 के संघर्ष के दौरान, गलवान पोस्ट पर कंपनी की ताकत थी, जबकि अन्य पोस्ट – हॉट स्प्रिंग्स, नाला जंक्शन एवं पेट्रोल बेस में एक प्लाटून की ताकत थी।
- उस दौरान हॉट स्प्रिंग्स एक महत्वपूर्ण पद था एवं कंपनी मुख्यालय के रूप में कार्य करता था। हालांकि चीनी हॉट स्प्रिंग के पीछे जाना चाहते थे, लेकिन नाला जंक्शन पर इसका विरोध किया गया।

OUR BRANCHES: New Delhi | Mumbai | Kolkata | Chennai | Ahmedabad | Bengaluru | Bhilai | Bhubaneswar | Chandigarh | Dehradun | Gandhinagar | Guwahati | Hyderabad| Kanpur | Lucknow | Mehsana | Nagaland | Patna | Raipur | Rajkot | Ranchi | Surat | Vadodara |
WhatsApp no: 7284911227 - 7284811227 chahalacademy@gmail.com

वर्तमान स्थिति –

- दोनों पक्ष गलवान घाटी संघर्षों के बाद पीपी14, पीपी15 एवं पीपी17ए से अलग होने पर सहमत हुए थे।
- हालाँकि, चीन ने अपने सैनिकों को पीपी14 से वापस खींच लिया, लेकिन उसने पीपी15 एवं पीपी17 से अलगाव को पूरा नहीं किया।
- पानसोंग त्सो क्षेत्र में विघटन के बाद, जब भारत एवं चीन दोनों ने अपने सैनिकों एवं बख्तरबंद स्तंभों को वापस खींच लिया था।
- हालाँकि वार्ता में कोई नया आधार नहीं तोड़ा जा सका एवं चीन ने अन्य घर्षण बिंदुओं से पीछे हटने से इनकार कर दिया।

8 चिकित्सा वस्तुओं के लिए नई नियामक व्यवस्था

औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के तहत 8 चिकित्सा मदों के लिए नई नियामक व्यवस्था

(a) आयातकों/विनिर्माताओं को अब केंद्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकरण या राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण से आयातधविनिर्माण लाइसेंस लेना आवश्यक है।

(b) आठ विनियमित चिकित्सा उपकरण – भारतीय उद्योग की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक सक्रिय एवं संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाते हुए, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने आठ विनियमित चिकित्सा उपकरणों की निरंतर पहुंच सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। ये आठ चिकित्सा उपकरण हैं–

1. सभी प्रत्यारोपण योग्य चिकित्सा उपकरण,
2. सीटी स्कैन उपकरण,
3. एमआरआई उपकरण,
4. डीफिब्रिलेटर,
5. पीईटी उपकरण,
6. डायलिसिस मशीन,
7. एक्स–रे मशीन तथा
8. अस्थि मज्जा कोशिका विभाजक।

चिकित्सा उपकरण नियम (2017) के तहत अपने नियामक आदेश को लागू करते हुए आपूर्ति श्रृंखला निरंतरता एवं पहुंच सुनिश्चित करने के लिए 6 महीने का संक्रमण समय दिया गया है।

विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021

(a) विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 – यह अंतरराष्ट्रीय पत्रकारिता नॉट–फॉर प्रॉफिट बॉडी रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स (आरडब्ल्युबी) द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

(b) सूचकांक ने भारत को पत्रकारिता के लिए 'खराब' वर्गीकृत देशों में गिना है एवं कहा है कि भारत पत्रकारों के लिए सबसे खतरनाक देशों में से एक है।

(c) नवीनतम सूचकांक –

i. यह 180 देशों में शीर्ष पर है, फिर भी नॉर्वे के बाद फिनलैंड एवं डेनमार्क का स्थान है, जबकि इरिट्रिया सबसे नीचे है। चीन 177वें स्थान पर है, एवं केवल उत्तर कोरिया से 179वें स्थान पर एवं तुर्कमेनिस्तान 178वें स्थान पर है।

ii. भारत पिछले वर्ष की तरह ही 142वें स्थान पर है, क्योंकि यह 2016 में लगातार 133वें स्थान पर था।

iii. इसने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'मीडिया पर अपनी पकड़ मजबूत की'। '2020 में अपने काम के सिलसिले में मारे गए चार पत्रकारों के साथ, भारत दुनिया के सबसे खतरनाक देशों में से एक है जो पत्रकारों को अपना काम ठीक से करने की कोशिश करने में बाधा डालता है'।

iv. दक्षिण एशियाई पड़ोस में, नेपाल 106 पर, श्रीलंका 127 पर, म्यांमार (तख्तापलट से पहले) 140 पर, पाकिस्तान 145 पर एवं बांग्लादेश 152 पर है।

स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट 2020 रिपोर्ट –

चक्रवात अम्फान, जो पिछले वर्ष मई में भारत–बांग्लादेश सीमा के पास टकराया था, उत्तर हिंद महासागर के लिए रिकॉर्ड पर सबसे अधिक हानिकारक उष्णकटिबंधीय चक्रवात था।

(a) रिपोर्ट – चक्रवात अम्फान के मामले में भारत में लगभग 14 बिलियन अमरीकी डालर का आर्थिक नुकसान दर्ज किया गया।

(b) द स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2020 रिपोर्ट –

– चरम मौसम ने कोविड–19 के साथ मिलकर 2020 में लाखों लोगों के लिए दोहरा झटका दिया।

– वर्ष 2020 ला निना के ठंडे प्रभाव के बावजूद रिकॉर्ड के तीन सबसे गर्म वर्षों में से एक था।

– वैश्विक औसत तापमान पूर्व–औद्योगिक (1850–1900) स्तर से लगभग 1.2 डिग्री सेल्सियस अधिक था। यह सामाजिक आर्थिक विकास, प्रवास एवं विस्थापन, खाद्य सुरक्षा एवं भूमि एवं समुद्री पारिस्थितिक तंत्र पर पड़ने वाले प्रभावों पर भी प्रकाश डालता है।

– रिपोर्ट विश्व मौसम विज्ञान संगठन (डब्ल्युएमओ) द्वारा संकलित की गई थी।

OUR BRANCHES: New Delhi | Mumbai | Kolkata | Chennai | Ahmedabad | Bengaluru | Bhilai | Bhubaneswar | Chandigarh | Dehradun | Gandhinagar | Guwahati | Hyderabad| Kanpur | Lucknow | Mehsana | Nagaland | Patna | Raipur | Rajkot | Ranchi | Surat | Vadodara |

WhatsApp no: 7284911227 - 7284811227 chahalacademy@gmail.com

डब्ल्युएमओ का विवरण – विश्व मौसम विज्ञान संगठन (डब्ल्युएमओ) 193 सदस्य राज्यों एवं क्षेत्रों की सदस्यता वाला एक अंतर सरकारी संगठन है। इसकी उत्पत्ति अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन (आईएमओ) से हुई है, जिसकी जड़ें 1873 के वियना अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान कांग्रेस में लगाई गई थीं। 23 मार्च 1950 को डब्ल्युएमओ कन्वेंशन के अनुसमर्थन द्वारा स्थापित, डब्ल्युएमओ एक वर्ष बाद मौसम विज्ञान (मौसम एवं जलवायु), परिचालन जल विज्ञान एवं संबंधित भूभौतिकीय विज्ञान के लिए संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी बन गई। इसका मुख्यालय जिनेवा में, महासचिव के नेतृत्व में है। इसका सर्वोच्च निकाय विश्व मौसम विज्ञान कांग्रेस है।

नागरिक सेवा दिवस – 21 अप्रैल

भारत सरकार प्रतिवर्ष, स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री, सरदार वल्लभभाई पटेल द्वारा 1947 में मेटकाफ हाउस, दिल्ली में प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के परिवीक्षाधीनों को संबोधित करने के दिन, 21 अप्रैल को 'सिविल सेवा दिवस' के रूप में मनाती है। यह दिवस सिविल सेवकों को नागरिकों के लिए खुद को फिर से समर्पित करने एवं सार्वजनिक सेवा एवं काम में उत्कृष्टता के लिए अपनी प्रतिबद्धताओं को नवीनीकृत करने के अवसर के रूप में मनाये जाने का अवसर प्रदान करता है। श्री पटेल ने सिविल सेवकों को 'भारत का स्टील फ्रेम' कहा था।

इस तरह का पहला समारोह विज्ञान भवन, नई दिल्ली में अप्रैल 21, 2006 को आयोजित किया गया था। सिविल सेवक दिवस के हिस्से के रूप में, लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्राथमिकता कार्यक्रम एवं नवाचार श्रेणियों के कार्यान्वयन के लिए जिलों/कार्यान्वयन इकाइयों को प्रधानमंत्री पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। पुरस्कार योजना में देश भर के बड़ी संख्या में जिलों की भागीदारी के साथ, पूरी प्रक्रिया का पैमाना बहुत बड़ा है। प्रत्येक वर्ष सिविल सेवा दिवस पर ये पुरस्कार सिविल सेवकों को एक–दूसरे से जुड़ने एवं लोक शिकायत के क्षेत्र में देश भर में लागू की जा रही अच्छी प्रथाओं को सीखने के लिए एक साथ लाते हैं। सभी लोक प्रशासकों में किए गए कार्यों के परिणामों का जश्न मनाने के लिए इस वार्षिक आयोजन का बेसब्री पूरे वर्ष इंतजार रहता है।

विश्व में वैक्सीन असमानता

संदभ –

1. अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने कार्यालय में अपने पहले 100 दिनों के भीतर 100 मिलियन वैक्सीन खुराक देने का लक्ष्य निर्धारित किया है एवं अधिकारियों से निजी फर्मों को संघीय सरकार के आदेशों को प्राथमिकता देने के लिए रक्षा उत्पादन अधिनियम (डीपीए) का उपयोग करने के लिए कहा है।
2. इस प्रकार भारत में वैक्सीन उत्पादन, जो अमेरिका जैसे देशों से कच्चे माल पर निर्भर करता है, प्रभावित होगा। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (एसआईआई) ने बिडेन से 'कच्चे माल के निर्यात के प्रतिबंध को उठाने' की अपील की ताकि उनकी फर्म उत्पादन को बढ़ावा दे सके। एसआईआई ऑक्सफोर्ड–एस्ट्राजेनेका का निर्माण करती है, जिसे अमेरिकी फर्म नोवावैक्स द्वारा विकसित कोविशील्ड एवं कोवोवैक्स विकसित किया गया है।
3. भारत ने द्विपक्षीय रूप से इस मामले को तत्काल आधार पर अमेरिका के साथ उठाया है। विदेश मंत्री एस. जयशंकर आपूर्ति श्रृंखलाओं को खुला रखने के लिए अमेरिका के संपर्क में थे क्योंकि अमेरिकी कंपनियों का कहना है कि उन्हें डीपीए के कारण निर्यात के लिए सरकारी अनुमति की आवश्यकता है।
4. कोविड–19 के टीकों की ओवरबुकिंग करने वाले देश
   i. ऑक्सफैम एवं एमनेस्टी इंटरनेशनल सहित संगठनों ने पश्चिमी देशों पर अपने लोगों को टीका लगाने के लिए जरूरत से ज्यादा टीके खरीदने का आरोप लगाया है।
   ii. समाचार रिपोर्टों के अनुसार, यूके, कनाडा एवं यूरोपीय संघ उन लोगों में शामिल हैं, जिन्होंने अपनी आबादी की आवश्यकता से अधिक टीकों की बुकिंग कर ली है।
5. टीकों को किफायती बनाया जा सकता है – यूके, जापान, कनाडा एवं स्विटजरलैंड जैसे अमीर देश टीकों के लिए बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलुओं (ट्रिप्स) प्रावधानों में छूट के खिलाफ हैं।
   i. छूट का अर्थ होगा कि फाइजर या मॉडर्ना जैसी फर्मों द्वारा विकसित एक वैक्सीन लाइसेंस शुल्क का भुगतान किए बिना क्षमता वाले देशों द्वारा निर्माण के लिए उपलब्ध होगी।
   ii. इसका अर्थ यह होगा कि खुराक कम एवं मध्यम आय वाले देशों के लिए सुलभ एवं सस्ती है। लेकिन ट्रिप्स के समर्थकों का कहना है कि आईपीआर एवं पेटेंट संरक्षण नवाचार को बढ़ावा देता है।

OUR BRANCHES: New Delhi | Mumbai | Kolkata | Chennai | Ahmedabad | Bengaluru | Bhilai | Bhubaneswar | Chandigarh | Dehradun | Gandhinagar | Guwahati | Hyderabad| Kanpur | Lucknow | Mehsana | Nagaland | Patna | Raipur | Rajkot | Ranchi | Surat | Vadodara |

WhatsApp no: 7284911227 - 7284811227 chahalacademy@gmail.com

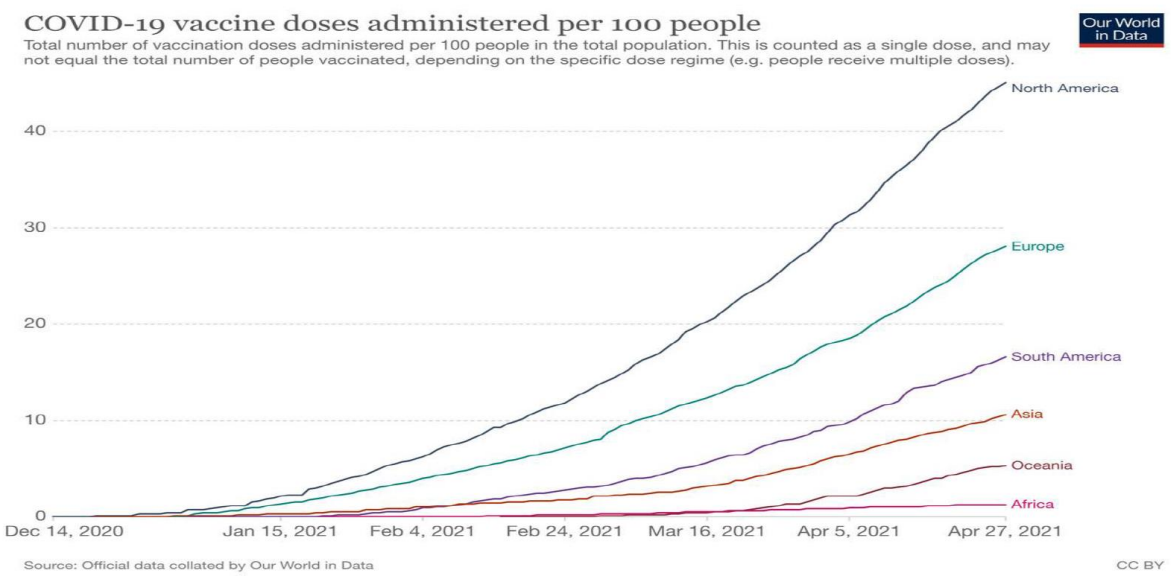

भारत को सीपीसी सूची में होना चाहिए – यूएससीआईआरएफ

द युएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजीयस फ्रीडम (युएससीआईआरएफ) – एक स्वतंत्र द्विदलीय अमेरिकी संघीय सरकार आयोग, ने लगातार दूसरे वर्ष सिफारिश की है कि विदेश विभाग, भारत को 2020 में धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करने वाले देशों की सूची में रखे।

1. यूएससीआईआरएफ की सिफारिशें गैर–बाध्यकारी हैं एवं ट्रम्प प्रशासन ने पिछले वर्ष भारत को सीपीसी ('विशेष चिंता का देश') नामित करने के लिए यूएससीआईआरएफ की सिफारिश को खारिज कर दिया था।
2. अनुशंसा –
   i. युएससीआईआरएफ ने सिफारिश की कि प्रशासन 'धार्मिक स्वतंत्रता के गंभीर उल्लंघन' के लिए भारतीय व्यक्तियों एवं संस्थाओं पर लक्षित प्रतिबंध लगाए।
   ii. एक दूसरी सिफारिश प्रशासन के लिए अंतर–धार्मिक संवाद एवं द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय मंचों पर सभी समुदायों के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए थी 'जैसे कि क्वाड के मिनीस्टरियल्स' ।
   iii. एक और सिफारिश – अमेरिकी कांग्रेस के लिए – यू.एस. – भारत द्विपक्षीय अंतरिक्ष में मुद्दों को उठाना था, जैसे सुनवाई की मेजबानी, पत्र लिखना एवं कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडलों का गठन करना।
   iv. आयोग की 2021 में सीपीसी सूची में रूस, सीरिया एवं वियतनाम थे –
      1. सीपीसी सूची में पहले से ही यूएससीआईआरएफ द्वारा पुर्नपदनाम के लिए अनुशंसित देश बर्मा, चीन, इरिट्रिया, ईरान, नाइजीरिया, उत्तर कोरिया, पाकिस्तान, सऊदी अरब, ताजिकिस्तान एवं तुर्कमेनिस्तान थे।
      2. अफगानिस्तान, अल्जीरिया, अजरबैजान, मिस्र, इंडोनेशिया, इराक, कजाकिस्तान, मलेशिया, तुर्की एवं उजबेकिस्तान को क्यूबा एवं निकारागुआ (दोनों पहले से ही 2019 की सूची में थे) के साथ 'विशेष निगरानी सूची' के लिए अनुशंसित किया गया था।

राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस –

(a) 24 अप्रैल, 1993, संविधान (73 वां संशोधन) अधिनियम, 1992 के माध्यम से पंचायती राज के संस्थाकरण के साथ जमीनी स्तर पर सत्ता के विकेंद्रीकरण के इतिहास में एक निर्णायक क्षण है, जो उस दिन से लागू हुआ।
(b) पंचायती राज मंत्रालय प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस (एनपीआरडी) के रूप में मनाता है, क्योंकि इस तारीख को 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ था। यह अवसर पूरे देश के पंचायत प्रतिनिधियों के साथ सीधे संवाद करने के साथ–साथ उन्हें सशक्त बनाने एवं उन्हें आगे बढ़ाने के लिए उनकी उपलब्धियों को पहचानने का अवसर प्रदान करता है।
(c) पुरस्कार – प्रतिवर्ष, इस अवसर पर, पंचायती राज मंत्रालय सेवाओं एवं सार्वजनिक वस्तुओं के वितरण में सुधार के लिए उनके अच्छे कार्यों को मान्यता देने के लिए पंचायतों को प्रोत्साहन के तहत देश भर में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली पंचायतों/राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को पुरस्कृत करता रहा है।
(d) पुरस्कार विभिन्न श्रेणियों के तहत दिये गए अर्थात – i. दीन दयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार (डीडीयूपीएसपी), ii. नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार (एनडीआरजीजीएसपी), iii. बाल हितैषी ग्राम पंचायत पुरस्कार (सीएफजीपीए), iv. ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) पुरस्कार एवं बनाम ई–पंचायत पुरस्कार (केवल राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए)।

OUR BRANCHES: New Delhi | Mumbai | Kolkata | Chennai | Ahmedabad | Bengaluru | Bhilai | Bhubaneswar | Chandigarh | Dehradun | Gandhinagar | Guwahati | Hyderabad| Kanpur | Lucknow | Mehsana | Nagaland | Patna | Raipur | Rajkot | Ranchi | Surat | Vadodara |
WhatsApp no: 7284911227 - 7284811227 chahalacademy@gmail.com

स्वामित्व योजना के तहत ई–प्रॉपर्टी कार्ड

प्रधानमंत्री ने 5002 गांवों के लगभग 409945 संपत्ति धारकों को स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड/स्वामित्व पत्र (संपत्ति पत्रक) इलेक्ट्रॉनिक रूप से वितरित किए।

(a) स्वामित्व – सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विथ इम्प्रोवाईज़्ड टेक्नॉलोजी इन विलेज – इसे 24 अप्रैल 2020 को प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किया गया था।
(b) योजना का पायलट चरण 2020–2021 के दौरान महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड एवं मध्य प्रदेश राज्यों एवं पंजाब एवं राजस्थान के कुछ सीमावर्ती गांवों में लागू किया गया था।
(c) उद्देश्य – ग्रामीण जनता का सामाजिक–आर्थिक सशक्तिकरण एवं उन्हें आत्मनिर्भर ग्रामीण भारत बनाना। इस योजना में मानचित्रण एवं सर्वेक्षण के आधुनिक तकनीकी उपकरणों का उपयोग करके ग्रामीण भारत को बदलने की क्षमता है। यह ग्रामीणों द्वारा ऋण एवं अन्य वित्तीय लाभ प्राप्त करने के लिए संपत्ति को वित्तीय संपत्ति के रूप में उपयोग करने का मार्ग प्रशस्त करता है। यह योजना 2021–2025 के दौरान पूरे देश के लगभग 6.62 लाख गांवों को कवर करेगी।
(d) लक्ष्य – ग्रामीण आबादी क्षेत्रों में गांव के घर मालिकों को 'अधिकारों का रिकॉर्ड' प्रदान करना एवं डिजिटल संपत्ति कार्ड जारी करना। आंध्र प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड एवं पंजाब एवं राजस्थान के कुछ सीमावर्ती गांवों में लगभग 40,000 हजार गांवों में नेटवर्क ड्रोन उड़ान के साथ–साथ 2020–21 के दौरान पायलट चरण में हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब एवं राजस्थान में निरंतर संचालन प्रणाली (सीओआरएस) स्टेशनों की स्थापना का काम पूरा कर लिया गया है। 2020–2025 के दौरान पूरे देश के लगभग 6.62 गांवों को कवर करते हुए चरणबद्ध तरीके से देश भर में कार्यान्वयन के लिए स्वामित्व योजना। 9 पायलट चरण राज्यों के अलावा, अधिकांश अन्य राज्य ड्रोन सर्वेक्षण के लिए भारतीय सर्वेक्षण के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के अंतिम चरण में हैं। ग्रामीण आबादी क्षेत्र एवं योजना का कार्यान्वयन। इन राज्यों ने डिजिटल संपत्ति कार्ड/शीर्षक विलेख प्रारूप, संपत्ति कार्ड/शीर्षक विलेख के प्रावधान एवं आबादी क्षेत्रों के सर्वेक्षण के लिए उनके अधिनियम में अपेक्षित संशोधन को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। इस योजना में ग्रामीण भारत को बदलने की क्षमता है। यह ग्रामीणों द्वारा ऋण एवं अन्य वित्तीय लाभ लेने के लिए संपत्ति का उपयोग वित्तीय संपत्ति के रूप में करने का मार्ग प्रशस्त करेगा, जैसा कि कस्बों एवं शहरों में होता है। इसके अलावा, यह पहली बार है कि लाखों ग्रामीण संपत्ति मालिकों को लाभ पहुंचाने के लिए आधुनिक तकनीक को शामिल करते हुए इतने बड़े पैमाने पर अभ्यास किया जा रहा है।

कम सेवा वाले क्षेत्रों तक पहुंचने के लिए एनबीएफसी महत्वपूर्ण

(a) एनबीएफसी का महत्व – ऋण वृद्धि – गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) ऋण वृद्धि में एक महत्वपूर्ण योगदानकर्ता हैं, जिन्होंने क्रेडिट पाई का 20 प्रतिशत से अधिक कब्जा कर लिया है।
   i. अल्पसेवा वाले एवं कम बैंकिंग क्षेत्रों में अपनी पहुंच को देखते हुए, वे वित्तीय समावेशन के उद्देश्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
   ii. प्राथमिकता क्षेत्र में सह–उधार मॉडल के तहत हाल ही में संशोधित विनियमन एक ऐसा उपाय है जो बैंकों एवं एनबीएफसी के बीच साझेदारी से उत्पन्न होने वाली कम लागत एवं बेहतर पहुंच के दोहरे लाभों के साथ अधिक वित्तीय समावेशन प्राप्त करने में मदद करेगा।

(b) एनबीएफसी का विवरण –
   i. एनबीएफसी को आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 45–I में परिभाषित किया गया है एवं धारा 45–IA के तहत पंजीकृत किया गया है।
   ii. धारा 45– I(F) के तहत परिभाषा – 'गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी)' का अर्थ है –
      (a) एक वित्तीय संस्थान जो एक कंपनी है,
      (b) एक कंपनी जिसका मुख्य व्यवसाय किसी योजना या व्यवस्था के तहत या किसी अन्य तरीके से जमा प्राप्त करना या किसी भी तरीके से उधार देना है,
      (c) ऐसे अन्य गैर–बैंकिंग संस्थान या ऐसे संस्थानों की श्रेणी, जैसा कि आरबीआई, केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से एवं आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट कर सकता है।
   iii. एनबीएफसी की विशेषताएं –
      1. जमा स्वीकार करने के लिए अधिकृत हैं, या
      2. पिछले वित्तीय वर्ष की ऑडिटेड बैलेंस शीट की तिथि के अनुसार, एक अरब रुपये (100 करोड़) या उससे अधिक की संपत्ति के आकार के साथ ग्राहक इंटरफेस है, या आरबीआई द्वारा निर्धारित किसी भी ऐसे परिसंपत्ति आकार के तहत कवर किया गया है।
   iv. पिछले कुछ वर्षों में, भारिबै ने कुछ विशिष्ट एनबीएफसी बनाए हैं जैसे –
      1. कोर निवेश कंपनियां (सीआईसी) – समूह कंपनियों में इक्विटी शेयरों, वरीयता शेयरों, बांडों, डिबेंचर, ऋण या ऋण में निवेश के रूप में इसकी शुद्ध संपत्ति का 90% से कम नहीं है – उदाहरण – म्युचुअल फंड।
      2. एनबीएफसी – इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनियां (आईएफसी),
      3. अवसंरचना ऋण निधि – एनबीएफसी – उदाहरण – आईएल एंड एफएस।
      4. एनबीएफसी–एमएफआई – सूक्ष्म वित्त संस्थान।

OUR BRANCHES: New Delhi | Mumbai | Kolkata | Chennai | Ahmedabad | Bengaluru | Bhilai | Bhubaneswar | Chandigarh | Dehradun | Gandhinagar | Guwahati | Hyderabad| Kanpur | Lucknow | Mehsana | Nagaland | Patna | Raipur | Rajkot | Ranchi | Surat | Vadodara |
WhatsApp no: 7284911227 - 7284811227 chahalacademy@gmail.com

5. एनबीएफसी–कारक – जिनकी फैक्टरिंग व्यवसाय में वित्तीय संपत्ति, फैक्टरिंग व्यवसाय से प्राप्त संपत्ति एवं कुल आय (कच्चे माल की खरीद के लिए एक पार्टी की ओर से भुगतान) का कम से कम 75% है।

(c) आगे की राह – एनबीएफसी के लिए इलेक्ट्रॉनिक नो योर कस्टमर (ई–केवाईसी) प्रमाणीकरण की अनुमति दी जानी चाहिए, जैसा कि बैंकों के लिए अनुमति है, ताकि क्रेडिट की तेज एवं निर्बाध प्रसंस्करण सक्षम हो सके। अधिकांश छोटे उधारकर्ताओं के पास अन्य मानक केवाईसी दस्तावेज नहीं होते हैं एवं इसलिए आधार प्रमाणीकरण महत्वपूर्ण हो जाता है।

अभ्यास वरुण – 2021

(a) 'वरुण–2021' – भारतीय एवं फ्रांसीसी नौसेना के द्विपक्षीय अभ्यास का 19वां संस्करण 25 से 27 अप्रैल 2021 तक अरब सागर में आयोजित हुआ।
(b) भारतीय नौसेना की ओर से, निर्देशित मिसाइल स्टील्थ विध्वंसक आईएनएस कोलकाता, निर्देशित मिसाइल फ्रिगेट आईएनएस तरकश एवं आईएनएस तलवार, फ्लीट सपोर्ट शिप आईएनएस दीपक, सीकिंग 42बी एवं चेतक इंटीग्रल हेलीकॉप्टर, एक कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी एवं पी8आई लंबी दूरी की समुद्री गश्ती विमान के साथ अभ्यास में भाग लेंगे।
(c) तीन दिवसीय अभ्यास में उन्नत वायु रक्षा एवं पनडुब्बी रोधी अभ्यास, तीव्र फिक्स्ड एवं रोटरी विंग फ्लाइंग ऑपरेशन, सामरिक युद्धाभ्यास सहित समुद्र में उच्च गति–नौसेना संचालन दिखे।

2020–सिपरी में भारत तीसरा सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला

- स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (जो दुनिया भर में सैन्य खर्च एवं हथियारों के व्यापार पर नजर रखता है) द्वारा प्रकाशित डेटा के अनुसार 2020 में भारत तीसरा सबसे अधिक सैन्य खर्च करने वाला देश बन गया।
- विश्व स्तर पर सेना पर खर्च किए गए धन का 39 प्रतिशत अमेरिका के पास था, चीन 13 प्रतिशत एवं भारत का विश्व के कुल हिस्से का 3.7 प्रतिशत हिस्सा था।
- अमेरिका ने 2020 में कुल 778 अरब डॉलर, चीन ने 252 अरब डॉलर एवं भारत का सैन्य खर्च 72.9 अरब डॉलर खर्च किया।
- तीनों देशों ने 2019 की तुलना में अपने सैन्य खर्च में वृद्धि देखी, यहां तक कि एक महामारी वर्ष के दौरान भी।
- स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (सिपरी) का विवरण –
  i. यह थिंक टैंक एक स्वतंत्र अंतरराष्ट्रीय संस्थान है जो संघर्ष, आयुध, हथियार नियंत्रण एवं निरस्त्रीकरण में अनुसंधान के लिए समर्पित है।
  ii. इसकी स्थापना 1966 में स्टॉकहोम (स्वीडन) में हुई थी।
  iii. यह नीति निर्माताओं, शोधकर्ताओं, मीडिया एवं इच्छुक जनता को खुले स्रोतों के आधार पर डेटा, विश्लेषण एवं सिफारिशें प्रदान करता है।

एससीआरआई (सप्लाय चेन रिसिलिएंस इनिशिएटिव) –

- भारत, जापान एवं ऑस्ट्रेलिया के व्यापार मंत्रियों ने औपचारिक रूप से भारत–प्रशांत क्षेत्र में आपूर्ति श्रृंखला के चीन के प्रभुत्व का मुकाबला करने के लिए एक कदम उठाया है।
- उद्देश्य – इस क्षेत्र में अंततः मजबूत, टिकाऊ, संतुलित एवं समावेशी विकास प्राप्त करने की दृष्टि से आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन बढ़ाने का एक अच्छा चक्र बनाना।
- वीडियोकांफ्रेंसिंग द्वारा आयोजित बैठक में भारत के व्यापार मंत्री पीयूष गोयल, ऑस्ट्रेलिया के व्यापार, पर्यटन एवं निवेश मंत्री डैन तेहान एवं जापान के अर्थव्यवस्था, व्यापार एवं उद्योग मंत्री काजियामा हिरोशी ने भाग लिया। मंत्रियों ने आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों से बचने के लिए जोखिम प्रबंधन एवं निरंतरता योजनाओं के महत्व को नोट किया एवं लचीला आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की।
- संभावित नीतिगत उपायों में शामिल हो सकते हैं – (i) डिजिटल प्रौद्योगिकी के बढ़ते उपयोग का समर्थन करना एवं (ii) व्यापार एवं निवेश विविधीकरण का समर्थन करना।
- मंत्रियों ने अपने अधिकारियों को एससीआरआई की प्रारंभिक परियोजनाओं के रूप में निम्नलिखित को लागू करने एवं पहल को आगे विकसित करने का निर्देश दिया – (i) आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पर सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करनाय एवं (ii) हितधारकों को उनकी आपूर्ति श्रृंखला के विविधीकरण की संभावना का पता लगाने के अवसर प्रदान करने के लिए निवेश प्रोत्साहन कार्यक्रम एवं खरीदार–विक्रेता मिलान कार्यक्रम आयोजित करना।

भारत के जैविक खाद्य उत्पादों का निर्यात 51% बढ़ा

पिछले वित्त वर्ष (2019–20) की तुलना में वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान भारत का जैविक खाद्य उत्पादों का निर्यात मूल्य (अमरिकी डॉलर मिलियन) के मामले में 51% बढ़कर 1040 मिलियन अमरीकी डॉलर (7078 करोड़ रुपये) हो गया।

(a) ऑयल केक मील देश से जैविक उत्पाद निर्यात का एक प्रमुख वस्तु रही है, जिसके बाद तिलहन, फलों के गूदे एवं प्यूरी, अनाज एवं बाजरा, मसाले, चाय, औषधीय पौधे उत्पाद, सूखे मेवे, चीनी, दालें, कॉफी, आवश्यक तेल आदि शामिल हैं।
(b) भारत के जैविक उत्पादों को संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ, कनाडा, ग्रेट ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, इजराइल, दक्षिण कोरिया सहित 58 देशों में निर्यात किया गया है।

OUR BRANCHES: New Delhi | Mumbai | Kolkata | Chennai | Ahmedabad | Bengaluru | Bhilai | Bhubaneswar | Chandigarh | Dehradun | Gandhinagar | Guwahati | Hyderabad| Kanpur | Lucknow | Mehsana | Nagaland | Patna | Raipur | Rajkot | Ranchi | Surat | Vadodara |
WhatsApp no: 7284911227 - 7284811227 chahalacademy@gmail.com

(c) जैविक उत्पादों का वर्तमान में भारत से निर्यात तभी किया जाता है जब उन्हें राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (एनपीओपी) की आवश्यकताओं के अनुसार उत्पादित, संसाधित, पैक एवं लेबल किया जाता है।

(d) एनपीओपी प्रमाणन के बारे में –

i. एनपीओपी को एपीडा द्वारा 2001 में अपनी स्थापना के बाद से लागू किया गया है जैसा कि विदेश व्यापार (विकास एवं विनियम) अधिनियम, 1992 के तहत अधिसूचित किया गया है।

ii. एनपीओपी प्रमाणीकरण को यूरोपीय संघ एवं स्विट्जरलैंड द्वारा मान्यता दी गई है जो भारत को अतिरिक्त प्रमाणीकरण की आवश्यकता के बिना इन देशों में असंसाधित संयंत्र उत्पादों का निर्यात करने में सक्षम बनाता है।

iii. घरेलू बाजार में जैविक उत्पादों के व्यापार के लिए एनपीओपी को भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) द्वारा भी मान्यता दी गई है। एनपीओपी के साथ द्विपक्षीय समझौते के तहत शामिल जैविक उत्पादों को भारत में आयात के लिए पुन – प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है।

ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर

ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर ,एक ऐसा उपकरण है जो ऑक्सीजन से समृद्ध उत्पाद गैस स्ट्रीम की आपूर्ति के लिए नाइट्रोजन को चुनिंदा रूप से हटाकर गैस की आपूर्ति (आमतौर पर परिवेशी वायु) से ऑक्सीजन को कॉन्सनट्रेट करता है। सामान्य उपयोग में दो विधियाँ हैं प्रेशर स्विंग एब्सॉर्प्शन एवं मेम्ब्रेन गैस सेपरेशन।

ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर का विवरण –

(a) यह एक चिकित्सा उपकरण है जो परिवेशी वायु को खींचता है, इसे आणविक चलनी के माध्यम से कमरे में ऑक्सीजन को चिकित्सीय स्तर पर कॉन्सनट्रेट करने एवं रोगी तक पहुंचाने के लिए पास करता है।

(b) एक ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर का मूल एक छलनी बैड है। यह हवा से ऑक्सीजन को अलग करता है एवं 95% शुद्धता पर रोगी को देता है।

(c) क्षमता एवं शुद्धता मायने रखती है –

i. भारतीय बाजार में उपलब्ध ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर के दो सबसे सामान्य मॉडल वर्तमान में 5 लीटर एवं 10 लीटर प्रति मिनट का उत्पादन प्रदान करते हैं। बाजार में कुछ ब्रांड 8 लीटर प्रति मिनट की पेशकश भी करते हैं।

ii. क्षमता या शुद्धता से ज्यादा यह समझना जरूरी है कि इस तरह के उपकरण के इस्तेमाल से मरीज कितनी ऑक्सीजन निकाल पाता है। रक्त में कितनी ऑक्सीजन मिल रही है, यह मायने रखता है कि सिलेंडर केवल एक निश्चित मात्रा में ऑक्सीजन को स्टोर कर सकते हैं, लेकिन कॉन्सनट्रेटर आपके आस–पास की हवा को कैप्चर एवं फिल्टर करते हैं।

(d) कोविड–19 मरीजों के लिए मददगार –

i. ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर को पुरानी सांस की बीमारी से पीड़ित लोगों की मदद करने के लिए डिजाइन किया गया था, न कि कोविड–19 जैसी तीव्र स्थितियों में।

ii. 'ऑक्सीजन सांद्रक एक अस्थायी उपाय हो सकता है, बशर्ते मरीजों की ऑक्सीजन की आवश्यकता बहुत अधिक न हो।'

iii. विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के ऑक्सीजन सांद्रता पर तकनीकी विशिष्टताओं के अनुसार, हाइपोक्सैमिक (रक्त में ऑक्सीजन के निम्न स्तर) रोगियों की पहचान एवं निगरानी के लिए पल्स ऑक्सीमीटर का उपयोग एक सांद्रक के साथ किया जाना चाहिए।

तियान्हे

चीन ने 2022 के लिए नियोजित अंतरिक्ष स्टेशन का प्रमुख मॉड्यूल लॉन्च किया –

(a) तियान्हे ('हार्मनी ऑफ द हेवन') – चीन ने एक मानव रहित मॉड्यूल लॉन्च किया जिसमें एक स्थायी अंतरिक्ष स्टेशन पर तीन चालक दल के लिए रहने वाले क्वार्टर होंगे, जिसे 2022 के अंत तक पूरा करने की योजना है।

i. तियान्हे चीन के पहले स्व–विकसित अंतरिक्ष स्टेशन के तीन मुख्य घटकों में से एक है, जो सेवा में एकमात्र अन्य स्टेशन – अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आईएसएस) के प्रतिद्वंद्वी है।

ii. आईएसएस को संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, यूरोप, जापान एवं कनाडा का समर्थन प्राप्त है। चीन को संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा भाग लेने से रोक दिया गया था।

iii. चीन ने हाल के वर्षों में अंतरिक्ष अन्वेषण को प्राथमिकता दी है, जिसका उद्देश्य 2030 तक एक प्रमुख अंतरिक्ष शक्ति बनना है। 2045 तक, यह एक कार्यक्रम स्थापित करने की उम्मीद करता है जो एक वर्ष में हजारों अंतरिक्ष उड़ानें संचालित करता है एवं हजारों टन कार्गो एवं यात्रियों को ले जाता है।

(b) अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आईएसएस) का विवरण –

i. यह लो अर्थ ऑरबिट में एक अंतरिक्ष स्टेशन या रहने योग्य कृत्रिम उपग्रह है।

ii. इसका पहला घटक 1998 में कक्षा में लॉन्च किया गया था, एवं आईएसएस अब लो अर्थ ऑरबिट में मानव निर्मित सबसे बड़ा निकाय है।

iii. आईएसएस एक माइक्रोग्रैविटी एवं अंतरिक्ष पर्यावरण अनुसंधान प्रयोगशाला के रूप में कार्य करता है जिसमें चालक दल के सदस्य जीव विज्ञान, मानव जीव विज्ञान, भौतिकी, खगोल विज्ञान, मौसम विज्ञान एवं अन्य क्षेत्रों में प्रयोग करते हैं।

OUR BRANCHES: New Delhi | Mumbai | Kolkata | Chennai | Ahmedabad | Bengaluru | Bhilai | Bhubaneswar | Chandigarh | Dehradun | Gandhinagar | Guwahati | Hyderabad| Kanpur | Lucknow | Mehsana | Nagaland | Patna | Raipur | Rajkot | Ranchi | Surat | Vadodara |

WhatsApp no: 7284911227 - 7284811227 chahalacademy@gmail.com

केंद्र ने अगले पांच वर्षों के लिए मुद्रास्फीति लक्ष्य 2–6% पर अपरिवर्तित रखा

केंद्र ने वित्तीय वर्ष 2025–26 तक, अगले पांच वर्षों के लिए मौद्रिक नीति ढांचे के मुद्रास्फीति लक्ष्य को 2–6% पर अपरिवर्तित रखने का लक्ष्य रखा है

(a) मुद्रास्फीति के लिए 4% एंकर बिंदु लक्ष्य – 6 प्रतिशत की ऊपरी टोलरेंस सीमा एवं 2 प्रतिशत की निचली सीमा के साथ, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) के संदर्भ में मापी गई मुद्रास्फीति को – सरकार द्वारा 2016 में भारतीय रिजर्व बैंक (भारिबै) के साथ परामर्श में निर्धारित किया गया था।

(b) महत्व – लचीली मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण ढांचे को संपूर्णता में बनाए रखने का निर्णय अच्छी खबर है क्योंकि यह स्थिरता प्रदान करने में मदद करेगा एवं मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) को आने वाले वर्षों में मुद्रास्फीति की उम्मीदों को 4 प्रतिशत हेडलाइन सीपीआई लक्ष्य की ओर धकेलने के अपने प्रयास को जारी रखने की अनुमति देगा।

(c) मौद्रिक नीति समिति का विवरण –
   i. मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गठित एक समिति है एवं इसका नेतृत्व आरबीआई के गवर्नर करते हैं। समिति में छह सदस्य शामिल हैं – भारतीय रिजर्व बैंक के तीन अधिकारी एवं भारत सरकार द्वारा नामित तीन बाहरी सदस्य।
   ii. विशेष लक्ष्य स्तर के भीतर मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए बेंचमार्क नीति ब्याज दर (रेपो दर) तय करने के मिशन के साथ मौद्रिक नीति समिति का गठन किया गया था। मौद्रिक नीति समिति की बैठकें वर्ष में कम से कम 4 बार आयोजित की जाती हैं (विशेषकर, कम से कम एक बार द्वैमासिक) एवं ऐसी प्रत्येक बैठक के बाद निर्णय प्रकाशित किए जाते हैं।
   iii. आरबीआई गवर्नर आंतरिक टीम एवं तकनीकी सलाहकार समिति के समर्थन एवं सलाह से मौद्रिक नीति के फैसलों को नियंत्रित करता है।

म्यांमार में सैन्य जंता के खिलाफ भारतीय बयान

भारतीय बयान जो म्यांमार में सैन्य जंता के खिलाफ जाता है –

(a) "हम हिंसा के किसी भी उपयोग की निंदा करते हैं। हमारा मानना है कि कानून का राज कायम रहना चाहिए, हम म्यांमार में लोकतंत्र की बहाली के लिए खड़े हैं। विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा, हमने राजनीतिक कैदियों की रिहाई का आग्रह किया है एवं मौजूदा स्थिति को हल करने के किसी भी प्रयास का समर्थन किया है, जिसमें आसियान के प्रयास भी शामिल हैं।

(b) यह बयान चल रही सैन्य कार्रवाई में बड़े पैमाने पर नागरिक के हताहत होने से प्रेरित है।

(c) भारत की अब तक की प्रतिक्रिया –
   i. भारत 1 फरवरी के सैन्य अधिग्रहण, जिसने म्यांमार के लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित नेतृत्व को हटा दिया था, के बाद चिंता व्यक्त करने वाले पहले देशों में से एक था।
   ii. हालाँकि, भारत के बाद के व्यवहार ने संकेत दिया कि उसने सैन्य जंता के साथ संचार संबंध बनाए रखना पसंद किया।
   iii. 27 मार्च को, एक भारतीय अधिकारी ने राजधानी नायपीताव में म्यांमार सशस्त्र बल दिवस परेड में भाग लिया, यहां तक कि सेना के लगभग 100 प्रदर्शनकारियों की हत्या के साथ वह दिन सबसे खूनी था।

(d) निंदा का महत्व –
   i. मानवाधिकारों के रक्षक के रूप में भारत की स्थिति बहाल हो गई है।
   ii. म्यांमार में जनमत – चीन के खिलाफ जा रहा है, सैन्य शासन की निंदा से सही रवैया विकसित होगा।

एमएसएमई के लिए आईबीसी में नया संशोधन –

(a) संदर्भ – सरकार ने एक अध्यादेश के माध्यम से दिवाला एवं दिवालियापन संहिता (आईबीसी) में संशोधन किया है, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए पूर्व–पैकेज्ड रिजॉल्यूशन योजनाओं को सक्षम किया है एवं कॉर्पोरेट देनदारों को तनावग्रस्त कंपनी के लिए एक समाधान योजना का प्रस्ताव करने की अनुमति दी है।

(b) प्री–पैक योजना – एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें कॉर्पोरेट ऋणी कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) शुरू करने से पहले सुरक्षित लेनदारों को एक समाधान योजना का प्रस्ताव देता है। इस प्रक्रिया के दौरान, कंपनी समाधान पेशेवर के नियंत्रण में आने के बजाय मौजूदा प्रबंधन द्वारा नियंत्रित होती रहेगी – जिसे कम विघटनकारी प्रक्रिया माना जाता है। समाधान योजना को सुरक्षित लेनदारों द्वारा अनुमोदन के लिए राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) में ले जाया जा सकता है, बशर्ते कि यह उनमें से 66% द्वारा अनुमोदित हो।

(c) महत्त्व –
   i. सबसे पहले, यह विकल्प एमएसएमई की समाधान प्रक्रिया को आसान बनाने में मदद करेगा, क्योंकि यह देखते हुए कि अर्थव्यवस्था में तनावग्रस्त संपत्तियों के लिए पर्याप्त खरीदार नहीं हैं, मौजूदा प्रमोटरों को समाधान प्रक्रिया में भाग लेने का विकल्प नहीं देने से पूंजी नष्ट होने की ओर अग्रसर होगा।
   ii. दूसरा, यह योजना न केवल समाधान प्रक्रिया से जुड़ी लागतों को कम करेगी लेकिन इससे मामलों का तेजी से समाधान भी हो सकता है, क्योंकि चूककर्ता प्रमोटरों द्वारा अपनी फर्मों से चिपके रहने की उम्मीद में लाए गए तुच्छ मुकदमे कम हो जाएंगे।

OUR BRANCHES: New Delhi | Mumbai | Kolkata | Chennai | Ahmedabad | Bengaluru | Bhilai | Bhubaneswar | Chandigarh | Dehradun | Gandhinagar | Guwahati | Hyderabad| Kanpur | Lucknow | Mehsana | Nagaland | Patna | Raipur | Rajkot | Ranchi | Surat | Vadodara |
WhatsApp no: 7284911227 - 7284811227 chahalacademy@gmail.com

आईआरवी 2020 –

समाचार – 3,000 गैंडों की आबादी प्राप्त करने का लक्ष्य लगभग हासिल कर लिया गया है, लेकिन योजना बनाई गई चार संरक्षित क्षेत्रों में से केवल एक में जानवर को फिर से शामिल किया जा सका है।

(a) इंडियन राइनो विजन 2020 (आईआरवी2020) – माना जाता है कि आईआरवी2020 ने असम में 3,000 गैंडों की आबादी हासिल करने के अपने लक्ष्य को हासिल कर लिया है।
(b) हाल ही में इसने असम के मानस नेशनल पार्क में दो गैंडों एक वयस्क नर एवं एक मादा को पोबितोरा वन्यजीव अभयारण्य से लगभग 185 किमी पूर्व में ले जाया गया।
(c) मानस के उद्धारकर्ता –
   i. 1980 के दशक तक असम में कम से कम पांच गैंडे वाले क्षेत्र थे। बेहतर संरक्षण प्रयासों ने काजीरंगा, ओरंग एवं पोबितोरा में एक सींग वाले शाकाहारी जीवों की आबादी को बनाए रखने में मदद की, लेकिन अतिक्रमण एवं अवैध शिकार ने मानस एवं लाओखोवा वन्यजीव अभयारण्य से जानवर को मिटा दिया।
   ii. मानस, पिग्मी हॉग के निकट–विलुप्त होने के लिए ध्यान में रखते हुए, यूनेस्को से काजीरंगा के साथ 1985 में प्राप्त विश्व धरोहर स्थल का टैग खो गया।

2005 में डब्ल्यूडब्ल्यूएफ–इंडिया, इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन एवं यूएस फिश एंड वाइल्डलाइफ सर्विस के साथ साझेदारी में असम वन विभाग द्वारा शुरू किया गया।

आईआरवी 2020 का विवरण – इस कार्यक्रम का उद्देश्य गैंडों की संख्या एवं सीमा को बढ़ाना है। असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एवं पोबितोरा वन्यजीव अभयारण्य से जंगल से जंगल स्थानान्तरण के माध्यम से मानस राष्ट्रीय उद्यान, बुराचपोरी वन्यजीव अभयारण्य, लाओखोवा वन्यजीव अभयारण्य एवं डिब्रु–सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान सहित संभावित संरक्षित क्षेत्रों में गैंडों को बसाना है। विजन 2020 तक अपने सात संरक्षित क्षेत्रों में वितरित असम में 3000 जंगली गैंडों की आबादी को प्राप्त करना था।

एनजीटी ने 8 सदस्य राष्ट्रीय कार्य बल का गठन करने का निर्देश दिया

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने देश में 124 गैर–प्राप्ति शहरों (एनएसी) की वायु गुणवत्ता निगरानी की निगरानी के लिए आठ सदस्यीय राष्ट्रीय टास्क फोर्स के गठन का निर्देश दिया है।

(a) सदस्य – टास्क फोर्स में आवास एवं शहरी विकास, सड़क परिवहन, पेट्रोलियम, बिजली, कृषि, स्वास्थ्य मंत्रालय एवं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष के सदस्य होंगे।
(b) समारोह – टास्क फोर्स एनएसी में वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए उपचारात्मक कदमों की निगरानी करेगा – ऐसे स्थान जहां वायु गुणवत्ता आम तौर पर खराब रही है एवं पांच वर्ष के लिए प्रदूषण मानकों का उल्लंघन हुआ है – पहले से तैयार कार्य योजनाओं के अनुरूप, एवं शोर नियंत्रण मानदंडों के अनुपालन की निगरानी
(c) चिंता – देश के 124 प्रमुख शहर लगातार पांच वर्ष से अधिक समय से निर्धारित वायु गुणवत्ता मानकों का अनुपालन नहीं कर रहे हैं, यह गंभीर राष्ट्रीय चिंता का विषय है।
(d) ट्रिब्यूनल ने पर्यावरण मंत्रालय एवं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को राज्य एवं जिला पर्यावरण डेटा ग्रिड एवं ऑनलाइन वायु गुणवत्ता पोर्टल से जुड़े राष्ट्रीय पर्यावरण डेटा ग्रिड को स्थापित करने एवं समय–समय पर अद्यतन करने के लिए कहा है, ताकि अनुसंधान, विश्लेषण एवं योजना को सुविधाजनक बनाया जा सके।

एनजीटी का विवरण – पर्यावरण संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी एवं शीघ्र निपटान एवं वनों तथ अन्य प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण जिसमें पर्यावरण से संबंधित किसी भी कानूनी अधिकार को लागू करना एवं व्यक्तियों एवं संपत्ति को नुकसान के लिए राहत एवं मुआवजा देना एवं उससे जुड़े या उसके आनुषंगिक मामले शामिल हैं, के लिए राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना की गई है। यह बहु–विषयक मुद्दों से जुड़े पर्यावरणीय विवादों को संभालने के लिए आवश्यक विशेषज्ञता से लैस एक विशेष निकाय है। ट्रिब्यूनल सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के तहत निर्धारित प्रक्रिया से बाध्य नहीं होगा, लेकिन प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होगा।

पर्यावरणीय मामलों में ट्रिब्यूनल का समर्पित क्षेत्राधिकार त्वरित पर्यावरणीय न्याय प्रदान करेगा एवं उच्च न्यायालयों में मुकदमेबाजी के बोझ को कम करने में मदद करेगा। ट्रिब्यूनल को आवेदनों या अपीलों को दाखिल करने के 6 महीने के भीतर अंतिम रूप से निपटाने के लिए प्रयास करना एवं प्रयास करना अनिवार्य है।

यूरोपीय परिषद ने यूरोपीय संघ की इंडो–पैसिफिक रणनीति को मंजूरी दी

1. **संदभ** – यूरोपीय संघ की परिषद ने 'क्षेत्रीय स्थिरता, सुरक्षा, समृद्धि एवं सतत विकास क्षेत्र' में योगदान करने के उद्देश्य से इस क्षेत्र में 'अपने रणनीतिक फोकस, उपस्थिति एवं कार्यों को सुदृढ़ करने' के लिए इंडो–पैसिफिक में सहयोग के लिए, बढ़ती चुनौतियों एवं तनाव के समय में एक यूरोपीय संघ की रणनीति पर निष्कर्ष को मंजूरी दी है।

OUR BRANCHES: New Delhi | Mumbai | Kolkata | Chennai | Ahmedabad | Bengaluru | Bhilai | Bhubaneswar | Chandigarh | Dehradun | Gandhinagar | Guwahati | Hyderabad| Kanpur | Lucknow | Mehsana | Nagaland | Patna | Raipur | Rajkot | Ranchi | Surat | Vadodara |
WhatsApp no: 7284911227 - 7284811227 chahalacademy@gmail.com

2. **वर्तमान में –**
   i. इंडो–पैसिफिक में गतिशीलता ने गहन भू–राजनीतिक प्रतिस्पर्धा को जन्म दिया है, जिससे व्यापार एवं आपूर्ति श्रृंखलाओं के साथ–साथ तकनीकी, राजनीतिक एवं सुरक्षा क्षेत्रों में तनाव बढ़ रहा है। मानवाधिकारों को भी चुनौती दी जा रही है।
   ii. ये घटनाक्रम तेजी से क्षेत्र एवं उससे आगे की स्थिरता एवं सुरक्षा के लिए खतरा हैं, सीधे यूरोपीय संघ के हितों पर प्रभाव डाल रहे हैं।
   iii. इंडो–पैसिफिक के लिए नए सिरे से यूरोपीय संघ की प्रतिबद्धता का दीर्घकालिक फोकस होगा एवं यह 'लोकतंत्र, मानवाधिकारों, कानून के शासन एवं अंतरराष्ट्रीय कानून के सम्मान को बनाए रखने' पर आधारित होगा।
   iv. यूरोपीय संघ का उद्देश्य प्रभावी नियम–आधारित बहुपक्षवाद को बढ़ावा देना होगा, आसियान (दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संघ) केंद्रीयता के लिए अपने समर्थन को दोहराते हुए, एक बिंदु पर भी भारत ने जोर दिया।

3. **कोविड–19 प्रभाव –**
   i. यूरोपीय संघ कोविड–19 के आर्थिक एवं मानवीय प्रभावों को कम करने के लिए मिलकर काम करेगा।
   ii. व्यापार एवं निवेश, पारस्परिकता, लचीलेपन को मजबूत करने, जलवायु परिवर्तन से निपटने एवं यूरोपीय संघ के साथ कनेक्टिविटी का समर्थन करने के लिए एक खुला एवं निष्पक्ष वातावरण बनाएगा।
   iii. व्यापार साझेदारी पर, यूरोपीय संघ का लक्ष्य ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया एवं न्यूजीलैंड के साथ मुक्त व्यापार समझौतों को समाप्त करना होगा एवं चीन के साथ निवेश पर व्यापक समझौते की दिशा में और कदम उठाने होंगे।
   iv. यूरोपीय संघ भारत के साथ गहन आर्थिक संबंधों का पता लगाना जारी रखेगा।

4. **सुरक्षा सहयोग –**
   i. यूरोपीय संघ सुरक्षा एवं रक्षा के क्षेत्रों में भागीदारी विकसित करना जारी रखेगा, जिसमें समुद्री सुरक्षा, दुर्भावनापूर्ण साइबर गतिविधियों, दुष्प्रचार, उभरती प्रौद्योगिकियों, आतंकवाद एवं संगठित अपराध को संबोधित करना शामिल है।
   ii. क्रिमारीयो (सीआरआईएमऐआरआईओ) – सुरक्षा सहयोग पर, परिषद ने कहा कि समुद्री डोमेन जागरूकता के माध्यम से हिंद महासागर में महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों की रक्षा के अपने अनुभव के आधार पर, यूरोपीय संघ ने अपने क्रिमारीयो (क्रिटिकल मैरीटाइम रूट्स) II गतिविधियों के भौगोलिक दायरे का यूरोपीय संघ के साथ संचार के सुरक्षित समुद्री मार्गों में योगदान करने की दृष्टि से हिंद महासागर दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया में विस्तार करने का निर्णय लिया है।

<u>यूरोपीय संघ का विवरण</u> – यूरोपीय संघ (ईयू) 27 सदस्य देशों का एक राजनीतिक एवं आर्थिक संघ है जो मुख्य रूप से यूरोप में स्थित हैं। यूरोपीय संघ की नीतियों का उद्देश्य आंतरिक बाजार के भीतर लोगों, माल, सेवाओं एवं पूंजी की मुक्त आवाजाही सुनिश्चित करना है। यूरोपीय संघ एवं यूरोपीय नागरिकता तब स्थापित हुई जब 1993 में मास्ट्रिच संधि लागू हुई।

<u>यूरोपीय परिषद का विवरण</u> – यूरोपीय परिषद (अनौपचारिक रूप से ईयूसीओ) एक कॉलेजिएट निकाय है जो यूरोपीय संघ की समग्र राजनीतिक दिशाओं एवं प्राथमिकताओं को परिभाषित करता है। इसमें यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एवं यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष के साथ यूरोपीय संघ के सदस्य राज्यों के राज्य या सरकार के प्रमुख शामिल हैं। 1975 में एक अनौपचारिक शिखर सम्मेलन के रूप में स्थापित, यूरोपीय परिषद को 2009 में लिस्बन की संधि के लागू होने पर एक संस्था के रूप में औपचारिक रूप दिया गया था। इसके वर्तमान अध्यक्ष बेल्जियम के पूर्व प्रधानमंत्री चार्ल्स मिशेल हैं।

जस्टिस एन वी रमना ने सीजेआई के रूप में शपथ ली

- जस्टिस नुथलापति वेंकट रमना ने राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद द्वारा भारत के 48 वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली।
- न्यायमूर्ति रमण को जून 2000 में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था।
- उन्होंने मार्च एवं मई 2013 के बीच एक संक्षिप्त अवधि के लिए आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी कार्य किया।
- उसी वर्ष सितंबर में, फरवरी 2014 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने से पहले दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था।
- उन्होंने जम्मू एवं कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने, इंटरनेट की बहाली, घाटी में, अरुणाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार की बहाली एवं सूचना का अधिकार अधिनियम से संबंधित कई हाई प्रोफाइल मामलों को शीर्ष अदालत में निपटाया।

◄ ► ◄ ►◄ ►

OUR BRANCHES: New Delhi | Mumbai | Kolkata | Chennai | Ahmedabad | Bengaluru | Bhilai | Bhubaneswar | Chandigarh | Dehradun | Gandhinagar | Guwahati | Hyderabad| Kanpur | Lucknow | Mehsana | Nagaland | Patna | Raipur | Rajkot | Ranchi | Surat | Vadodara |

WhatsApp no: 7284911227 - 7284811227 chahalacademy@gmail.com

सामान्य अध्ययन –1

संस्थान, जाति एवं विश्वास का महत्वपूर्ण दल

जातियों पर आईएचडीएस एवं राज्य सरकारों, न्यायपालिका एवं पुलिस पर उनके भरोसे पर आधारित निष्कर्ष
सामान्य अध्ययन 1 – समाज

प्रसंग –

- विश्वास बाजारों एवं सार्वजनिक संस्थानों के माध्यम से आय एवं वृद्धि को प्रभावित करता है।
- विश्वास एवं वित्तीय बाजारों के विकास के बीच सकारात्मक संबंध है।
- इन बाजारों का संचालन देनदारों की विश्वसनीयता पर निर्भर है, क्योंकि बकाया की वसूली के कानूनी तरीकों में देरी एवं भारी खर्च होता है।
- श्रम बाजारों की ओर मुड़ते हुए, उच्च विश्वास श्रम एवं प्रबंधन के बीच सहकारी संबंधों के उच्च स्तर एवं संघीकरण के उच्च स्तर' में प्रकट होता है।
- वास्तव में, जिन फर्मों में उनके कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाली यूनियनें हैं, वे नई प्रबंधन विधियों के अनुकूल होने एवं बेहतर उत्पादकता दिखाने में सक्षम हैं।
- साक्ष्य विश्वास एवं कानूनी प्रणाली की गुणवत्ता के बीच एक मजबूत सकारात्मक संबंध का सुझाव देते हैं।
- विश्वास एवं शासन की गुणवत्ता के बीच एक समान संबंध है।
- यहां, हमारा ध्यान इस बात पर है कि क्या राज्य सरकार, न्यायपालिका एवं पुलिस जैसी संस्थाओं में विश्वास जाति के आधार पर भिन्न होता है।

भारत मानव विकास सर्वेक्षण – भारत मानव विकास सर्वेक्षण (आईएचडीएस) मैरीलैंड विश्वविद्यालय एवं नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च (एनसीएईआर) द्वारा आयोजित किया गया था।

मुख्य शब्द भरोसा है –

- भारत मानव विकास सर्वेक्षण (आईएचडीएस) के 2005 एवं 2012 के दौर की एक अनूठी विशेषता यह है कि वे विश्वास पर एक प्रश्न पूछते हैं।
  – सार्वजनिक संस्थानों में विश्वास उन पर भरोसे के संदर्भ में मापा जाता है – अधिक विश्वास, केवल कुछ आत्मविश्वास एवं शायद ही कोई विश्वास।
- जाति पदानुक्रम सामाजिक–आर्थिक स्थिति को दर्शाता है।
- सर्वेक्षण में शामिल अधिकांश परिवारों में 2012 में राज्य सरकारों पर विश्वास की कमी थी।
- सबसे भरोसेमंद न्यायपालिका थी, उसके बाद राज्य सरकारें एवं फिर पुलिस।
- सर्कुलेरिटी से बचने के लिए संस्थाओं पर भरोसा 2012 के लिए है एवं जाति पदानुक्रम 2005 के लिए है।
  – समग्र जाति श्रेणी में, सामान्य, उच्चतम अनुपात (आधे से कम) में केवल कुछ आत्मविश्वास था, 30% से कम के पास बहुत अधिक आत्मविश्वास था जबकि लगभग एक चौथाई को शायद ही कोई आत्मविश्वास था।
  – अपिव के एक उच्च अनुपात ने भी बहुत अधिक विश्वास की सूचना दी, इससे अधिक अनुपात ने बहुत अधिक विश्वास प्रदर्शित किया एवं बहुत कम अनुपात में शायद ही कोई आत्मविश्वास था।
  – इसके ठीक विपरीत, अनुसूचित जातियों में, उच्चतम अनुपात (45% से कम) ने बहुत अधिक विश्वास प्रदर्शित किया, एक छोटे अनुपात में केवल कुछ विश्वास था, एवं बहुत कम अनुपात में शायद ही कोई विश्वास था।
  – अजजा, ने हालांकि, अपिव के समान पैटर्न प्रदर्शित नही किया।

एक कारण के रूप में कोटा –

- अनुसूचित जाति का राज्य सरकारों पर विश्वास –
  – एक कारण कोटा है।
  – एक और कारण अटकल या अनुमान है।
  – जबकि सामाजिक–आर्थिक पदानुक्रम में उच्च पदों पर बैठे लोगों के पास अन्य विकल्प होने की संभावना है (सापेक्ष संपन्नता से उपजे हुए), अनुसूचित जातियां काफी हद तक राज्य की उदारता पर निर्भर हैं।
  – अनुसूचित जनजाति, इसके विपरीत, जबकि कोटा पर निर्भर हैं, इतने अलग–थलग हैं कि उनके पास सामाजिक सुरक्षा जाल का सीमित अनुभव है।
- जातियों में विश्वास को लेकर थोड़ी भिन्नता के साथ, न्यायपालिका में विश्वास बहुत व्यापक है।
  – प्रत्येक जाति केएक बड़े बहुमत ने बहुत अधिक विश्वास दिखाया, लगभग तीन–चौथाई अनुसूचित जनजातियों ने बहुत अधिक विश्वास की सूचना दी।
  – मुश्किल से विश्वास वाले लोगों का अनुपात बहुत कम था, जो 5% से 7% के बीच था।
  – मामलों की अधिकता एवं लंबे समय तक देरी को देखते हुए ये निष्कर्ष वास्तव में आश्चर्यजनक हैं।
- एक कानून प्रवर्तन एजेंसी के रूप में पुलिस के लिए एक और आश्चर्यजनक विरोधाभास सामने आया।

OUR BRANCHES: New Delhi | Mumbai | Kolkata | Chennai | Ahmedabad | Bengaluru | Bhilai | Bhubaneswar | Chandigarh | Dehradun | Gandhinagar | Guwahati | Hyderabad| Kanpur | Lucknow | Mehsana | Nagaland | Patna | Raipur | Rajkot | Ranchi | Surat | Vadodara |
WhatsApp no: 7284911227 - 7284811227 chahalacademy@gmail.com

– अजजा में सबसे कम होने के साथ, 13%–18% की एक संकीर्ण सीमा में पुलिस पर विश्वास सबसे कम था।
– 30% से अधिक ने शायद ही कोई विश्वास दिखाया हो, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति में सबसे अधिक।
– निचली जातियों के खिलाफ व्याप्त भ्रष्टाचार एवं भेदभाव को देखते हुए यह आश्चर्य की बात नहीं है।

समावेशन की आवश्यकता –

- विश्वास का एक घटक पिछली पीढ़ियों से विरासत में मिली मान्यताओं से आकार लेता है, एवं दूसरा समकालीन वातावरण द्वारा।
- 2005 एवं 2012 के बीच इन संस्थानों पर भरोसा बढ़ा।
- हालांकि, हाल में विश्वास में तेज गिरावट का संकेत मिलता है, संभवतः इसकी वजह
  – राज्य सरकार की नीतियां जो समावेशी होने से दूर हैं,
  – न्यायिक फैसले जो स्वायत्तता एवं निष्पक्षता के उच्च मानकों के अनुरूप नहीं हैं, एवं
  – पुलिस की कार्रवाइयाँ जो नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन करती हैं, एवं अक्सर क्रूर होती हैं।
- जबकि प्रारंभिक विश्वासों का विकास धीमा होना तय है, एक नीतिगत वातावरण में परिवर्तन जो समावेशी एवं पारदर्शी है, वह भी कठिन है, लेकिन नागरिकों के बीच बढ़ती जागरूकता से इसे सुगम बनाने की संभावना है।

वह अंबेडकर, जिन्हें हम नहीं जानते

एक संस्था निर्माता, श्रमिकों के अधिकारों के नेता
सामान्य अध्ययन 1 – महत्वपूर्ण व्यक्तित्व (डॉ. बी. आर. अंबेडकर)

संदभ – राष्ट्र इस महीने बी.आर. अंबेडकर की 130वीं जयंती मना रहा है। राष्ट्र निर्माण में अम्बेडकर की भूमिका – अम्बेडकर एक संस्था निर्माता के रूप में अग्रणी थे।

अंबेड़कर का राश्ट्र निर्माण में योगदान –

- अंबेड़कर एक संस्था निर्माता के रूप में प्रमुख थे।
- 'रुपये की समस्या – इसकी उत्पत्ति एवं इसका समाधान' में निर्धारित उनके दिशानिर्देशों से, हिल्टन यंग ने आरबीआई की स्थापना की सिफारिश की।
- वायसराय की कार्यकारी परिषद (1942–46) में एक श्रमिक सदस्य के रूप में, उन्होंने जल, बिजली श्रम कल्याण क्षेत्रों में कई नीतियां विकसित कीं।
  – उनकी दूरदर्शिता ने केंद्रीय जल आयोग, केंद्रीय तकनीकी पावर बोर्ड एवं एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन की स्थापना में मदद की।
  – अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम, 1956 एवं नदी बोर्ड अधिनियम 1956 उनकी दूरदृष्टि से ही संभव हो पाया।
- अम्बेडकर प्रत्येक मंच पर दलित वर्गों की आवाज थे।
  – गोलमेज सम्मेलन में, उन्होंने श्रम के कारण एवं किसानों की स्थिति में सुधार का समर्थन किया।
  – 1937 में, उन्होंने कोंकण में खोटी प्रथा को समाप्त करने के लिए एक विधेयक पेश किया।
  – 1938 में, उनके ऐतिहासिक बॉम्बे काउंसिल हॉल किसान मार्च ने उन्हें किसानों एवं श्रमिकों के बीच लोकप्रिय बना दिया।
  – वे देश के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कृषि में भू–दासत्व को समाप्त करने के लिए एक विधेयक पेश किया।
  – उन्होंने भारत की कृषि समस्या के उत्तर के रूप में औद्योगीकरण का प्रस्ताव रखा।
- बॉम्बे असेंबली में, उन्होंने औद्योगिक विवाद विधेयक, 1937 को पेश करने का विरोध किया क्योंकि इसने श्रमिकों के 'हड़ताल के अधिकार' को हटा दिया था।
- उन्होंने 'श्रम की उचित स्थिति' हासिल करने के बजाय 'श्रम के जीवन की उचित स्थिति' की वकालत की एवं सरकार की श्रम नीति की बुनियादी संरचना तैयार की।
- उन्होंने श्रमिकों के कल्याण के लिए निम्नलिखित योगदान दिया।
  – काम के घंटों को घटाकर 48 घंटे/सप्ताह करना
  – कोयला खदानों में महिलाओं के रोजगार पर लगे प्रतिबंध को हटाना
  – ओवरटाइम, भुगतान छुट्टी एवं न्यूनतम मजदूरी का प्रावधान
  – 'समान काम के लिए समान वेतन' के सिद्धांत को स्थापित करने में भी मदद की।
- उन्होंने साम्यवादी श्रमिक आंदोलनों एवं उत्पादन के सभी साधनों को नियंत्रित करने के उनके दृष्टिकोण का स्पष्ट विरोध किया।
- मसौदा समिति के अध्यक्ष के रूप में, अम्बेडकर ने स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के माध्यम से एक न्यायपूर्ण समाज के निर्माण के लिए सावधानीपूर्वक उपाय किए।
  – सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के लिए उनकी वकालत ने यह सुनिश्चित किया कि स्वतंत्रता के तुरंत बाद महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त हो।
  – हिंदू कोड बिल की उनकी वकालत महिलाओं को गोद लेने एवं विरासत में प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करके उनकी दुर्दशा को सुधारने की दिशा में एक क्रांतिकारी उपाय था।

OUR BRANCHES: New Delhi | Mumbai | Kolkata | Chennai | Ahmedabad | Bengaluru | Bhilai | Bhubaneswar | Chandigarh | Dehradun | Gandhinagar | Guwahati | Hyderabad| Kanpur | Lucknow | Mehsana | Nagaland | Patna | Raipur | Rajkot | Ranchi | Surat | Vadodara |

WhatsApp no: 7284911227 - 7284811227 chahalacademy@gmail.com

- अम्बेडकर ने संघीय वित्त के विकास में भी योगदान दिया।

निष्कष – अम्बेडकर ने कई भूमिकाएँ अदा की – एक प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री, सक्रिय राजनेता, प्रख्यात वकील, श्रमिक नेता, महान सांसद एवं एक अच्छे विद्वान। अम्बेडकर के विचारों की गंभीरता, राष्ट्र–निर्माता के रूप में उनकी भूमिका एवं सामाजिक ताने–बाने को मजबूत करने एवं एक न्यायपूर्ण समाज एवं मजबूत राष्ट्र के निर्माण के लिए किए गए कार्यों को समझने के लिए उनके सभी पहलुओं पर चिंतन करना अनिवार्य है।

मंदिर राज्य की जागीर नहीं हैं

समुदाय द्वारा जिस बात पर जोर दिया जा रहा है वह है मंदिरों के प्रबंधन के मामलों में प्रतिनिधित्व का अधिकार
सामान्य अध्ययन 1 – भारतीय संस्कृति

संदर्भ –
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार के 'उत्तराखंड चार धाम देवस्थानम प्रबंधन अधिनियम' को रद्द करते हुए 51 मंदिरों को मुक्त किया

उत्तराखंड चार धाम देवस्थानम प्रबंधन अधिनियम क्या है?
- 2019 में, त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार ने प्रमुख हिंदू धार्मिक संस्थानों का नियंत्रण लेते हुए उत्तराखंड चार धाम देवस्थानम प्रबंधन अधिनियम को विधानसभा में पारित किया था।
- अधिनियम ने सरकार को इसके प्रबंधन के लिए मंदिर के बोर्ड के अध्यक्ष एवं सदस्यों के रूप में सांसदों, विधायकों एवं प्रतिनिधियों को नामित करने की अनुमति दी।
- इस अधिनियम की विपक्ष एवं पीड़ित पुजारियों द्वारा भारी आलोचना की गई, जो कथित तौर पर दावा करते हैं कि उन्हें कानून के संबंध में 'अंधेरे में रखा गया'।
- भाजपा के सुब्रमण्यम स्वामी ने एक जनहित याचिका दायर कर संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए दावा किया था कि यह संविधान के अनुच्छेद 31 ए (1) (b), अनुच्छेद 25 एवं 26 का उल्लंघन करती है।

एक मिथक –
- मंदिरों के संप्रभु नियंत्रण को सही ठहराने के लिए एक मिथक फैलाया गया है – कि हिंदू मंदिरों की देखरेख एवं प्रबंधन राजाओं द्वारा किया जाता था, जो 'आदतन मंत्रालयों को मंदिरों एवं धर्मार्थ निकायों की निगरानी के लिए नियुक्त करते थे'।
- उपनिवेशवादियों द्वारा बनाए गए कई मिथकों की तरह, इसका भी दुरुपयोग किया गया – इस दावे का समर्थन करने के लिए ऐतिहासिक स्रोत का एक टुकड़ा भी नहीं है।
- इसके विपरीत पत्थर में खुदे हुए शिलालेख हैं, जो इस बात की पुष्टि करते हैं कि मंदिरों का प्रबंधन पूरी तरह से स्थानीय समुदायों द्वारा किया जाता था।

धर्म में राज्य –
- राज्य ने यह निर्धारित करने के लिए धार्मिक पदाधिकारियों की भूमिका ग्रहण की है कि मठों के प्रमुख कौन होंगे एवं पूजा करने का अधिकार होगा।
  – उदाहरण के लिए, श्री जगन्नाथ मंदिर अधिनियम, 1954 ने राज्य द्वारा नियुक्त समिति को सेवा पूजा के प्रदर्शन को सुनिश्चित करने का कार्य सौंपा।
  – जब पुरी के राजा द्वारा राजा बिरकिशोर बनाम उड़ीसा राज्य में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अधिनियम पर सवाल उठाया गया था, तो न्यायालय ने एक रहस्योद्घाटन किया – पूजा का प्रदर्शन वास्तव में एक धर्मनिरपेक्ष कार्य है एवं इसलिए, राज्य उचित है इसके नियमन में।
- धर्म के धर्मनिरपेक्ष पहलुओं के राज्य विनियमन के अभ्यास को अत्यधिक लंबाई में ले जाया गया जब न्यायालय ने फैसला सुनाया कि राज्य, मंदिर के पुजारियों की नियुक्ति करके, एक धर्मनिरपेक्ष कार्य (शेषम्मल एवं अन्य, आदि बनाम तमिलनाडु राज्य) का प्रयोग कर रहा था।
- धर्मनिरपेक्षता की हम जिस भी शैली का समर्थन करते हैं, निश्चित रूप से भारतीय राज्य आस्तिक को यह नहीं बताना है कि उसे देवता की पूजा कैसे करनी है एवं न ही यह देवता के संरक्षक को बताना है कि उसे कैसे नियुक्त किया जाएगा।

विभिन्न पहलू
- संविधान सभा ने हिंदू समाज के कुछ वर्गों में प्रवेश के ऐतिहासिक निषेध को ध्यान में रखते हुए धार्मिक स्वतंत्रता खंड तैयार किए।

OUR BRANCHES: New Delhi | Mumbai | Kolkata | Chennai | Ahmedabad | Bengaluru | Bhilai | Bhubaneswar | Chandigarh | Dehradun | Gandhinagar | Guwahati | Hyderabad| Kanpur | Lucknow | Mehsana | Nagaland | Patna | Raipur | Rajkot | Ranchi | Surat | Vadodara |
WhatsApp no: 7284911227 - 7284811227 chahalacademy@gmail.com

- अनुच्छेद 25(2) राज्य को दो अलग–अलग पहलुओं पर कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है।
  – अनुच्छेद 25(2)(ए) राज्य को 'आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक या अन्य धर्मनिरपेक्ष गतिविधियों को विनियमित करने का अधिकार देता है जो धार्मिक अभ्यास से जुड़ी हो सकती हैं'।
  – अनुच्छेद 25(2)(इ) राज्य को एक सार्वजनिक चरित्र के हिंदू मंदिरों में प्रवेश करने के लिए हिंदू समाज के 'वर्गों एवं भागों' के बहिष्कार को प्रतिबंधित करने एवं सामाजिक कल्याण एवं सुधार के लिए भी कानून बनाने में सक्षम बनाता है।
- इस प्रकार, धर्म से जुड़े धर्मनिरपेक्ष पहलुओं पर नियंत्रण एवं हिंदू मंदिरों को समाज के सभी वर्गों एवं वर्गों के लिए खोलने की शक्ति अलग है।
- धर्मनिरपेक्ष पहलुओं पर नियंत्रण किसी सामाजिक सुधार का पैमाना नहीं है।
- इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो, हिंदू धार्मिक एवं धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग 'सामाजिक न्याय के लिए एक ट्रिब्यून' नहीं है जैसा कि लेख में तर्क दिया गया है एवं न ही इसने कभी पूजा के समान पहुंच की गारंटी दी है।
- संविधान का पाठ कहीं भी राज्य को धार्मिक संस्थानों से संबंधित संपत्तियों का स्वामित्व ग्रहण करने एवं उन्हें राज्य की उदारता के रूप में व्यवहार करने की अनुमति नहीं देता है।
- संविधान के तहत धार्मिक संस्थानों की संपत्ति पर अधिकार करने के लिए राज्य को अधिकार देने का एकमात्र अधिकार अनुच्छेद 31 ए (b) के तहत है।
- बंदोबस्ती कानूनों के विधायी अभ्यास का इतिहास केवल धर्मनिरपेक्ष गतिविधियों के नियमन को सुनिश्चित करने में राज्य के विशेषाधिकार को प्रकट करता है।
- वास्तव में, शिरूर मठ मामले ने 1951 के अधिनियम के कुछ प्रावधानों को बरकरार रखते हुए, अधिनियम के एक बड़े हिस्से को धार्मिक स्वतंत्रता के षविनाशकारी आक्रमणष के रूप में वर्णित किया।
- 1959 में, विधायिका ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा बताए गए दोषों को शब्दशः जोड़कर ठीक किया, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने 1954 में रोक दिया था।

दान के नियम –

- वक्फ अधिनियम का हिंदू धार्मिक बंदोबस्तों के नियंत्रण की वैधता के लिए औचित्य भ्रामक है।
- अधिनियम को पढ़ने से पता चलता है कि यह दान पर लागू होता है एवं विशेष रूप से मस्जिदों जैसे पूजा स्थलों को बाहर करता है।
- वास्तव में वक्फ अधिनियम की योजना इस तर्क का समर्थन करती है कि सरकार को पूजा स्थलों को विनियमित नहीं करना चाहिए।
- हिंदू मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से समाज के लिए मुक्त करने के खिलाफ सबसे मौलिक आलोचना दो गुना है।
  – सबसे पहले यह पूछा जाता है कि मंदिर किसे सौंपे जाएंगे?
  – दूसरा, एक बार समुदाय के लिए बहाल हो जाने के बाद, क्या यह वर्ग पदानुक्रमों को कायम नहीं रखेगा?
- समुदाय द्वारा जिस बात पर जोर दिया जा रहा है वह है मंदिरों के प्रबंधन के मामलों में प्रतिनिधित्व का अधिकार।
  – प्रतिनिधित्व का यह अधिकार धार्मिक संप्रदायों के धार्मिक प्रमुखों, पुजारियों एवं जिम्मेदार सदस्यों के बोर्ड के प्रतिनिधियों के निर्माण से प्रभावी हो सकता है।
  – तर्क सरल है। जो सदस्य किसी विशेष धार्मिक संप्रदाय को मानते हैं, उनके मन में इसके उचित हित होंगे।

ब्रिटिश विरासत –

- जब ब्रिटिश सरकार ने महसूस किया कि एक धर्मनिरपेक्ष सरकार को धार्मिक संस्थानों के प्रबंधन में कोई हिस्सा नहीं लेना चाहिए, तो उसने पहले से मौजूद बंगाल एवं मद्रास विनियमों को निरस्त करते हुए धार्मिक बंदोबस्ती अधिनियम (1863 का अधिनियम XX) बनाया।
- दिलचस्प बात यह है कि धार्मिक संस्थाओं को समाज को सौंपने में, इसने मंदिरों पर नियंत्रण रखने के लिए हर जिले में समितियां बनाईं।
- अधिनियम की धारा 8 में प्रावधान है कि समिति के सदस्यों को धर्म मानने वाले व्यक्तियों में से नियुक्त किया जाना है, जिसके उद्देश्य से धार्मिक प्रतिष्ठान की स्थापना या रखरखाव किया गया था एवं उन लोगों की सामान्य इच्छा के अनुसार जो इसके रखरखाव में रुचि रखते हैं।
- इस उद्देश्य के लिए स्थानीय सरकार ने चुनाव कराया।
- सभी धर्मों की समानता की भावना में, यह योजना उन सभी धार्मिक संस्थानों पर लागू होनी चाहिए जो अपने पूजा स्थलों के प्रबंधन में पर्याप्त सामुदायिक प्रतिनिधित्व की गारंटी देंगे।

OUR BRANCHES: New Delhi | Mumbai | Kolkata | Chennai | Ahmedabad | Bengaluru | Bhilai | Bhubaneswar | Chandigarh | Dehradun | Gandhinagar | Guwahati | Hyderabad| Kanpur | Lucknow | Mehsana | Nagaland | Patna | Raipur | Rajkot | Ranchi | Surat | Vadodara |
WhatsApp no: 7284911227 - 7284811227 chahalacademy@gmail.com

महिलाओं के लिए कोई देश नहीं

महामारी भारत में लिंग मानदंडों के लिए एक परिवर्तन बिंदु हो सकती है
सामान्य अध्ययन 1 – महिला सशक्तिकरण से संबंधित मुद्दे।

संदभ – हाल ही में डब्ल्युईएफ ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में, भारत को नीचे से 17वें स्थान पर रखा गया है।

वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट का विवरण –

- यह पहली बार 2006 में डब्ल्युईएफ एवं बेंचमार्क 156 देशों द्वारा चार आयामों में लैंगिक समानता की दिशा में उनकी प्रगति पर प्रकाशित किया गया था –
  – आर्थिक भागीदारी एवं अवसर,
  – शैक्षिक प्राप्ति, व स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता एवं
  – राजनीतिक अधिकारिता।
- सूचकांक में, उच्चतम संभव स्कोर 1 (समानता) है एवं न्यूनतम संभव स्कोर 0 (असमानता) है।
- इसका उद्देश्य स्वास्थ्य, शिक्षा, अर्थव्यवस्था एवं राजनीति पर महिलाओं एवं पुरुषों के बीच सापेक्ष अंतराल पर प्रगति को ट्रैक करने के लिए एक कम्पास के रूप में कार्य करना है।
- इस वार्षिक मानदंड के माध्यम से, प्रत्येक देश के हितधारक प्रत्येक विशिष्ट आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ में प्रासंगिक प्राथमिकताएं निर्धारित कर सकते हैं।
- भारत अब 28 रैंक की गिरावट के साथ दक्षिण एशिया में सबसे खराब प्रदर्शन करने वालों में से एक है, 156 देशों में 140वें स्थान पर है।

डब्ल्युईएफ जेंडर रिपोर्ट नंबरों के माध्यम से भारत को देखना –

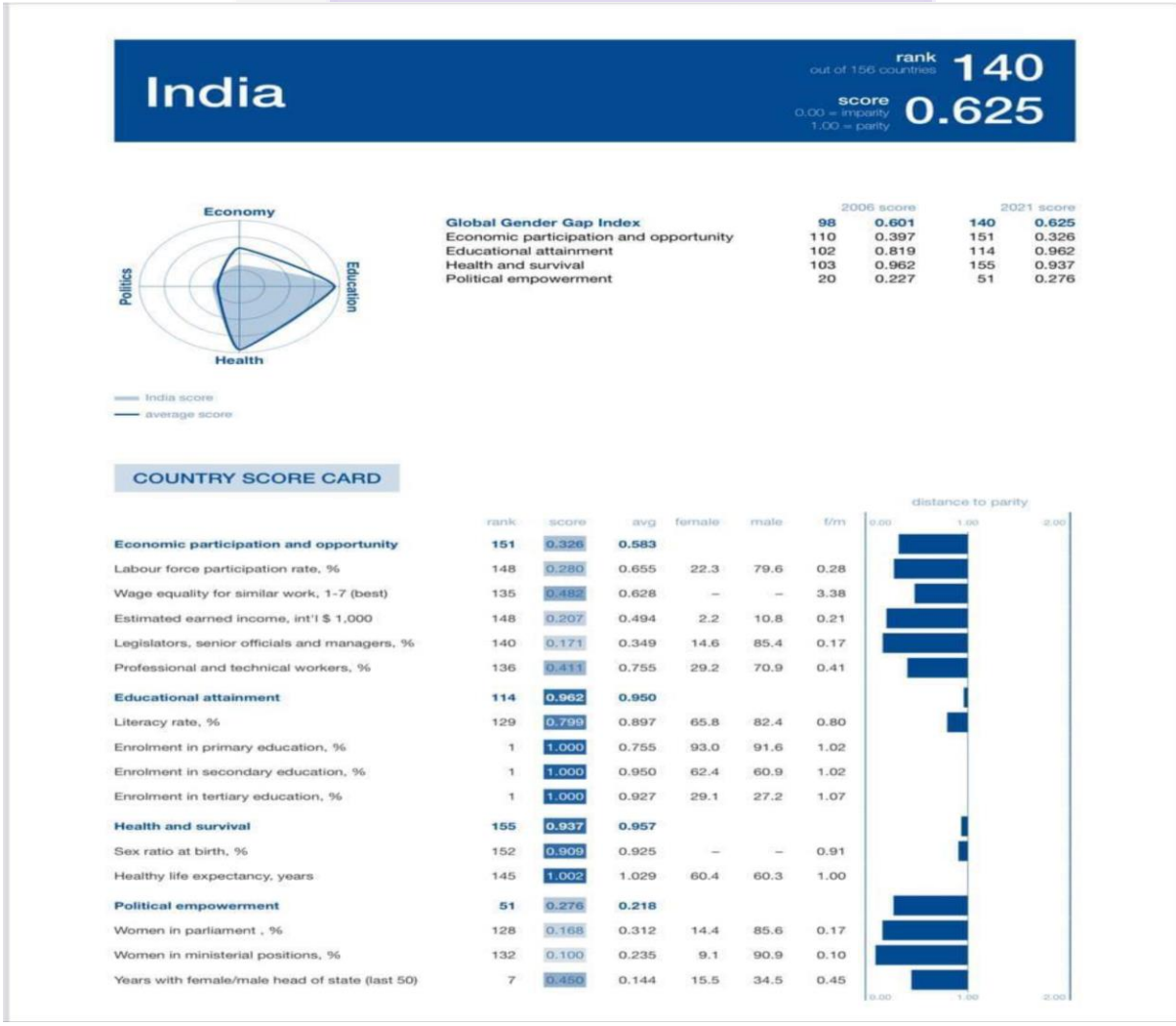

India

rank (out of 156 countries) **140**

score (0.00 = imparity, 1.00 = parity) **0.625**

	2006 rank	2006 score	2021 rank	2021 score
Global Gender Gap Index	**98**	**0.601**	**140**	**0.625**
Economic participation and opportunity	110	0.397	151	0.326
Educational attainment	102	0.819	114	0.962
Health and survival	103	0.962	155	0.937
Political empowerment	20	0.227	51	0.276

COUNTRY SCORE CARD

	rank	score	avg	female	male	f/m
Economic participation and opportunity	**151**	**0.326**	**0.583**			
Labour force participation rate, %	148	0.280	0.655	22.3	79.6	0.28
Wage equality for similar work, 1-7 (best)	135	0.482	0.628	–	–	3.38
Estimated earned income, int'l $ 1,000	148	0.207	0.494	2.2	10.8	0.21
Legislators, senior officials and managers, %	140	0.171	0.349	14.6	85.4	0.17
Professional and technical workers, %	136	0.411	0.755	29.2	70.9	0.41
Educational attainment	**114**	**0.962**	**0.950**			
Literacy rate, %	129	0.799	0.897	65.8	82.4	0.80
Enrolment in primary education, %	1	1.000	0.755	93.0	91.6	1.02
Enrolment in secondary education, %	1	1.000	0.950	62.4	60.9	1.02
Enrolment in tertiary education, %	1	1.000	0.927	29.1	27.2	1.07
Health and survival	**155**	**0.937**	**0.957**			
Sex ratio at birth, %	152	0.909	0.925	–	–	0.91
Healthy life expectancy, years	145	1.002	1.029	60.4	60.3	1.00
Political empowerment	**51**	**0.276**	**0.218**			
Women in parliament , %	128	0.168	0.312	14.4	85.6	0.17
Women in ministerial positions, %	132	0.100	0.235	9.1	90.9	0.10
Years with female/male head of state (last 50)	7	0.450	0.144	15.5	34.5	0.45

OUR BRANCHES: New Delhi | Mumbai | Kolkata | Chennai | Ahmedabad | Bengaluru | Bhilai | Bhubaneswar | Chandigarh | Dehradun | Gandhinagar | Guwahati | Hyderabad| Kanpur | Lucknow | Mehsana | Nagaland | Patna | Raipur | Rajkot | Ranchi | Surat | Vadodara |

WhatsApp no: 7284911227 - 7284811227 chahalacademy@gmail.com

जेंडर गैप रिपोर्ट में भारत के 28वें रैंक में गिरावट का कारण –

- महिला मंत्रियों की हिस्सेदारी 23 से 9% तक तेजी से घटी है।
- भारतीय महिला श्रम बल की भागीदारी पिछले एक दशक में घटकर मात्र 21% रह गई है।
  – महामारी से पहले, यहां तक कि #मीटु आंदोलन ने कार्यस्थल में यौन उत्पीड़न को उजागर किया, भारतीय बोर्डरूम में केवल 15% महिलाएं थीं। अब इसकी संख्या सऊदी अरब से भीकम है।
  – कार्यस्थलों, मनरेगा स्थलों एवं आंगनबाड़ियों में शिशुगृह की सुविधा के अभाव में महिलाओं की भागीदारी में कमी आई है।

अन्य राष्ट्रों के साथ तुलना में –

- दक्षिण एशिया के भीतर, संघर्ष के बाद 83% नेपाली महिलाएं घर से बाहर काम करती हैं।
  – स्थानीय सरकार से लेकर संसद तक में महिलाओं के अच्छे प्रतिनिधित्व की भी रिपोर्ट करता है।
- बांग्लादेश एकमात्र ऐसा देश है जहां महिलाएं राज्य के मुखिया के रूप में पुरुषों की तुलना में अधिक समय तक सेवा करती हैं।
- रवांडा उन कुछ विकासशील देशों में से एक है जिसने आश्चर्यजनक रूप से कई मोर्चों पर लिंग अंतर को बंद कर दिया है।
  – जहां अब संसदीय सीटों के 2/3 भाग में महिलाओं का दबदबा है।

भारतीय समाज में महिलाओं के साथ भेदभाव –

- भारतीय महिलाओं का भेदभाव भ्रुण अवस्था में लिंग–चयनात्मक गर्भपात के लिए प्रौद्योगिकी के दुरुपयोग के साथ शुरू होता है।
- यूएनएफपीए के आंकड़ों के अनुसार, भारत हर वर्ष 46 मिलियन से अधिक 'लापता महिलाओं' की रिपोर्ट करता है।
- समाज की पितृसत्तात्मक मानसिकता जीवन के हर चरण में महिला सशक्तिकरण एवं विकास में बाधा उत्पन्न करती है।
- एनएसएसओ 2019 के समय–उपयोग सर्वेक्षण के अनुसार, भारतीय महिलाओं का दैनिक कार्य पुरुषों की तुलना में अवैतनिक कार्यों पर लगभग 10 गुना अधिक है।
- राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019–20 के अनुसार, महामारी से पहले भी बाल विवाह में पिछले सर्वेक्षण की तुलना में मामूली वृद्धि हुई है।
  – यद्यपि शिक्षा में 3/4 महिला साक्षर हैं, लेकिन केवल 37% ही 10वीं कक्षा पूरी करती हैं।
  – महिलाओं के लिए रोजगार के अवसरों की कमी। स्वतंत्रता की कमी के कारण, एक चौथाई से अधिक विवाहित महिलाओं ने वैवाहिक हिंसा की सूचना दी। एनसीआरबी के अनुसार, अकेले 2019 में दलित महिलाओं (मुख्य रूप से राजस्थान एवं यूपी में) के साथ प्रतिदिन लगभग 88 बलात्कार सबसे अधिक असुरक्षित हैं।

OUR BRANCHES: New Delhi | Mumbai | Kolkata | Chennai | Ahmedabad | Bengaluru | Bhilai | Bhubaneswar | Chandigarh | Dehradun | Gandhinagar | Guwahati | Hyderabad| Kanpur | Lucknow | Mehsana | Nagaland | Patna | Raipur | Rajkot | Ranchi | Surat | Vadodara |
WhatsApp no: 7284911227 - 7284811227 chahalacademy@gmail.com

भारत में महिलाओं के लिए कुछ सकारात्मक विकास –

- वर्तमान में, पांच में से तीन महिलाएं अब अपने बैंक खातों का संचालन करती हैं।
- 2/3 से अधिक युवा महिलाएं मासिक धर्म स्वच्छता उत्पादों का उपयोग करती हैं।
- आधे से अधिक विवाहित महिलाएं आधुनिक गर्भ निरोधकों का उपयोग करती हैं एवं मोबाइल फोन रखती हैं।

आगे की राह –

भारत में अब गतिशील महिलाओं की एक नई पीढ़ी नेतृत्व कर रही है एवं सभी प्रकार के भेदभावों के खिलाफ लड़ रही है। कामकाजी महिलाओं में बड़ी वृद्धि से जुड़े पूर्वी एशियाई विकास चमत्कार से एक संकेत लेते हुए, एक समान समाज के निर्माण के लिए हर संस्थान में जिम्मेदारी लेने एवं सुधार करने के लिए, यह सरकार एवं भारतीय समाज के लिए उच्च समय है, जो पितृसत्तात्मक हैंगओवर में सो रहे हैं।

◄ ► ◄ ►◄ ►

CHAHAL
ACADEMY
LEARN TODAY! LEAD TOMORROW!

OUR BRANCHES: New Delhi | Mumbai | Kolkata | Chennai | Ahmedabad | Bengaluru | Bhilai | Bhubaneswar | Chandigarh | Dehradun | Gandhinagar | Guwahati | Hyderabad| Kanpur | Lucknow | Mehsana | Nagaland | Patna | Raipur | Rajkot | Ranchi | Surat | Vadodara |

WhatsApp no: 7284911227 - 7284811227 chahalacademy@gmail.com

सामान्य अध्ययन–2

अभी भी तीसरे स्तर की मान्यता नहीं

एफसी–15 प्रस्तावों में, क्षेत्रीय इक्विटी प्रदान करने के लिए स्थानीय सरकारों को वित्तीय रूप से सशक्त बनाने का लक्ष्य अभी भी दूर है
सामान्य अध्ययन 2 – सुधारों के लिए राज्यों को प्रोत्साहित करने के लिए सशर्त अनुदान

संदभ – पिछले आयोगों के विपरीत, पंद्रहवां वित्त आयोग, कोविड–19 महामारी की पृष्ठभूमि में था जिसने भारत में संकट से निपटने एवं सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने में स्थानीय सरकारों, ग्राम सभा एवं अन्य सहभागी संस्थानों के महत्व को सुदृढ़ किया।

15वां वित्त आयोग –

- 15वें वित्त आयोग का गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा नवंबर 2017 में एन. के. सिंह की अध्यक्षता में किया गया था। इसकी सिफारिशें अप्रैल 2020 से मार्च 2025 तक पांच वर्ष की अवधि को कवर करेंगी।
- केंद्रीय वित्त आयोग का प्राथमिक कार्य संघ एवं राज्यों के बीच संसाधनों एवं व्यय जिम्मेदारियों में लंबवत एवं क्षैतिज असंतुलन को सुधारना है, जिसमें 73वें एवं 74वें संवैधानिक संशोधन के बाद स्थानीय सरकारों का तीसरा स्तर शामिल है।
- यह आयोग संविधान में भाग IX एवं भाग IX–। को शामिल करने के बाद पांचवां है, जो केंद्रीय वित्त आयोग को राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संसाधनों के पूरक के लिए अनिवार्य करता है।

15वें वित्त आयोग की सिफारिशें –

- 2021–22 से 2025–26 की अवधि के लिए पंद्रहवें वित्त आयोग की रिपोर्ट राज्य सरकारों के लिए कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशों की रूपरेखा तैयार करती है।
- सिफारिशों में कर हस्तांतरण, केंद्र से अनुदान, एवं उधार के लिए दिशानिर्देश शामिल हैं जिन्हें उन्हें मध्यम अवधि में करने की अनुमति है।
- आयोग ने सिफारिश की है कि सरकार के विभाज्य पूल का 41 प्रतिशत राज्य सरकारों को हस्तांतरित किया जाए।

उच्च ऊध्वाधर विचलन –

- 14वें वित्त आयोग की तुलना में वर्टिकल शेयर में 52% की वृद्धि हुई है।
- 15वें वित्त आयोग ने इस हिस्से को 60% तक बढ़ा दिया है एवं उन्हें सहकारी संघवाद की भावना से पेयजल, वर्षा जल संचयन, स्वच्छता एवं अन्य राष्ट्रीय प्राथमिकताओं से जोड़ा है।
- इसने प्रदर्शन–आधारित अनुदान को घटाकर केवल ₹8,000 करोड़ कर दिया – एवं वह भी नए शहरों के निर्माण के लिए, पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई) को पूरी तरह से छोड़कर।

प्रवेश स्तर मानदंड –

- पंद्रहवें वित्त आयोग की एक महत्वपूर्ण सिफारिश स्थानीय सरकारों द्वारा संघ स्थानीय अनुदान (स्वास्थ्य अनुदान को छोड़कर) का लाभ उठाने के लिए प्रवेश स्तर का मानदंड है (सख्ती से बोलते हुए, यह प्रदर्शन से जुड़ा हुआ है)।
- पंचायतों के लिए शर्त यह है कि पिछले वर्ष के वार्षिक लेखे उसके पहले के ऑडिटेड लेखे ऑनलाइन जमा करें।
- शहरी स्थानीय सरकारों के लिए, दो एवं शर्तें निर्दिष्ट हैं
  – 2021–22 के बाद, संबंधित राज्य द्वारा संपत्ति कर की दरों के लिए न्यूनतम मंजिल का निर्धारण
  – राज्य के अपने सकल राज्य घरेलू उत्पाद के साथ मिलकर संपत्ति कर के संग्रह में लगातार सुधार ग्राम पंचायतें (विशेषकर समृद्ध एवं अर्ध–शहरी वर्ग) इससे बाहर हैं।

राजकोषीय आँकड़ों में समस्या –

- 11वें वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट में पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के सभी स्तरों के वित्तीय आंकड़े प्रकाशित किए लेकिन डेटा दोषपूर्ण साबित हुआ।
- 12वें वित्त आयोग ने कोई स्थानीय वित्तीय डेटा प्रकाशित नहीं किया।
- 13वें वित्त आयोग ने डेटा ऑनलाइन प्रकाशित किया एवं कुछ शोधकर्ताओं ने उनका उपयोग किया।
- 14वें वित्त आयोग ने 15% ग्राम पंचायतों, 30% ब्लॉक पंचायतों एवं 30% नगर पालिकाओं के अलावा सभी जिला पंचायतों को कवर करते हुए एक नमूना सर्वेक्षण किया, संभवतः डेटा प्रचार में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए रिजल्ट भी जारी नहीं किया गया।
- दिलचस्प बात यह है कि न तो पंद्रहवें वित्त आयोग एवं न ही पहले के समकक्षों ने इस बात की जांच करने की कोशिश की कि वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली कैसे एवं कहां विफल हुई है।

OUR BRANCHES: New Delhi | Mumbai | Kolkata | Chennai | Ahmedabad | Bengaluru | Bhilai | Bhubaneswar | Chandigarh | Dehradun | Gandhinagar | Guwahati | Hyderabad| Kanpur | Lucknow | Mehsana | Nagaland | Patna | Raipur | Rajkot | Ranchi | Surat | Vadodara |
WhatsApp no: 7284911227 - 7284811227 chahalacademy@gmail.com

विश्वसनीय आंकड़ों के बिना क्या आप सुशासन सुनिश्चित कर सकते हैं?
समकारी (इक्वलाईज़ेशन) सिद्धांत –

- पंद्रहवें वित्त आयोग का दावा है कि वह 'संघ एवं राज्यों को समान रूप से संतुलित करने के वांछनीय उद्देश्य' को प्राप्त करना चाहता है।
- पंद्रहवें वित्त आयोग ने स्थानीय सरकारों को अपनी अनुशंसा के आधार पर नौ मार्गदर्शक सिद्धांतों की रूपरेखा तैयार की, कोई एकीकृत दृष्टिकोण नहीं है।

निष्कर्ष – इक्विटी किसी संघ का मूलभूत तर्क है। कर प्रयास मानदंड का परित्याग निर्भरता, अक्षमता एवं गैर–जवाबदेही को प्रोत्साहित करता है। संक्षेप में, यदि विकेंद्रीकरण स्थानीय लोगों को सशक्त बनाने के लिए है, तो प्राथमिक कार्य क्षेत्रीय इक्विटी प्रदान करने के लिए स्थानीय सरकारों को वित्तीय रूप से सशक्त बनाना है। हम इस लक्ष्य से बहुत दूर हैं।

एक कदम जो सहकारी संघवाद को बढ़ाता है

जीएनसीटीडी अधिनियम में संशोधन, निस्संदेह परिभाषित करता है, जो दिल्ली के अनूठे मामले में 'सरकार' का प्रतिनिधित्व कौन करता है। – सामान्य अध्ययन 2 – सहकारी संघवाद

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (संशोधन) विधेयक 2021 की विशेषताएं –

- दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (संशोधन) विधेयक का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम, 1991 (जीएनसीटीडी अधिनियम 1991) के चार खंडों में संशोधन करना है। वो हैं,
- धारा 21 – यह खंड कुछ मामलों से संबंधित विधान सभा द्वारा पारित कानूनों पर प्रतिबंधों से संबंधित है।
- विधेयक में प्रावधान है कि विधान सभा द्वारा बनाए गए किसी भी कानून में संदर्भित शब्द 'सरकार' का अर्थ उपराज्यपाल (एल–जी) होगा।
- धारा 24 – यह खंड विधान सभा द्वारा पारित विधेयकों को स्वीकृति प्रदान करता है। उपराज्यपाल कुछ मामलों में राष्ट्रपति के विचार के लिए विधेयकों को सुरक्षित रखेंगे। इसमें ऐसे बिल शामिल हैं जो दिल्ली के उच्च न्यायालय की शक्तियों को कम करते हैं, राष्ट्रपति ने एल–जी को एक बिल आरक्षित करने का निर्देश दिया, आदि।
- दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (संशोधन) विधेयक में उपराज्यपाल को राष्ट्रपति के लिए ऐसे विधेयकों को आरक्षित करने की आवश्यकता है जो संयोगवश विधान सभा की शक्तियों के दायरे से बाहर के किसी भी मामले को कवर करते हैं।
- धारा 33 – इसमें उल्लेख है कि विधान सभा में प्रक्रिया एवं कार्य संचालन को विनियमित करने के लिए विधान सभा नियम बनाएगी।
- 2021 के एनसीटी बिल में कहा गया है कि ऐसे नियम लोकसभा में कार्य संचालन प्रक्रिया के नियमों के अनुरूप होने चाहिए।
- धारा 44 – यह व्यवसाय के संचालन से संबंधित है। तदनुसार, निर्वाचित सरकार द्वारा लिए गए सभी कार्यकारी निर्णय उपराज्यपाल के नाम से होने चाहिए 2021 का बिल उपराज्यपाल को कुछ मामलों पर अपने सुझाव निर्दिष्ट करने का अधिकार देता है। मंत्री/मंत्रिपरिषद के निर्णयों पर कोई कार्यकारी कार्रवाई करने से पहले उनकी राय ली जानी चाहिए।

पृष्ठभूमि –

- 2015 में, दिल्ली की विधान सभा ने दिल्ली नेताजी सुभाष विश्वविद्यालय प्रौद्योगिकी विधेयक पारित किया था एवं इसे राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजा था एवं 'सरकार' शब्द को 'राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार' के रूप में परिभाषित किया था।
- 2017 में, दिल्ली के एलजी ने 'सरकार' शब्द की असंगत परिभाषा के कारण दिल्ली नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय विधेयक 2015 को दिल्ली विधानसभा को वापस कर दिया।
- दिल्ली विधानसभा ने राष्ट्रपति की सहमति के लिए विधेयक का एक संशोधित संस्करण भेजा जहां 'सरकार' की परिभाषा को 'राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर' के रूप में वर्णित किया गया था।

परिभाषा को औपचारिक बनाता है –

- संशोधनों का उद्देश्य विभिन्न हितधारकों की भूमिकाओं में अस्पष्टताओं को दूर करना एवं केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम करने के लिए दिल्ली सरकार के भीतर हितधारकों के लिए एक रचनात्मक नियम आधारित ढांचा प्रदान करना था।

सहयोगी नहीं विरोधी –

- इस परिवर्तन द्वारा केंद्र सरकार एक साथ काम करने के लिए मंच एवं रूपरेखा प्रदान करती है।
- नीति आयोग, जीएसटी परिषद का निर्माण एवं 15वीं एफसी सिफारिशों को स्वीकार करना केंद्र सरकार के राज्यों को समान भागीदार के रूप में देखने के स्पष्ट उदाहरण हैं।

OUR BRANCHES: New Delhi | Mumbai | Kolkata | Chennai | Ahmedabad | Bengaluru | Bhilai | Bhubaneswar | Chandigarh | Dehradun | Gandhinagar | Guwahati | Hyderabad| Kanpur | Lucknow | Mehsana | Nagaland | Patna | Raipur | Rajkot | Ranchi | Surat | Vadodara |

WhatsApp no: 7284911227 - 7284811227 chahalacademy@gmail.com

दिल्ली की स्थिति –

1. विधान सभा के साथ केंद्र शासित प्रदेश के रूप में दिल्ली की वर्तमान स्थिति 69वें संशोधन अधिनियम का एक परिणाम है। अधिनियम ने संविधान में अनुच्छेद 239AA एवं 239BB पेश किया।
   – उन्होंने एक विधान सभा के साथ केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली बनाया है।
   – इसके अलावा, अनुच्छेद 239 के तहत नियुक्त प्रशासक को उपराज्यपाल के रूप में नामित किया जाता है। एलजी की सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी।
   – अंत में, सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस एवं भूमि के प्रावधान दिल्ली सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं हैं। केंद्र इन प्रावधानों को बनाए रखेगा।
2. अनुच्छेद 239AA(4) में कहा गया है कि उपराज्यपाल एवं मंत्रिपरिषद के बीच मतभेद के मामले में, उपराज्यपाल को इस मुद्दे को राष्ट्रपति के पास भेजना होगा।
   – जब तक राष्ट्रपति के समक्ष निर्णय लंबित नहीं है, तब तक उपराज्यपाल अपने विवेक का उपयोग तत्काल कार्रवाई करने के लिए कर सकते हैं यदि अत्यावश्यकता के लिए उन्हें कार्रवाई करने की आवश्यकता है।
3. राष्ट्रीय राजधानी में विधानसभा एवं मंत्रिपरिषद से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के पूरक के लिए जीएनसीटीडी अधिनियम 1991 पारित हुआ। अधिनियम कुछ महत्वपूर्ण प्रावधानों की रूपरेखा तैयार करता है जैसे –
   – विधानसभा की शक्तियां
   – एल–जी द्वारा प्राप्त विवेकाधीन शक्तियां
   – उपराज्यपाल को सूचना प्रस्तुत करने की आवश्यकता के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य

दिल्ली का महत्व –

- राष्ट्रीय राजधानी –
  – देश की विधायिका
  – संघ सरकार की सीट
  – न्यायपालिका
  – राजनयिक मिशन एवं
  – राष्ट्रीय महत्व के अन्य संस्थान

दिल्ली सुचारू रूप से कार्य करने की पात्र है एवं अपने हितधारकों की भूमिकाओं एवं जिम्मेदारियों में अस्पष्टताओं से उत्पन्न होने वाले भ्रम के अधीन नहीं हो सकता है।

निष्कर्ष – दिल्ली विधानसभा के नियमों को लोकसभा के नियमों के अनुरूप बनाना या यह सुनिश्चित करना कि एलजी की राय ली जाए, केवल स्पष्टता सुनिश्चित कर सकता है एवं सहयोग के माहौल को बढ़ावा दे सकता है।

पुलिस सुधार

संदभ –

- महाराष्ट्र में हाल की निंदनीय घटनाओं की श्रृंखला, फिर से पुलिस प्रणाली की विश्वसनीयता पर प्रश्नचिह्न लगाती है।
- मुंबई के पूर्व आयुक्त की याचिका का निपटारा करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने प्रकाश सिंह मामले में अपने फैसले पर दोबारा गौर किया।

प्रकाश सिंह मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश –

2006 में, सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस के दुरुपयोग एवं पुलिस शक्तियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए 1996 की एक याचिका के संबंध में एवं केंद्र एवं राज्य के लिए दिशा–निर्देश जारी किए, जिन्हें 'प्रकाश सिंह दिशानिर्देश' के रूप में जाना जाता है।

- राज्य सुरक्षा आयोग – प्रत्येक राज्य को आयोग का गठन करना चाहिए जो पुलिस के कामकाज, पुलिस के प्रदर्शन मूल्यांकन एवं मुख्य रूप से पुलिस पर राजनीतिक अवांछित प्रभाव को रोकने के लिए नीति निर्धारित करता है।
- पुलिस स्थापना बोर्ड – प्रत्येक राज्य पुलिस बोर्ड का गठन करेगा जो डीएसपी रैंक से नीचे के अधिकारियों के लिए पोस्टिंग, स्थानान्तरण एवं पदोन्नति का निर्णय करता है।
- पुलिस शिकायत प्राधिकरण – पुलिस कर्मियों द्वारा गंभीर कदाचार एवं सत्ता के दुरुपयोग के आरोपों की जांच के लिए राज्य एवं जिला स्तर पर शिकायत प्राधिकरण का गठन करने की आवश्यकता है।
- कार्यकाल की सुरक्षा – मनमाने स्थानान्तरण एवं पोस्टिंग से बचाने के लिए, राज्य में डीजीपी एवं केंद्रीय बलों के प्रमुखों के लिए न्यूनतम 2 वर्ष का कार्यकाल प्रदान करने की आवश्यकता है।
- डीजीपी की नियुक्ति – डीजीपी की नियुक्ति सेवाकाल, अच्छे रिकॉर्ड एवं अनुभव के आधार पर ली जाएगी, जिसे यूपीएससी द्वारा पदोन्नति के लिए पैनल में शामिल 3 वरिष्ठतम अधिकारियों द्वारा चुना जाएगा।
- राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग – केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के प्रमुखों के रूप में नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों की शॉर्टलिस्टिंग के लिए, राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग की आवश्यकता है।

OUR BRANCHES: New Delhi | Mumbai | Kolkata | Chennai | Ahmedabad | Bengaluru | Bhilai | Bhubaneswar | Chandigarh | Dehradun | Gandhinagar | Guwahati | Hyderabad| Kanpur | Lucknow | Mehsana | Nagaland | Patna | Raipur | Rajkot | Ranchi | Surat | Vadodara |
WhatsApp no: 7284911227 - 7284811227 chahalacademy@gmail.com

- जांच एवं कानून एवं व्यवस्था को अलग करना – त्वरित जांच, बेहतर विशेषज्ञता एवं मैत्रीपूर्ण पुलिस सुनिश्चित करने के लिए, कानून एवं व्यवस्था विंग से जांच विंग को अलग करने की आवश्यकता है।

निर्देशों के पीछे तक –

- पुलिस के कामकाज में राजनीतिक हस्तक्षेप को कम करना एवं पुलिस प्रदर्शन मूल्यांकन प्रणाली को युक्तिसंगत बनाना।
- राजनीति एवं भ्रष्टाचार को कम करने एवं पुलिस नियुक्तियों, पदोन्नति एवं तबादलों में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए।
- मौजूदा आंतरिक पूछताछ प्रणाली को बदलना एवं पुलिस में जनता का विश्वास जगाना।
- प्रमुख पुलिस अधिकारियों को अनुचित राजनीतिक का सामना करने में सक्षम बनाना।
- हस्तक्षेप नियुक्तियों में शासक वर्ग की मनमानी एवं व्यक्तिगत विचारों को कम करके डीजीपी के लिए कार्यालय एवं कार्यकाल की अनिश्चितता को कम करना।
- पुलिस बल में विशेषज्ञता को प्रोत्साहित करने एवं समग्र प्रदर्शन को उन्नत करने के लिए तेज एवं वैज्ञानिक जांच के जरिए पारदर्शिता बढ़ाना एवं पुलिस व्यवस्था को सुव्यवस्थित करना।

निष्कष – अब समय आ गया है कि अपराधियों, राजनेताओं, नौकरशाहों एवं पुलिस के बीच अपवित्र गठजोड़ को तोड़ा जाए राजनीति के गैर–अपराधीकरण की दिशा में कदम उठाते हुए, समानांतर सरकार को न्याय मलिमठ समिति की सिफारिशों के आधार पर मजबूत आपराधिक न्याय प्रणाली बनाने के लिए पुलिस प्रणाली के पुनर्गठन की आवश्यकता है।

वॉक–बैक – एच–1बी वीजा समस्या

एच–1बी वीजा प्रतिबंध

सामान्य अध्ययन 2 – बिडेन अंतर्राष्ट्रीय संबंध का विस्तार न करके अप्रवासन नियमों पर फिर से काम करने की मंशा दिखाते है

संदभ – राष्ट्रपति जो बिडेन ने मार्च 2021 के अंत में कुशल श्रमिकों के लिए एच–1बी वीजा जारी करने पर प्रतिबंध लगाने की अनुमति दी

पृष्ठभूमि – राष्ट्रपति ट्रम्प की आप्रवासन नीति (अमेरिका प्रथम विचारधारा):

- जून 2020 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने सख्त आव्रजन नीति–उद्देश्य के बाद कुशल श्रमिक वीजा, या एच–1बी सहित कई प्रकार के गैर–आप्रवासी कार्य वीजा जारी करने को अवरुद्ध कर दिया।
- नीति का उद्देश्य विदेशी श्रमिकों को अमेरिकी नौकरियों को कम करने से रोकना था।
- अमेरिकियों के लिए अमेरिकी नौकरियों की रक्षा करना, कोविड–19 महामारी से जुड़े आर्थिक संकट के संदर्भ में, राष्ट्रपति ट्रम्प के लिए एक प्रमुख आव्रजन सुधार था।
- कुछ अनुमानों के अनुसार, 2,19,000 कर्मचारियों तक के एच–1बी वीजा आवेदनों को अवरुद्ध कर दिया गया था।

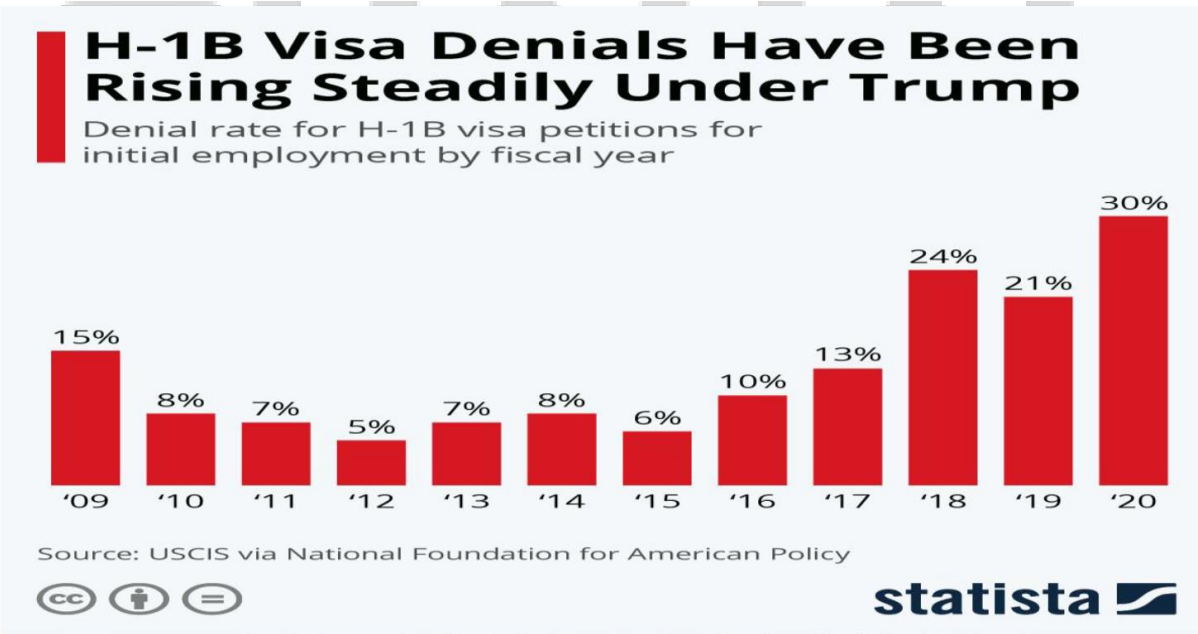

OUR BRANCHES: New Delhi | Mumbai | Kolkata | Chennai | Ahmedabad | Bengaluru | Bhilai | Bhubaneswar | Chandigarh | Dehradun | Gandhinagar | Guwahati | Hyderabad| Kanpur | Lucknow | Mehsana | Nagaland | Patna | Raipur | Rajkot | Ranchi | Surat | Vadodara |

WhatsApp no: 7284911227 - 7284811227 chahalacademy@gmail.com

भारत पर प्रभाव –

- श्री बिडेन की कार्रवाई का अमेरिकी तकनीकी फर्मों के साथ रोजगार चाहने वाले भारतीय नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण एवं अनुकूल प्रभाव होगा, क्योंकि उन्होंने छात्रों के अलावा निजी क्षेत्र के आवेदकों को सालाना उपलब्ध कराए गए 65,000 एच–1बी वीजा में से लगभग 70% को मंजुर किया है।
- फिर भी, इसने इस बारे में वास्तविक प्रश्न खड़े किए कि क्या इस तरह के नियम अमेरिका को निर्यात की जाने वाली भारतीय आईटी सेवाओं को प्रभावित करके यूएस–भारत संबंधों को वापस स्थापित कर देंगे।
  – ये 2019 में लगभग $ 29.7 बिलियन, 2018 से 3.0% ($ 864 मिलियन) अधिक एवं 2009 के स्तर से 143% अधिक थे।
- सिलिकॉन वैली टेक टाइटन्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने न केवल अपने मुख्य कार्यों को चलाने वाले कुशल श्रमिकों के एक प्रमुख स्रोत पर दबाव का विरोध किया, बल्कि कुछ विश्वविद्यालयों ने पिछले वर्ष उसके बाद आए छात्र वीजा प्रतिबंध को चुनौती देने वाले मुकदमे भी दायर किए, जिससे आंशिक रूप से वाक–बैक हुआ।
- गूगल के सीईओ सुंदर पिचई ने नीति की आलोचना करते हुए कहा था कि आप्रवासन ने अमेरिका की आर्थिक सफलता में बहुत योगदान दिया है, जिससे यह तकनीक में एक वैश्विक नेता बन गया है।
- स्पेसएक्स के संस्थापक एवं टेस्ला के सीईओ एलोन मस्क एवं एप्पल के सीईओ टिम कुक ने भी नीति के खिलाफ इसी तरह की पीड़ा व्यक्त की है।

A C A D E M Y
LEARN TODAY! LEAD TOMORROW!

निष्कष –

- एच–1बी वीजा प्रतिबंध को समाप्त करने की अनुमति देने में, श्री बिडेन कुशल श्रमिकों के अमेरिका में प्रवाह को बहाल करने, उत्पादकता के स्रोत–अपने श्रम बल के लिए वृद्धि, एवं ट्रम्प–युग की आव्रजन नीतियों को समाप्त करने में आक्रामक नहीं दिख कर अच्छी रेखा पर चल रहे हैं।
- बिडेन प्रशासन को धीरे–धीरे सुधारों को आगे बढ़ाना जारी रखना चाहिए जो यू.एस. अर्थव्यवस्था एवं वैश्विक रणनीतिक स्थिति को प्रभावित करते हैं एवं भारत जैसे देशों के साथ बहुपक्षीय सहयोग एवं द्विपक्षीय प्रगति के एक लोकाचार की ओर जाते हैं, हालांकि नाटकीय रूप से परिवर्तित पोस्ट–कोविड दुनिया में अमेरिका के राष्ट्रीय हितैशी नीतियों पर जोर बरकरार रखते हुए।

मुक्त एवं निर्बाध न्याय

आभासी सुनवाई के साथ सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच आसान हो गई है, लेकिन और अधिक करने की आवश्यकता है
सामान्य अध्ययन 2 – सामाजिक न्याय, भारतीय न्यायपालिका

प्रसंग –

- एससी ई–समिति ने आदेश के साथ तत्काल अदालती कार्यवाही के डिजिटल ट्रांसक्रिप्ट की लाइव–स्ट्रीमिंग एवं साझा करने का प्रस्ताव रखा है।
- जबकि लॉकडाउन ने लोगों के आंदोलनों को सीमित कर दिया, इसने भारत भर के वादियों एवं वकीलों के लिए, प्रौद्योगिकी के माध्यम से, देश की सर्वोच्च अदालत में सापेक्ष आसानी से संपर्क करने के लिए नए रास्ते खोल दिए।

OUR BRANCHES: New Delhi | Mumbai | Kolkata | Chennai | Ahmedabad | Bengaluru | Bhilai | Bhubaneswar | Chandigarh | Dehradun | Gandhinagar | Guwahati | Hyderabad| Kanpur | Lucknow | Mehsana | Nagaland | Patna | Raipur | Rajkot | Ranchi | Surat | Vadodara |
WhatsApp no: 7284911227 - 7284811227 chahalacademy@gmail.com

पृष्ठभूमि –

- पिछले वर्ष, कोरोनावायरस महामारी के मद्देनजर, सुप्रीम कोर्ट ने देश भर की सभी अदालतों को न्यायिक कार्यवाही के लिए वीडियो–कॉन्फ्रेंसिंग का व्यापक रूप से उपयोग करने के निर्देश पारित किए हैं।
- सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 के तहत अपनी पूर्ण शक्ति का प्रयोग करते हुए सभी उच्च न्यायालयों को महामारी के दौरान प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए एक तंत्र तैयार करने का निर्देश दिया।

ई–कोर्ट परियोजना –

- ई–कोर्ट परियोजना की संकल्पना ई–समिति, भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 'राष्ट्रीय नीति' के आधार पर न्यायालयों के आईसीटी सक्षमता द्वारा भारतीय न्यायपालिका को बदलने की दृष्टि से की गई थी एवं 'भारतीय न्यायपालिका में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) के कार्यान्वयन के लिए कार्य योजना – 2005' प्रस्तुत की गई।
- ई–कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट, एक अखिल भारतीय परियोजना है, जिसकी निगरानी एवं वित्त पोषण न्याय विभाग, कानून एवं न्याय मंत्रालय द्वारा देश भर के जिला न्यायालयों के लिए किया जाता है।

परियोजना के उद्देश्य –

- ई–कोर्ट प्रोजेक्ट लिटिगेंट्स चार्टर में वर्णित कुशल एवं समयबद्ध नागरिक–केंद्रित सेवाएं प्रदान करना।
- न्यायालयों में निर्णय समर्थन प्रणालियों को विकसित, स्थापित एवं कार्यान्वित करना।
- अपने हितधारकों को सूचना की पारदर्शिता एवं पहुंच प्रदान करने के लिए प्रक्रियाओं को स्वचालित करना।
- न्यायिक उत्पादकता को गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों रूप से बढ़ाना, न्याय वितरण प्रणाली को वहनीय, सुलभ, लागत प्रभावी, पूर्वानुमेय, विश्वसनीय एवं पारदर्शी बनाना।

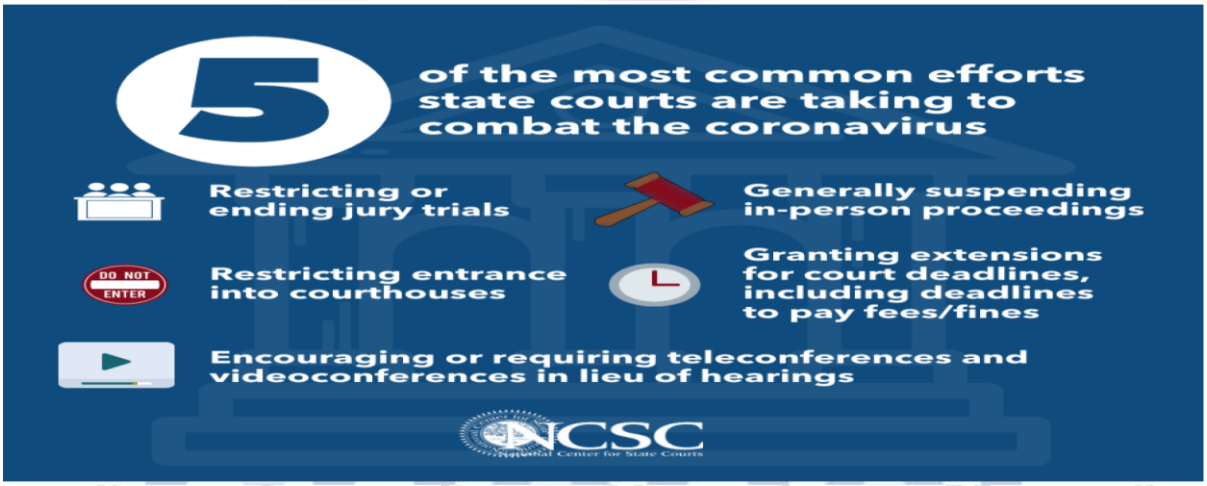

बढ़ती पहुंच –

- उस समय भी जब संविधान सभा द्वारा संविधान पर बहस चल रही थी, सर्वोच्च न्यायालय तक भौगोलिक पहुंच को एक चिंता के रूप में चिह्नित किया गया था।
  – बी .आर. अम्बेडकर के नेतृत्व वाली मसौदा समिति का विचार था कि न्यायालय में बैठने का एक निर्दिष्ट स्थान होना चाहिए एवं वादियों को 'यह पता होना चाहिए कि कहाँ जाना है एवं किससे संपर्क करना है'।
  – तदनुसार, उसी की मान्यता में, संविधान ने मुख्य न्यायाधीश को दिल्ली के अलावा अन्य स्थानों पर भी सर्किट बेंचों के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय की बैठकें आयोजित करने का अधिकार दिया।
  – हालांकि, बढ़ते केसलोड एवं वादियों एवं सरकारों द्वारा बार–बार की गई दलीलों के बावजूद, लगातार मुख्य न्यायाधीशों ने इस संवैधानिक शक्ति को उन कारणों से लागू करने से इनकार कर दिया है जो उन्हें सबसे अच्छी तरह से जानते हैं।
- भारत में, न्यायिक प्रणाली की एकीकृत, एकल–पिरामिड संरचना को देखते हुए, सभी प्रकार के मामले संभावित रूप से सर्वोच्च न्यायालय में अपना रास्ता बना सकते हैं, चाहे मूल संस्थान का स्थान या मंच कुछ भी हो।
- हालांकि, यह उस अधिकार का प्रभावी प्रयोग है, जिसे विशेष रूप से दिल्ली में अदालत द्वारा एकत्रित किया जाता है।
- सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च की एक रिपोर्ट के अनुसार, उच्चतम न्यायालय में दायर किए गए मामलों की एक अनुपातहीन रूप से उच्च संख्या दिल्ली के निकट उच्च न्यायालयों में उत्पन्न हुई।
  – उदाहरण के लिए, पश्चिम बंगाल, बिहार एवं आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों के मामले, जो सामूहिक रूप से भारत की कुल आबादी का लगभग पांचवां हिस्सा हैं, अदालत के मामले में 10% से भी कम का योगदान करते हैं।
  – दूसरी ओर, सर्वोच्च न्यायालय में सभी मामलों में से लगभग 18% पंजाब एवं हरियाणा से उत्पन्न होते हैं, जिसमें कुल जनसंख्या हिस्सेदारी का 5% से कम हिस्सा होता है।

OUR BRANCHES: New Delhi | Mumbai | Kolkata | Chennai | Ahmedabad | Bengaluru | Bhilai | Bhubaneswar | Chandigarh | Dehradun | Gandhinagar | Guwahati | Hyderabad| Kanpur | Lucknow | Mehsana | Nagaland | Patna | Raipur | Rajkot | Ranchi | Surat | Vadodara |
WhatsApp no: 7284911227 - 7284811227 chahalacademy@gmail.com

- भौगोलिक बाधाओं का मतलब यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश होना अनिवार्य रूप से दिल्ली एवं उसके आसपास कुछ चुनिंदा वकीलों का अधिकार क्षेत्र बन गया है।

सबके लिए कोर्ट –

- इस प्रकार, महामारी ने, हालांकि विभिन्न कारणों से, सर्वोच्च न्यायालय को पहुंच बढ़ाने के प्रयास में भौतिक बाधाओं को दूर करने का प्रयास करने के लिए मजबूर किया है, यद्यपि वस्तुतः पिछले एक वर्ष में, आभासी सुनवाई के साथ, जिसे दिल्ली में सीमित संख्या में वकीलों के अनन्य डोमेन के रूप में देखा गया था, पूरे भारत के अधिवक्ताओं के लिए खुल गया है, जिनमें से अधिकांश ने अपने जीवन काल में सुप्रीम कोर्ट को संबोधित करने का मात्र सपना देखा होगा।
- वादियों के पास अब अपनी पसंद एवं सुविधा के स्थानीय वकील को शामिल करने का विकल्प है, जिसमें वही वकील भी शामिल है जिसने निचली अदालत के समक्ष अपना पक्ष रखा था।

निष्कर्ष –

- वास्तव में, आभासी सुनवाई सही विकल्प नहीं हो सकती है, लेकिन इस तरह की खामियों को न्याय तक पहुंचने के अधिकार से वंचित करने पर प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
- यह तभी कहा जा सकता है जब भारत में प्रत्येक व्यक्ति को इसके गलियारों तक निर्बाध पहुंच प्रदान की जाती है, यह कहा जा सकता है कि सर्वोच्च न्यायालय ने अपने संवैधानिक वादे को पूरा किया है।
- एक से अधिक विधि आयोग एवं संसदीय समिति ने देश भर में सुप्रीम कोर्ट की सर्किट बेंच स्थापित करने की सिफारिश की है।
- फिर भी, जब तक न्यायपालिका ऐसे प्रस्तावों पर कार्रवाई नहीं करती, तब तक आभासी सुनवाई जारी रहने दी जानी चाहिए, यदि यह अधिकार के मामले में नहीं है, तो कम से कम न्यायसंगत एवं न्यायसंगत नीति के रूप में।

अनुचित प्रतिबंध – आरटीई की फिर से जांच करें

यह निजी गैर–अल्पसंख्यक संस्थानों के खिलाफ शिक्षा का अधिकार अधिनियम के पूर्वाग्रह की फिर से जांच करने का समय है

सामान्य अध्ययन 2 – मौलिक अधिकार एवं शिक्षा से संबंधित मुद्दे

संदभ –

- नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनावरण के बाद से, शिक्षा के क्षेत्र में सुधारों के बारे में बहस छिड़ी हुई है।
- इस संबंध में निजी गैर–अल्पसंख्यक संस्थानों के खिलाफ आरटीई पूर्वाग्रह की फिर से जांच करने के लिए आवाज गूंज रही है।

शिक्षा का अधिकार क्या है?

- मौलिक अधिकार के रूप में मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने वाले अनुच्छेद 21ए को प्रभावी बनाने के लिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में अधिनियमित किया गया।
- आरटीई का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक शिक्षा मिले।

शिक्षा के अधिकार का विकास –

- मूल रूप से, संविधान के अनुच्छेद 45 में शिक्षा के अधिकार का उल्लेख किया गया है जिसमें निर्देशक सिद्धांत है जो इंगित करता है कि 'राज्य को 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करनी चाहिए'।
- 1992 में, मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का एक हिस्सा है।
- 1993 में, उन्नीकृष्णन जेपी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य में कोर्ट ने कहा कि राज्य कर्तव्य के लिए बाध्य था अपनी आर्थिक क्षमता के भीतर प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना एवं इस संबंध में सरकार के साथ निजी संस्थानों की भूमिका निभाने की आवश्यकता का संकेत दिया।
- टीएमए पाई फाउंडेशन एवं पीए इनामदार ऐतिहासिक निर्णयों ने 86वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार के रूप में अनुच्छेद 21ए (शिक्षा का अधिकार) को शामिल करने के लिए आधार तैयार किया।
- 2009 में, अनुच्छेद 21A को लागू करने के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम अधिनियमित किया गया था।

शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम 2009 की कुछ विशेषताएं –

- इसका उद्देश्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना है।
- यह समाज के सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षण संस्थानों में 25% आरक्षण को अनिवार्य करता है।
- यह बाल केंद्रित एवं मैत्रीपूर्ण तरीकों के माध्यम से शिक्षा प्रणाली को भय, आघात एवं चिंता से मुक्त बनाने पर केंद्रित है।
- यह योग्य शैक्षणिक योग्यता वाले शिक्षकों की नियुक्ति का प्रावधान करता है।

अल्पसंख्यक एवं गैर–अल्पसंख्यक संस्थानों के अनुचित भेदभाव का मुद्दा –

- यहां तक कि जब इनामदार मामले में, अदालत ने कहा कि निजी संस्थानों में कोई आरक्षण नहीं होगा एवं अल्पसंख्यक एवं गैर–अल्पसंख्यक के साथ अलग व्यवहार नहीं किया जाता है।

OUR BRANCHES: New Delhi | Mumbai | Kolkata | Chennai | Ahmedabad | Bengaluru | Bhilai | Bhubaneswar | Chandigarh | Dehradun | Gandhinagar | Guwahati | Hyderabad| Kanpur | Lucknow | Mehsana | Nagaland | Patna | Raipur | Rajkot | Ranchi | Surat | Vadodara |
WhatsApp no: 7284911227 - 7284811227 chahalacademy@gmail.com

- लेकिन 93वें संविधान संशोधन ने अनुच्छेद 15 में खंड (5) को शामिल किया, जो पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षा संस्थानों में आरक्षण प्रदान करता है एवं अल्पसंख्यक संस्थानों को भी इस दायरे से बाहर करता है।
- आरटीई अधिनियम 2009, अल्पसंख्यक एवं गैर–अल्पसंख्यक छात्रों के बीच सीधे तौर पर भेदभाव नहीं करता है।
- लेकिन, राजस्थान के गैर–सहायता प्राप्त निजी स्कूलों के लिए सोसायटी मामले में, अदालत ने यह माना कि गैर–सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक स्कूलों को इसके दायरे से छूट दी गई है।
- भले ही अनुच्छेद 21A भेदभाव नहीं करता है लेकिन मनमाना आरटीई अधिनियम अल्पसंख्यक एवं गैर–अल्पसंख्यक संस्थानों के बीच भेदभाव करता है।
- उपरोक्त भेदभाव अनुचित है जो अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है एवं निजी संस्थानों के लिए अलाभकारी है।
- भेदभाव न केवल अनुचित है, बल्कि सार्वभौमिक शिक्षा के उद्देश्य एवं आरटीई के दायरे से अल्पसंख्यक स्कूलों के बहिष्कार के बीच तर्कसंगत संबंध का भी अभाव है।
- यहां तक कि मौलिक अधिकारों के सामंजस्यपूर्ण निर्माण के सिद्धांत का पालन करने वाली न्यायपालिका ने भी कई आरटीई प्रावधानों के बावजूद अल्पसंख्यक संस्थानों की छूट को बरकरार रखा है, जो उनके प्रशासनिक अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे।
- 2016 में, सोभा जॉर्ज मामले, केरल उच्च न्यायालय ने कहा कि आरटीई की धारा 16 जो प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक गैर–पदोन्नति पर रोक लगाती है, अल्पसंख्यक स्कूलों पर भी लागू होगी।
- अल्पसंख्यक संस्थानों के कामकाज के बावजूद आरटीई के अधीन नहीं हैं, लेकिन वे संविधान के अनुच्छेद 14,21 जैसे मौलिक अधिकारों के अधीन हैं।

निष्कष – शिक्षा का अधिकार जिसने भारत में अधिकार क्रांतियों के दूसरे चरण की शुरुआत की, को अधिनियम के कुछ भेदभावपूर्ण प्रावधानों पर फिर से विचार करने की आवश्यकता है। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सार्वभौमिक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जो सुलभ एवं सस्ती हो, भारत को सकारात्मक एवं भेदभावपूर्ण प्रावधानों के बीच एक सामंजस्यपूर्ण संतुलन बनाने की आवश्यकता है।

एक अपारदर्शी बंधन – चुनावी बॉन्ड

उच्चतम न्यायालय ने चुनावी फंडिंग में पारदर्शिता लागू करने का एक और मौका गंवा दिया, हम सभी को चिंतित होना चाहिए
सामान्य अध्ययन 2 – चुनाव सुधार एवं फंडिंग (चुनावी बॉन्ड)।

प्रसंग – सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते वित्त मंत्रालय द्वारा घोषित चुनावी बांड की बिक्री के खिलाफ एडीआर द्वारा लगाए गए स्टे से इनकार कर दिया।

चुनावी बांड क्या हैं?

- 2017 के बजट में घोषित, चुनावी बांड ब्याज मुक्त वाहक साधन हैं जिनका उपयोग व्यक्तियों, कंपनियों, गैर सरकारी संगठनों एवं ट्रस्टों द्वारा राजनीतिक दलों को गुमनाम रूप से धन दान करने के लिए किया जाता है।
- उन्होंने 1,000 रुपये, 10,000 रुपये, 1 लाख रुपये, 10 लाख रुपये एवं 1 करोड़ रुपये के गुणकों में बेचा एवं एसबीआई एकमात्र बैंक है जो उन्हें बेचने के लिए अधिकृत है।
- राजनीतिक दलों को 15 दिनों के भीतर बांडों को भुनाने की आवश्यकता होती है, ऐसा करने में विफल रहने पर, बांड को प्रधानमंत्री राहत कोष में स्थानांतरित कर दिया जाता है।
- एक व्यक्ति/कंपनी द्वारा खरीदे जा सकने वाले बांडों की संख्या की कोई सीमा नहीं है।

एडीआर याचिका की लंबित चुनौती –

- 2017 में, एडीआर एंड कॉमन कॉज ने भी चुनावी बांड योजना की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिका दायर की एवं अदालत से सभी राजनीतिक दलों को आरटीआई अधिनियम के दायरे में सार्वजनिक कार्यालयों के रूप में घोषित करने एवं राजनीतिक पार्टियों को अपनी आय एवं व्यय का खुलासा करने के लिए मजबूर करने के लिए कहा। लेकिन याचिका अभी विचाराधीन है।

चुनावी बांड के साथ मुद्द –

- मुख्य मुद्दा चुनावी बांड दाता की गुमनामी के साथ है जिसे 2017 में एक संशोधन द्वारा लाया गया है जिसमें राजनीतिक दलों को दाताओं के विवरण का खुलासा करने से छूट दी गई है।
- पारदर्शिता कार्यकर्ताओं के अनुसार, परिवर्तन नागरिक के 'जानने के अधिकार' का उल्लंघन करता है एवं राजनीतिक वर्ग को और भी अधिक जवाबदेह बनाता है।
- हालांकि नागरिकों को बांड के विवरण तक पहुंच नहीं मिल सकती है, लेकिन आज की सरकार हमेशा दाता के विवरण तक पहुंच सकती है जो कि शक्ति का दुरुपयोग है।
- इसने यह भी बताया कि इलेक्टोरल बॉन्ड की छपाई एवं बिक्री तथा खरीद के लिए एसबीआई कमीशन का भुगतान केंद्र सरकार द्वारा करदाताओं के पैसे से किया जाता है।
- उच्चतम न्यायालय ने आतंकवाद या हिंसक विरोध फंडिंग जैसी गतिविधियों के लिए राजनीतिक दलों द्वारा प्राप्त धन के दुरुपयोग की संभावना को हरी झंडी दिखाई।
- जनता के जनादेश को उलटने के लिए चुनाव के बाद विधायकों/सांसदों को खरीदने में संदिग्ध खर्च का मुद्दा।

OUR BRANCHES: New Delhi | Mumbai | Kolkata | Chennai | Ahmedabad | Bengaluru | Bhilai | Bhubaneswar | Chandigarh | Dehradun | Gandhinagar | Guwahati | Hyderabad| Kanpur | Lucknow | Mehsana | Nagaland | Patna | Raipur | Rajkot | Ranchi | Surat | Vadodara |
WhatsApp no: 7284911227 - 7284811227 chahalacademy@gmail.com

- चुनाव आयोग ने पूर्व में चेतावनी दी थी कि चुनावी बांड, पूर्ववर्ती विधायी संशोधनों के साथ, बड़ी मात्रा में अवैध दान को प्रोत्साहित करेंगे।
  – यह बदले में इन बांडों के माध्यम से राजनीतिक व्यवस्था में काले धन को फनल करने के लिए मुखौटा कंपनियों की ओर बढ़ रहा है।
- सबसे गंभीर चिंताएं निम्नलिखित परिवर्तनों से संबंधित हैं जो चुनावी प्रक्रिया को कमजोर करती हैं
  – कंपनी अधिनियम 2013 की संशोधित धारा 182 जिसने 7.5% लाभ सीमा दान करने के प्रावधान को हटा दिया।
  – अब 100% मुनाफे के साथ दान क्रोनी कैपिटलिज्म को वैध बनाने का रास्ता बना देगा।
  – आरपीए 1951 की धारा 29बी एवं एफसीआरए 2010 की धारा 3 में संशोधन करते हुए, उम्मीदवारों एवं पार्टियों पर विदेशी चंदा प्राप्त करने से प्रतिबंध को हटा दिया गया।
- यह लोकतांत्रिक चुनाव प्रणाली में विदेशी हस्तक्षेप के कारण देश की संप्रभुता को प्रभावित करेगा।

आगे की राह –

- आय के स्रोत एवं उसके व्यय दोनों पर पारदर्शिता सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।
- सबसे अच्छा तरीका चुनावी बांड को खत्म करना नहीं है बल्कि दाता एवं प्राप्तकर्ता का खुलासा करना है।
- चुनाव आयोग/कैग के सुझाव के अनुसार राजनीतिक दलों को लेखापरीक्षक द्वारा उनके खाते प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी बनाने के लिए एक कानून पारित करना होगा।
- एक वैकल्पिक तरीका यह है कि निजी फंड संग्रह को समाप्त किया जाए एवं इसे राजनीतिक दलों के सार्वजनिक फंडिंग से बदला जाए भविष्य में एक व्यवहार्य समाधान एक राष्ट्रीय चुनाव कोष की स्थापना करना है जिसमें सभी चंदे को निर्देशित किया जाता है एवं पार्टियों को उनके चुनावी प्रदर्शन के आधार पर वितरित किया जाएगा।

चुनावी बांड काले धन से वित्त पोषित चुनावों को रोकने के साधन हैं। जैसा कि चुनाव आयोग ने ठीक ही कहा है, 'राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए है जो भारत जैसे लोकतंत्र के लिए बहुत आवश्यक है'। सभी हितधारकों की चिंताओं को समायोजित करके चुनावी बांड तंत्र में अधिक पारदर्शिता लाने की आवश्यकता है।

वर्तमान अवधि चुनावों में लंबे समय से सुधार की मांगों को लाने के लिए एक स्थिर वातावरण प्रदान करती है, सरकार को चुनावी बांड में अधिक पारदर्शिता एवं जवाबदेही लाकर सुधार शुरू करना चाहिए।

भारत में शरणार्थी समस्या

शरणार्थी सुरक्षा के मुद्दे को ऊचित रूप से ध्यान देकर कानूनी एवं संस्थागत उपाय करने की आवश्यकता है
सामान्य अध्ययन 2 – अंतर्राष्ट्रीय संबंध

प्रसंग –

- किसी भी मामले में, क्षेत्र के भू–राजनीतिक, आर्थिक, जातीय एवं धार्मिक संदर्भों को देखते हुए, भारत में शरणार्थियों का प्रवाह जल्द ही समाप्त होने की संभावना नहीं है।
- इसलिए, आज भारत में शरणार्थी संरक्षण के मुद्दे को को ऊचित रूप से ध्यान देकर कानूनी एवं संस्थागत उपाय करने की करने की तत्काल आवश्यकता है।

पृष्ठभूमि –

- म्यांमार की वर्तमान दुर्दशा से पहले म्यांमार के एक अन्य समूह, रोहिंग्या की दुर्दशा हुई है।
- बहस नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 एवं भारत में शरण लेने वालों पर इसके प्रभाव पर हावी थी, भले ही नए शरणार्थियों को कानून से लाभ नहीं होगा क्योंकि सीएए का कट–ऑफ वर्ष 2014 है।

शरणार्थी बनाम अप्रवासी –

- अवैध अप्रवास भारत सहित किसी भी देश के सामाजिक–राजनीतिक ताने–बाने के लिए खतरा है, जिसके संभावित सुरक्षा निहितार्थ हैं।
- देश में ज्यादातर बहस अवैध अप्रवासियों के बारे में है, शरणार्थियों के बारे में नहीं, दो श्रेणियां एक साथ गुच्छित हो जाती हैं।
- एवं क्योंकि हमने समय के साथ दो मुद्दों को उलझा दिया है, इन मुद्दों से निपटने के लिए हमारी नीतियां एवं उपाय स्पष्टता के साथ–साथ नीति उपयोगिता की कमी से ग्रस्त हैं।

ढांचे में अस्पष्टता –

- अवैध अप्रवासियों एवं शरणार्थियों के प्रति हमारी नीतियों के भ्रमित होने का मुख्य कारण यह है कि भारतीय कानून के अनुसार, दोनों श्रेणियों के लोगों को एक समान माना जाता है एवं वे विदेशी अधिनियम, 1946 के अंतर्गत आते हैं जो एक विदेशी की एक सरल परिभाषा प्रदान करता है – 'विदेशी' का अर्थ है 'एक व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है'।
  – यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि अवैध अप्रवासियों एवं शरणार्थियों के बीच मूलभूत अंतर हैं, लेकिन कानूनी प्रावधानों की कमी के कारण भारत उनसे अलग से निपटने के लिए कानूनी रूप से अक्षम है।

OUR BRANCHES: New Delhi | Mumbai | Kolkata | Chennai | Ahmedabad | Bengaluru | Bhilai | Bhubaneswar | Chandigarh | Dehradun | Gandhinagar | Guwahati | Hyderabad| Kanpur | Lucknow | Mehsana | Nagaland | Patna | Raipur | Rajkot | Ranchi | Surat | Vadodara |
WhatsApp no: 7284911227 - 7284811227 chahalacademy@gmail.com

- याद रखें कि भारत 1951 के शरणार्थी सम्मेलन एवं इसके 1967 के प्रोटोकॉल का एक पक्ष नहीं है, जो शरणार्थी संरक्षण से संबंधित प्रमुख कानूनी दस्तावेज हैं।
- इस तरह के कानूनी ढांचे की अनुपस्थिति भी नीति अस्पष्टता की ओर ले जाती है जिससे भारत की शरणार्थी नीति मुख्य रूप से तदर्थवाद द्वारा निर्देशित होती है, जिसकी अक्सर अपनी 'राजनीतिक उपयोगिता' होती है।
- तदर्थ उपाय सरकार को कार्यालय में 'किस तरह के' शरणार्थियों को चुनने एवं चुनने में सक्षम बनाते हैं, जो भी राजनीतिक या भू–राजनीतिक कारणों से स्वीकार करना चाहते हैं, एवं इसी तरह के कारणों से किस तरह के शरणार्थियों को आश्रय देने से बचना चाहते हैं।
- साथ ही, कानूनी ढांचे की अनुपस्थिति से शरणार्थी संरक्षण के घरेलू राजनीतिकरण की संभावना बढ़ जाती है एवं इसकी भू–राजनीतिक दोष–रेखाएं जटिल हो जाती हैं।
- स्पष्ट रूप से निर्धारित शरणार्थी संरक्षण कानून की अनुपस्थिति भी शरणार्थियों को स्वीकार करने या न करने का निर्णय लेते समय भू–राजनीतिक विचारों के लिए द्वार खोलती है।

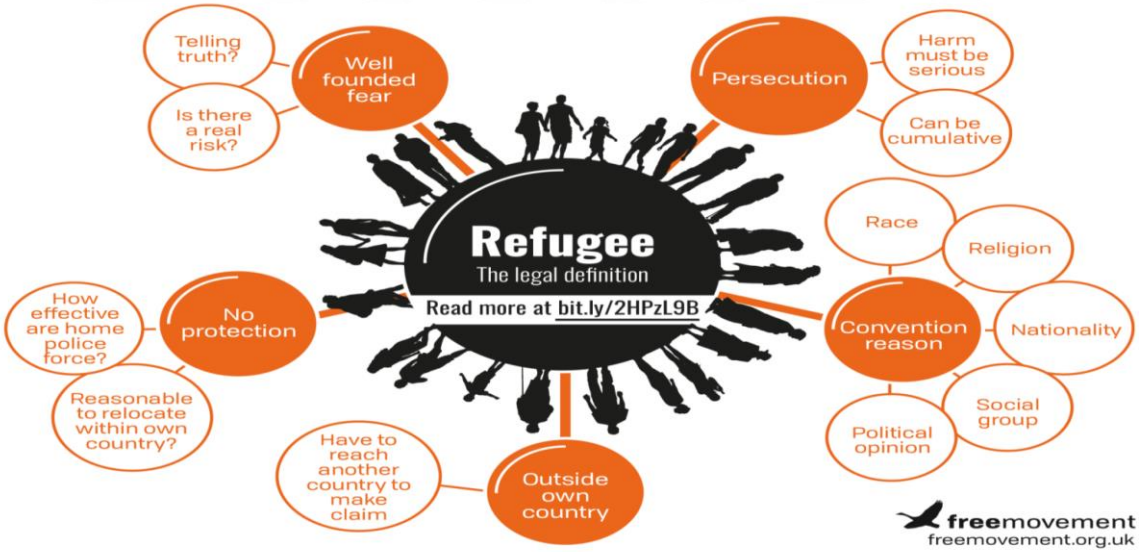

कानूनी, नैतिक जटिलताएं –

- 1951 के शरणार्थी सम्मेलन एवं इसके 1967 के प्रोटोकॉल का एक पक्ष न होने के बावजूद नई दिल्ली दुनिया में शरणार्थियों के सबसे बड़े प्राप्तकर्ताओं में से एक रही है।
- एक के लिए, जैसा कि भारत में अक्सर चर्चा की जाती है, 1951 के सम्मेलन में शरणार्थियों की परिभाषा केवल नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित है, उदाहरण के लिए, व्यक्तियों के आर्थिक अधिकारों से नहीं।
  – अलग तरीके से कहें तो, कन्वेंशन की परिभाषा के तहत एक व्यक्ति पर विचार किया जा सकता है यदि वह राजनीतिक अधिकारों से वंचित है, लेकिन नहीं अगर वह आर्थिक अधिकारों से वंचित है।
  – यदि आर्थिक अधिकारों के उल्लंघन को शरणार्थी की परिभाषा में शामिल किया जाता है, तो यह स्पष्ट रूप से विकसित दुनिया पर एक बड़ा बोझ होगा।
- दूसरी ओर, तथापि, यह तर्क, यदि दक्षिण एशियाई संदर्भ में प्रयोग किया जाता है, तो भारत के लिए भी एक समस्यात्मक प्रस्ताव हो सकता है।
  – एवं फिर भी, यह एकपक्षीयता कुछ ऐसी चीज है जिसे नई दिल्ली ने पारंपरिक रूप से उजागर किया है, एवं उचित रूप से, संधि में इसके गैर–परिग्रहण के कारण के रूप में।
  – आर्थिक अधिकारों की कीमत पर नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों के प्रति पश्चिम का एकतरफा जुनून थोड़ा नैतिक समर्थन के साथ एक सुविधाजनक बहाना है।
- दूसरा, विद्वान के रूप में बी. एस. चिमनी ने तर्क दिया है, 'भारत को 1951 के सम्मेलन में ऐसे समय में शामिल नहीं होना चाहिए जब उत्तर इसका पूर्णतः उल्लंघन कर रहा था... भारत को यह तर्क देना चाहिए कि पश्चिमी राज्यों द्वारा गैर–प्रवेश (नो एंट्री) को वापस लेने पर उनका परिग्रहण शासन उन्होंने पिछले दो दशकों में स्थापित किया है।
- गैर–प्रवेश व्यवस्था का गठन कई कानूनी एवं प्रशासनिक उपायों द्वारा किया जाता है जिसमें वीजा प्रतिबंध, वाहक प्रतिबंध, अवरोध, तीसरा सुरक्षित देश का शासन, 'शरणार्थी' की परिभाषा की प्रतिबंधात्मक व्याख्याएँ, शरण चाहने वालों को सामाजिक कल्याण लाभ वापस लेना, एवं हिरासत की व्यापक प्रथाएँ।'
- दूसरे शब्दों में, भारत को इस मुद्दे पर वैश्विक बातचीत शुरू करने के लिए अपने अनुकरणीय, हालांकि सही से कम, शरणार्थी संरक्षण के इतिहास का उपयोग करना चाहिए।

OUR BRANCHES: New Delhi | Mumbai | Kolkata | Chennai | Ahmedabad | Bengaluru | Bhilai | Bhubaneswar | Chandigarh | Dehradun | Gandhinagar | Guwahati | Hyderabad| Kanpur | Lucknow | Mehsana | Nagaland | Patna | Raipur | Rajkot | Ranchi | Surat | Vadodara |
WhatsApp no: 7284911227 - 7284811227 chahalacademy@gmail.com

नए घरेलू कानून की आवश्यकता –

- उत्तर शायद शरणार्थियों के उद्देश्य से एक नए घरेलू कानून में निहित है।
  – हालांकि, सीएए इस समस्या का समाधान नहीं है, मुख्य रूप से इसकी गहरी भेदभावपूर्ण प्रकृति के कारण – पहली जगह से इस तरह के भेदभाव के कारण अपने देश से पलायन कर रहे शरणार्थियों की चिंताओं को दूर करने के लिए भेदभावपूर्ण कानून का होना नैतिक रूप से अक्षम्य है। अधिक मौलिक रूप से, शायद, सीएए 'शरणार्थी परिहार' के लिए एक अधिनियम है, न कि 'शरणार्थी संरक्षण'।
- शायद समान रूप से महत्वपूर्ण यह है कि इस तरह के घरेलू शरणार्थी कानून में शरणार्थियों के लिए अस्थायी आश्रय एवं वर्क परमिट की अनुमति होनी चाहिए।
- यह महत्वपूर्ण है क्योंकि उचित कानूनी उपायों, शरणार्थी दस्तावेजीकरण एवं वर्क परमिट के अभाव में, शरणार्थी अवैध तरीके से अवैध अप्रवासी बन सकते हैं।
- दूसरे शब्दों में, शरणार्थी कानून की अनुपस्थिति देश में अवैध आप्रवास को प्रोत्साहित करती है।
- नई दिल्ली को अस्थायी प्रवासी कामगारों, अवैध अप्रवासियों एवं शरणार्थियों के बीच अंतर करना चाहिए एवं उचित कानूनी एवं संस्थागत तंत्र के माध्यम से उनमें से प्रत्येक के साथ अलग–अलग व्यवहार करना चाहिए।
- अस्पष्टता एवं राजनीतिक औचित्य के साथ इन मुद्दों को प्रबंधित करने की हमारी पारंपरिक प्रथा अत्यधिक प्रतिकूल हो गई है – यह न तो शरणार्थियों की रक्षा करती है एवं न ही देश में अवैध अप्रवास को रोकने में मदद करती है।

बिम्सटेक को खुद को फिर से तलाशने की जरूरत

समूहीकरण, कार्य जो प्रगति पर है, के पास दूर करने के लिए कई बाधाएं हैं
सामान्य अध्ययन 2 – अंतर्राष्ट्रीय संबंध

प्रसंग –

- बिम्सटेक (बहु–क्षेत्रीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल) के विदेश मंत्रियों की 17वीं बैठक के लिए 1 अप्रैल को वस्तुतः मुलाकात हुई।
- उन्होंने अगस्त 2018 में हुई पिछली मंत्रिस्तरीय बैठक के बाद से उस एजेंडा को आगे बढ़ाया, जिसे महामारी द्वारा रोक दिया गया था।
- उनका प्रमुख कार्य अगले शिखर सम्मेलन, समूह के पांचवें, 'अगले कुछ महीनों' में श्रीलंका में आयोजित होने वाले, के लिए मार्ग प्रशस्त करना था।
- जबकि जी20 से दक्षेस (दक्षिणपूर्व एशियाई राष्ट्र संघ) एवं एससीओ (शंघाई सहयोग संगठन) के अधिकांश बहुपक्षीय समूहों ने 2020 में कोविड–19 महामारी के बीच उच्चतम राजनीतिक स्तर पर अपने विचार–विमर्श किए, बिम्स्टेक नेता ऐसा करने में विफल रहे।
- एक वर्ष पहले भारत की पहल पर आयोजित दक्षेस (दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ) के नेताओं की बैठक के विपरीत, बिम्सटेक अप्रैल 2021 तक अपनी मंत्रिस्तरीय बैठक की व्यवस्था नहीं कर सका।

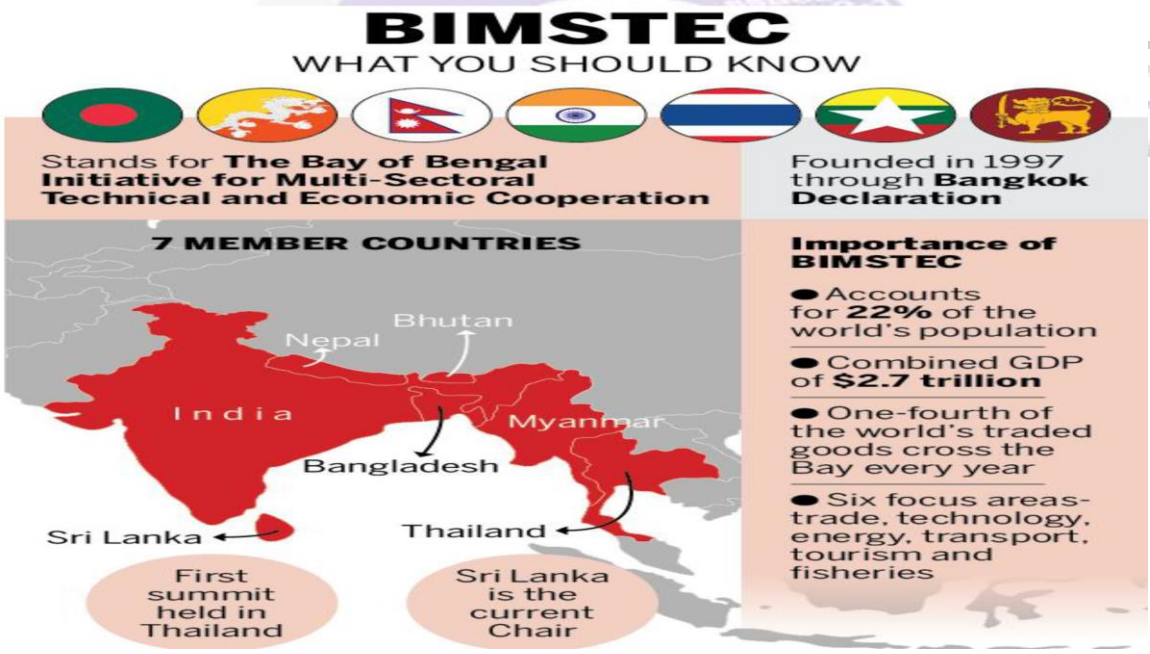

OUR BRANCHES: New Delhi | Mumbai | Kolkata | Chennai | Ahmedabad | Bengaluru | Bhilai | Bhubaneswar | Chandigarh | Dehradun | Gandhinagar | Guwahati | Hyderabad| Kanpur | Lucknow | Mehsana | Nagaland | Patna | Raipur | Rajkot | Ranchi | Surat | Vadodara |
WhatsApp no: 7284911227 - 7284811227 chahalacademy@gmail.com

पृष्ठभूमि –

- तेजी से आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए 1997 की बैंकाक घोषणा के माध्यम से चार देशों – भारत, थाईलैंड, बांग्लादेश एवं श्रीलंका – के समूह के रूप में स्थापित, बिम्सटेक का विस्तार बाद में तीन और देशों – म्यांमार, नेपाल एवं भूटान को शामिल करने के लिए किया गया था।
- यह अपने पहले 20 वर्षों के दौरान केवल तीन शिखर सम्मेलनों एवं मामूली उपलब्धियों के रिकॉर्ड के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ा।
- लेकिन अचानक इस पर विशेष ध्यान दिया गया क्योंकि नई दिल्ली ने इसे लड़खड़ाते दक्षेस की तुलना में क्षेत्रीय सहयोग के लिए एक अधिक व्यावहारिक साधन के रूप में चुना।
- बिम्सटेक लीडर्स रिट्रीट, उसके बाद अक्टूबर 2016 में गोवा में ब्रिक्स नेताओं के साथ उनके आउटरीच शिखर सम्मेलन ने लो–प्रोफाइल क्षेत्रीय समूह के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काफी प्रकाश डाला।
- अगस्त 2018 में काठमांडू में आयोजित चौथे नेताओं के शिखर सम्मेलन ने संस्थागत सुधार एवं नवीनीकरण के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना तैयार की जिसमें आर्थिक एवं सुरक्षा सहयोग शामिल होगा।
- बिम्सटेक को अधिक औपचारिक एवं मजबूत आधार प्रदान करने के लिए एक चार्टर तैयार करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया।
- अब साझा लक्ष्य 'एक शांतिपूर्ण, समृद्ध एवं सतत बंगाल की खाड़ी क्षेत्र' की ओर बढ़ना है।
- मई 2019 में मोदी सरकार के दूसरे शपथ ग्रहण में सार्क नहीं बिम्सटेक के नेताओं को सम्मानित अतिथि के रूप में आमंत्रित किया था।
- इसके तुरंत बाद, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत ने बिम्सटेक में 'ऊर्जा, मानसिकता एवं संभावना' का मिश्रण देखा।

हाल के फैसले –

- विदेश मंत्रियों ने बिम्सटेक चार्टर के मसौदे को जल्द से जल्द अपनाने की सिफारिश करते हुए मंजूरी दे दी।
- उन्होंने गतिविधि के क्षेत्रों एवं उप–क्षेत्रों के युक्तिकरण का समर्थन किया, जिसमें प्रत्येक सदस्य–राज्य एएसआई के लिए एक नेतृत्व के रूप में विशेष रुचि वाले क्षेत्र में कार्य करता है।
- मंत्रियों ने परिवहन कनेक्टिविटी के लिए मास्टर प्लान के लिए भी अपना समर्थन व्यक्त किया, जिसे अगले शिखर सम्मेलन में अपनाया जाएगा।
- तीन समझौतों पर हस्ताक्षर करने की तैयारी पूरी कर ली गई है
  – आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता,
  – राजनयिक अकादमियों के बीच सहयोग, एवं
  – कोलंबो में एक प्रौद्योगिकी हस्तांतरण सुविधा की स्थापना।
- हाल के विचार–विमर्शों से जो कमी रह गई है वह व्यापार एवं आर्थिक दस्तावेज पर प्रगति की कमी का संदर्भ है।
- फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा जनवरी 2018 के एक अध्ययन ने सुझाव दिया था कि बिम्सटेक को वास्तविक गेम चेंजर बनने के लिए एक व्यापक मुक्त व्यापार समझौते की तत्काल आवश्यकता है।
  – आदर्श रूप से इसमें वस्तुओं, सेवाओं एवं निवेश में व्यापार शामिल होना चाहिए, नियामक सामंजस्य को बढ़ावा देना, क्षेत्रीय मूल्य श्रृंखला विकसित करने वाली नीतियों को अपनाना, एवं गैर–टैरिफ बाधाओं को खत्म करना शामिल है। इन सात देशों के जीवंत व्यापारिक समुदायों को उत्साहित करने एवं संलग्न करने, एवं उनके संवाद, बातचीत एवं लेनदेन का विस्तार करने के प्रयास में भी कमी थी।
- इस स्कोर पर, बिम्सटेक एक कार्य है जो प्रगति पर है। 2004 में हस्ताक्षरित बिम्सटेक मुक्त व्यापार क्षेत्र फ्रेमवर्क समझौते को लागू करने के लिए 20 से अधिक दौर की बातचीत अभी तक फलीभूत नहीं हुई है।
- इसके विपरीत, मानवीय सहायता एवं आपदा राहत एवं सुरक्षा में बहुत कुछ हासिल किया गया है, जिसमें आतंकवाद का मुकाबला, साइबर सुरक्षा एवं तटीय सुरक्षा सहयोग शामिल है।
- भारत ने निरंतर फोकस एवं अनुवर्ती कार्रवाई के माध्यम से नेतृत्व किया है – इस हद तक कि कुछ सदस्य–राज्यों ने बिम्सटेक के 'अति–प्रतिभूतीकरण' के बारे में शिकायत की है।
- इसी तरह, जबकि राष्ट्रीय व्यापार मंडलों को अभी भी बिम्सटेक परियोजना के साथ बेहतर ढंग से जोड़ा जाना है, अकादमिक एवं रणनीतिक समुदाय ने बिम्सटेक नेटवर्क ऑफ पॉलिसी थिंक टैंक एवं अन्य मंच के माध्यम से पर्याप्त उत्साह दिखाया है।

कठिनाईयाँ –

- अब लक्ष्य बिम्सटेक की सफलता में आने वाली बाधाओं को दूर करना होना चाहिए।
- सबसे पहले, एक मजबूत बिम्सटेक अपने सभी सदस्य–राज्यों के बीच सौहार्दपूर्ण एवं तनाव मुक्त द्विपक्षीय संबंधों को मानता है।
- दूसरा, सार्क पर अनिश्चितता मंडरा रही है, मामले को जटिल बनाते हुए
  – काठमांडू एवं कोलंबो दोनों ही चाहते हैं कि सार्क शिखर सम्मेलन फिर से शुरू हो, भले ही वे बिम्सटेक के भीतर बेहद उत्साह के साथ सहयोग करें।
- तीसरा, दक्षिण–दक्षिण–पूर्व एशियाई क्षेत्र में चीन की निर्णायक घुसपैठ ने काली छाया डाली है।
- अंत में, म्यांमार में सैन्य तख्तापलट, प्रदर्शनकारियों की क्रूर कार्रवाई एवं लोकप्रिय प्रतिरोध की निरंतरता के परिणामस्वरूप लंबे समय तक गतिरोध ने चुनौतियों का एक नया सेट तैयार किया है।

OUR BRANCHES: New Delhi | Mumbai | Kolkata | Chennai | Ahmedabad | Bengaluru | Bhilai | Bhubaneswar | Chandigarh | Dehradun | Gandhinagar | Guwahati | Hyderabad| Kanpur | Lucknow | Mehsana | Nagaland | Patna | Raipur | Rajkot | Ranchi | Surat | Vadodara |

WhatsApp no: 7284911227 - 7284811227 chahalacademy@gmail.com

निष्कर्ष –

- जैसा कि बिम्सटेक अगले वर्ष अपने गठन की रजत जयंती मनाने के लिए तैयार है, यह एक गंभीर चुनौती का सामना कर रहा है –
  – 'हमारे सहयोग एवं क्षेत्रीय एकीकरण के स्तर को बढ़ाने में एक आदर्श–परिवर्तन' को प्रभावित करने के लिए, जैसा कि श्री जयशंकर ने 1 अप्रैल को कहा था।
- समूह को खुद को फिर से बनाने की जरूरत है, संभवतः खुद को 'बंगाल की खाड़ी समुदाय' के रूप में भी बदल देना चाहिए।
- इसे नियमित वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजित करने पर विचार करना चाहिए।
- तभी इसके नेता इस क्षेत्र को दक्षिण एशिया एवं दक्षिण पूर्व एशिया को जोड़ने वाले इस अनूठे मंच के लिए नई दृष्टि के प्रति अपनी मजबूत प्रतिबद्धता के बारे में आश्वस्त करेंगे।

भारत एवं महान शक्ति त्रिकोण

सामान्य अध्ययन 2 – भारत एवं इसके द्विपक्षीय, क्षेत्रीय संबंध

संदभ –

- रूसी विदेश मंत्री की दिल्ली एवं इस्लामाबाद की हालिया यात्रा एवं चीन का नाटकीय उदय एवं बीजिंग की नई मुखरता भारत के महान शक्तियों के साथ बदलते संबंधों को इंगित करती है।

दिल्ली के लिए बदलाव क्यों मायने रखता है?

परिवर्तन दुनिया की एकमात्र स्थायी विशेषता है एवं भारत को इससे निपटने की आवश्यकता है।

– अमेरिका एवं यूरोप के साथ दिल्ली की बढ़ती रणनीतिक साझेदारी पश्चिम से भारत के लंबे समय से चले आ रहे अलगाव को समाप्त कर देगी।

– अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में भारत का सापेक्षिक भार लगातार बढ़ रहा है एवं इसकी विदेश नीति को अधिक स्थान दे रहा है।

महान संबंधों की एक झलक –

चीन–रूसी संबंध –

- 1950 –
  – स्टालिन एवं माओत्से तुंग द्वारा 1950 में गठबंधन की एक औपचारिक संधि ने वैचारिक आत्मीय साथियों को जन्म दिया।
  – इस संघ को व्यापक आर्थिक एवं सुरक्षा सहयोग द्वारा आक्रामक रूप से समर्थन दिया गया था।
  – जहां रूस ने न केवल चीन के आर्थिक आधुनिकीकरण में बड़े पैमाने पर निवेश किया बल्कि चीन को परमाणु हथियार संपन्न देश बनने में तकनीकी रूप से भी मदद की।
  – चीन ने 1980 में समाप्त हुई 1950 की रूसी–सुरक्षा संधि का विस्तार करने से मना कर दिया।
- 1960 –
  – इस भ्रम को तोड़ते हुए कि कम्यूनिस्ट राज्यों की सेनाएँ आपस में नही लड़ती, 1969 में चीन–सोवियत सेनाओं में लड़ाई हुई एवं इसके परिणाम उनके द्विपक्षीय संबंधों से बहुत आगे के हैं।
- 1980 एवं उसके बाद –
  – रूस पर भारी अमेरिकी दबाव में, इसने बीजिंग के साथ संबंधों को सामान्य बनाने की मांग की। उसी समय सोवियत संघ के पतन के बाद, राजनीतिक पश्चिम का हिस्सा बनने में विफलता के कारण रूस ने चीन के साथ एक मजबूत साझेदारी का निर्माण किया।

भारत–रूस संबंध –

- चीन–रूस विभाजन ने 1962 के युद्ध के बाद बीजिंग के खिलाफ दिल्ली के लिए जगह खोल दी।
- 1960–70 के दशक में, चीन ने मास्को के साथ दिल्ली की साझेदारी पर कड़ी आपत्ति जताई।
- हालांकि भारत–रूस रणनीतिक संपर्क कायम रहे लेकिन दिल्ली को समस्याओं का सामना करना पड़ा।
- कश्मीर मुद्दे में एंग्लो–अमेरिकन हस्तक्षेपों के खिलाफ यूएनएससी में बार–बार वीटो पारित करके दिल्ली को हमेशा रूस द्वारा समर्थित किया गया था।
- भारत एक संभावित यूएस–रूसी वैश्विक कोंडोमिनियम के खतरों के बारे में चिंतित था।
- 1960 के दशक में अमेरिका–रूस द्वारा की गई परमाणु अप्रसार संधि के बारे में दिल्ली चिंतित थी जिसने भारत के सभी परमाणु विकल्पों को बाधित किया।
- कई रूसी हस्तक्षेपों ने क्षेत्रीय एवं विश्व स्तर पर जैसे हंगरी, अफगानिस्तान ने भारत के लिए राजनीतिक कठिनाइयां पैदा कीं।
- भारत ने 'एशियाई सामूहिक सुरक्षा' पर रूस के विचारों को कभी पसंद नहीं किया।

OUR BRANCHES: New Delhi | Mumbai | Kolkata | Chennai | Ahmedabad | Bengaluru | Bhilai | Bhubaneswar | Chandigarh | Dehradun | Gandhinagar | Guwahati | Hyderabad| Kanpur | Lucknow | Mehsana | Nagaland | Patna | Raipur | Rajkot | Ranchi | Surat | Vadodara |
WhatsApp no: 7284911227 - 7284811227 chahalacademy@gmail.com

अमेरिका–रूस संबंध –

- हालांकि आज रूस अमेरिका के साथ भारत की बढ़ती सामरिक गर्मजोशी से नाराज है, लेकिन इसका अमेरिका के साथ सहयोग का एक लंबा इतिहास रहा है।
- रूस एवं अमेरिका द्वितीय विश्वयुद्ध एवं याल्टा प्रणाली के निर्माण में जो वर्तमान विश्व व्यवस्था का आधार है, में सहयोगी थे।
- 1940 के दशक के अंत तक, रूस एवं अमेरिका के बीच गठबंधन एक शीत युद्ध में बदल गया।
- लेकिन 1960 के दशक तक, अमेरिका के साथ शांतिपूर्ण सह–अस्तित्व की रूस की इच्छा ने दोनों को परमाणु हथियार नियंत्रण की नींव रखी एवं साझा वैश्विक नेतृत्व के लिए एक नया ढांचा विकसित करने की मांग की।

चीन–अमेरिका –

- 1950 के दशक की शुरुआत में, चीन ने अमेरिका के साथ एक बहुत महंगा कोरियाई युद्ध लड़ा।
- लेकिन 1971 में कथित रूसी खतरे का मुकाबला करने के लिए, चीन अमेरिका के साथ गठबंधन के तैयार हुआ।
- 1970 के दशक में चीन यूएस–सोवियत डिटेंटे की निंदा करने में और भी अधिक मुखर था, लेकिन अमेरिका की ओर अधिक झुक गया।
- अमेरिका एवं पश्चिम के साथ एक ठोस आर्थिक साझेदारी के निर्माण पर चीन के ध्यान ने एक महान शक्ति के रूप में चीन के उदय में तेजी लाने में मदद की।

वर्तमान एवं भविष्य की प्रवृत्ति –

- आज चीन की अर्थव्यवस्था रूस से 9 गुना बड़ी है जो हमें याद दिलाती है कि समय के साथ शक्ति संतुलन अनिवार्य रूप से बदल जाएगा।
- हालांकि चीन एवं रूस दोनों, जिन्होंने भारत के 'एशियाई नाटो' में शामिल होने पर अपनी असहमति जताई थी, हमेशा अमेरिका के साथ विशेष द्विपक्षीय संबंधों की तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं।
- अमेरिका, रूस एवं चीन के बीच त्रिकोणीय गतिशीलता में आए उतार–चढ़ाव हमें याद दिलाते हैं कि न तो वे सबसे अच्छे दोस्त बनने जा रहे हैं एवं न ही उनके संबंध स्थायी रूप से जमे रहेंगे।
- पिछले कुछ वर्षों में, भारत ने अंततः अमेरिकी साझेदारी के लिए अपनी ऐतिहासिक हिचकिचाहट पर एवं फ्रांस एवं यूके जैसी यूरोपीय शक्तियों को लुभाने के अपने प्रयासों को तेज कर दिया।
- भारत भी जापान, कोरिया एवं ऑस्ट्रेलिया जैसी एशियाई शक्तियों के साथ अपने संबंधों का विस्तार कर रहा है।
- द्विपक्षीय संबंधों में भारत के उत्थान के लिए एकमात्र समस्या चीन के साथ है।

निष्कर्ष – दिल्ली ने महान शक्तियों के बीच बदलती गतिशीलता को सफलतापूर्वक प्रबंधित किया है एवं अब भारत के आर्थिक आकार यानी दुनिया में छठे स्थान एवं अधिक व्यापक–आधारित विदेश नीति के कारण महान शक्तियों के बीच संभावित परिवर्तनों से निपटने के लिए बेहतर स्थिति में है।

अध्यादेश का रास्ता खराब है, फिर से लागू करना बदतर है

सरकारें, केंद्र एवं राज्य, उन प्रथाओं का सहारा ले रहे हैं जो कार्यकापालिका द्वारा विधायी शक्ति को हड़पने की तरह है

सामान्य अध्ययन 2 – राजनीति एवं शासन

प्रसंग –

- केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए एक आयोग या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अध्यादेश, 2020 को स्थापित करने वाले अध्यादेश को फिर से जारी किया है।
- यह कानून बनाने के लिए अध्यादेश जारी करने की प्रथा एवं संसद द्वारा उनकी पुष्टि किए बिना अध्यादेशों को फिर से जारी करने की प्रथा पर सवाल उठाता है।

भारतीय संविधान में अध्यादेश –

- अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति की अध्यादेश बनाने की शक्ति से संबंधित है। राष्ट्रपति के पास कई विधायी शक्तियाँ हैं एवं यह शक्ति उनमें से एक है।
- संविधान केंद्र एवं राज्य सरकारों को कानून बनाने की अनुमति देता है जब संसद (या राज्य विधानमंडल) अगली बैठक से 6 सप्ताह की स्वचालित समाप्ति तिथि के साथ तत्काल आवश्यकताओं के लिए सत्र में नहीं है।
- संविधान सभा में, जबकि इस बात पर चर्चा चल रही थी कि अध्यादेश कितने समय तक वैध रह सकता है (कुछ सदस्यों ने इसे प्रख्यापित करने के चार सप्ताह के भीतर समाप्त करने के लिए कहा क्योंकि यह संसद के तत्काल सत्र को बुलाने के लिए पर्याप्त समय होगा), किसी ने अध्यादेश को फिर से लागू करने की संभावना नही जताई। शायद ऐसी घटना उनकी कल्पना से परे थी।

OUR BRANCHES: New Delhi | Mumbai | Kolkata | Chennai | Ahmedabad | Bengaluru | Bhilai | Bhubaneswar | Chandigarh | Dehradun | Gandhinagar | Guwahati | Hyderabad| Kanpur | Lucknow | Mehsana | Nagaland | Patna | Raipur | Rajkot | Ranchi | Surat | Vadodara |

WhatsApp no: 7284911227 - 7284811227 chahalacademy@gmail.com

डेटा क्या दिखाता है

- जबकि एक अध्यादेश कि कठोर रूप से एक आपातकालीन प्रावधान के रूप में कल्पना की गई थी, इसका नियमित रूप से उपयोग किया गया
  – 1950 के दशक में, केंद्रीय अध्यादेश 7.1 प्रति वर्ष की औसत से जारी किए गए थे।
  – 1990 के दशक में यह संख्या 19.6 प्रति वर्ष के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई, एवं 2010 में घटकर 7.9 प्रति वर्ष हो गई।
  – पिछले कुछ वर्षों में वृद्धि हुई है, 2019 में 16, 2020 में 15 एवं इस वर्ष अब तक चार।
- राज्य सरकारें भी इस प्रावधान का बहुत बार उपयोग करती हैं। अर्थशास्त्र के प्रोफेसर डी. सी. वाधवा द्वारा एक रिट याचिका के माध्यम से इस मुद्दे को सर्वोच्च न्यायालय में लाया गया था, जिन्होंने इस तथ्य की खोज तब की थी जब वह भूमि के पट्टे पर शोध कर रहे थे।
- उन्होंने पाया कि बिहार ने 1967 एवं 1981 के बीच 256 अध्यादेश जारी किए थे, जिनमें से 69 को कई बार फिर से लागू किया गया था, जिनमें 11 को 10 से अधिक वर्षों तक जीवित रखा गया था।
- 1986 में सुप्रीम कोर्ट की पांच–न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने फैसला सुनाया कि अध्यादेशों का पुनर्मूल्यांकन संवैधानिक योजना के विपरीत था।
- यह कार्यपालिका को आपात स्थिति में कानून बनाने के मामले में अपनी संवैधानिक सीमा का उल्लंघन करने एवं विधानमंडल के कानून बनाने के कार्य को गुप्त एवं परोक्ष रूप से खुद पर आरोप लगाने में सक्षम बनाएगा।
- दिलचस्प बात यह है कि कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रपति (यानी केंद्र सरकार) द्वारा अध्यादेश को फिर से जारी करने का एक भी उदाहरण नहीं है।
- फैसले ने अभ्यास को नहीं रोका। इसके बजाय, केंद्र ने भी बिहार की अगुवाई में चलना शुरू कर दिया।
- उदाहरण के लिए, 2013 एवं 2014 में, प्रतिभूति कानून (संशोधन) अध्यादेश को तीन बार प्रख्यापित किया गया था।
- इसी तरह, भूमि अधिग्रहण अधिनियम में संशोधन के लिए एक अध्यादेश दिसंबर 2014 में जारी किया गया था, एवं दो बार – अप्रैल एवं मई 2015 में फिर से जारी किया गया था।

एक असंवैधानिक अभ्यास

- मामला फिर से सुप्रीम कोर्ट में आया एवं जनवरी 2017 में सात जजों की संविधान पीठ ने इस प्रथा को असंवैधानिक घोषित कर दिया।
  – निर्णय ने निष्कर्ष निकाला कि, 'अध्यादेशों का पुर्नप्रख्यापन संविधान के साथ एक धोखाधड़ी है एवं लोकतांत्रिक विधायी प्रक्रियाओं का एक तोड़फोड़ है।'
- यहां तक कि इस फैसले की भी अनदेखी की गई है।
  – भारतीय चिकित्सा परिषद संशोधन अध्यादेश सितंबर 2018 में जारी किया गया था, एवं जनवरी 2019 में इसे फिर से जारी किया गया था, क्योंकि इसे संसद के केवल एक सदन ने मध्यवर्ती सत्र में पारित किया था।
  – वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग का वर्तमान मामला और भी गंभीर है। अक्टूबर 2020 के अध्यादेश को हाल के बजट सत्र के पहले दिन संसद में रखा गया था, लेकिन इसे बदलने के लिए एक विधेयक पेश नहीं किया गया था।
- राज्य भी कानून बनाने के लिए अध्यादेश के रास्ते का इस्तेमाल करते रहे हैं।
  – उदाहरण के लिए, 2020 में, केरल ने 81 अध्यादेश जारी किए, जबकि कर्नाटक ने 24 एवं महाराष्ट्र ने 21 अध्यादेश जारी किए।
  – केरल ने भी अध्यादेषों को फिर से जारी किया है – केरल डिजिटल विज्ञान, नवाचार एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए एक अध्यादेश जनवरी 2020 एवं फरवरी 2021 के बीच पांच बार प्रख्यापित किया गया।

विधायिकाओं, न्यायालयों पर दायित्व –

- कानूनी स्थिति स्पष्ट है, एवं सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठों द्वारा स्पष्ट किया गया है।
- पुनर्प्रकाशन की अनुमति नहीं है क्योंकि यह कार्यपालिका द्वारा विधायी शक्ति का हथियाना होगा।
- चूंकि केंद्र एवं राज्य दोनों की सरकारें इस सिद्धांत का उल्लंघन कर रही हैं, इसलिए विधायिकाओं एवं न्यायालयों को इस प्रथा की जांच करनी चाहिए।
- शक्तियों का पृथक्करण एवं नियंत्रण एवं संतुलन की अवधारणा का यही अर्थ है।
- अन्य दो अंग भी एक स्पष्ट रूप से गलत व्यवस्था पर रोक न लगाकर, संविधान के प्रति अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं।
- पिछले कुछ दशकों में, बौद्धिक संपदा नियमों ने स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच के अधिकार के लिए एक घातक बाधा के रूप में कार्य किया है।

OUR BRANCHES: New Delhi | Mumbai | Kolkata | Chennai | Ahmedabad | Bengaluru | Bhilai | Bhubaneswar | Chandigarh | Dehradun | Gandhinagar | Guwahati | Hyderabad| Kanpur | Lucknow | Mehsana | Nagaland | Patna | Raipur | Rajkot | Ranchi | Surat | Vadodara |
WhatsApp no: 7284911227 - 7284811227 chahalacademy@gmail.com

एक पूर्णतः गलत शासन

पिछले कुछ दशकों में बौद्धिक संपदा कानून स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच बनानें में बाधा सिद्ध हुए हैं

सामान्य अध्ययन 2 – सरकारी नीतियां एवं हस्तक्षेप

प्रसंग –

- ऐसा प्रतीत होता है कि एक अभूतपूर्व महामारी भी जीवन रक्षक दवाओं के उत्पादन एवं वितरण पर एकाधिकार अधिकारों को नियंत्रित करने वाली मौजूदा वैश्विक व्यवस्था को बदलने के लिए बहुत छोटी है।
- बौद्धिक संपदा नियम जिन्होंने पिछले कुछ दशकों में स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच के अधिकार के लिए घातक बाधा के रूप में कार्य किया है।
- नव–उदारवादी आदेश, जिसके तहत ये कानून मौजूद हैं, आज इतने कठिन है कि पेटेंट सुरक्षा पर छूट के अनुरोध के रूप में सरल प्रतीत होने वाला मामला अपवाद के अयोग्य दावे के रूप में देखा जाता है।

छूट के लिए अनुरोध –

- पिछले वर्ष 2 अक्टूबर को, भारत एवं दक्षिण अफ्रीका ने विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) को एक संयुक्त याचिका प्रस्तुत की, जिसमें बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार–संबंधित पहलुओं (ट्रिप्स) पर 1995 के समझौते के तहत नियमों को अस्थायी रूप से निलंबित करने का अनुरोध किया गया था।
- इस हद तक छूट मांगी गई थी कि ट्रिप्स द्वारा प्रदान की जाने वाली सुरक्षा कोविड–19 की रोकथाम एवं उपचार पर प्रभाव डालती है।
- तब से, छूट के अनुरोध को 100 से अधिक देशों का समर्थन मिला है।
- लेकिन राज्यों का एक छोटा समूह – यू.एस., यूरोपीय संघ, यू.के. एवं कनाडा – इस कदम को अवरुद्ध करना जारी रखे है।
- इन देशों के पास पहले से ही उपलब्ध टीकों के बहुमत को सुरक्षित करने के बावजूद उनकी अनिच्छा है।
- रिपोर्टों से पता चलता है कि अधिकांश गरीब देशों के लिए व्यापक टीकाकरण प्राप्त होने में कम से कम 2024 तक का समय लगेगा।
- एक पेटेंट एक आविष्कारशील उत्पाद या प्रक्रिया बनाने, उपयोग करने एवं बेचने के लिए एक विशेष अधिकार के राज्य द्वारा एक सम्मान है।
- पेटेंट कानून आमतौर पर तीन अलग–अलग आधारों पर उचित होते हैं –
  – इस विचार पर कि लोगों को अपने आविष्कारों पर नियंत्रण का दावा करने का एक प्राकृतिक एवं नैतिक अधिकार है
  – उपयोगितावादी आधार पर कि अनन्य लाइसेंस आविष्कार को बढ़ावा देते हैं एवं इसलिए समग्र रूप से समाज को लाभान्वित करते हैं तथा
  – इस विश्वास पर कि व्यक्तियों को उनके श्रम एवं योग्यता के फल से लाभ उठाने की अनुमति दी जानी चाहिए, जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु का उत्पादन करने के लिए परिश्रम करता है, तो परिश्रम एवं वस्तु अविभाज्य हो जाती है।
- इनमें से प्रत्येक औचित्य लंबे समय से प्रतिस्पर्धा का विषय रहा है, विशेष रूप से फार्मास्युटिकल दवाओं एवं प्रौद्योगिकियों पर एकाधिकार के दावों के आवेदन में।

एक नई विश्व व्यवस्था –

- भारत में, एक तरफ आविष्कार को बढ़ावा देने एवं दवाओं पर विशेष अधिकार देने के विचार को संयूक्त करने का सवाल यह सुनिश्चित करने के राज्य के दायित्व के साथ है कि हर व्यक्ति को बुनियादी स्वास्थ्य सेवा तक समान पहुंच हो, दूसरी ओर यह निरंतर तनाव का स्रोत रहा है।
- औपनिवेशिक–युग के कानून जो देश को विरासत में मिले हैं, उन्हें फार्मास्युटिकल पेटेंट के लिए स्पष्ट रूप से अनुमति दी गई है।
- लेकिन 1959 में न्यायमूर्ति एन. राजगोपाल अय्यंगार की अध्यक्षता वाली एक समिति ने नैतिक आधार पर इस पर आपत्ति जताई।
  – समिति ने पाया कि विदेशी निगमों ने भारतीय संस्थाओं से प्रतिस्पर्धा को दबाने के लिए पेटेंट एवं अदालतों से प्राप्त निषेधाज्ञा का इस्तेमाल किया, एवं इस प्रकार, दवाओं की कीमत अत्यधिक दरों पर थी।
  – इस प्रवृत्ति का मुकाबला करने के लिए, समिति ने सुझाव दिया, एवं संसद ने पेटेंट अधिनियम, 1970 के माध्यम से इसे कानून में डाल दिया, कि फार्मास्युटिकल दवाओं पर एकाधिकार को पूरी तरह से हटा दिया जाए, केवल प्रक्रियाओं के दावों पर सुरक्षा प्रदान की जाए।
  – नियम में इस बदलाव ने भारत में जेनेरिक निर्माताओं को बढ़ने की अनुमति दी।
- इसके परिणामस्वरूप, लोगों को जीवन रक्षक दवाएं अधिक किफायती कीमतों पर उपलब्ध कराई गईं।
- नए कानून पर स्याही बमुश्किल सूख गई थी, हालांकि, जब एक विश्व व्यापार संगठन बनाने के लिए बातचीत शुरू हुई तो उसके संविधान में बौद्धिक संपदा को नियंत्रित करने वाले नियमों का एक बाध्यकारी सेट लिखा्या।
- यह माना जाता था कि विवाद समाधान तंत्र के माध्यम से लागू किए जाने वाले प्रतिबंधों का खतरा राज्यों को अपने वादों से मुकरने से रोकेगा एवं 1995 में ट्रिप्स समझौते के आगमन के साथ यह विश्वास सच साबित हुआ।
- जब भारतीय कंपनियों ने इन दवाओं के जेनेरिक संस्करणों का निर्माण शुरू किया, जो संभव हो सका क्योंकि ट्रिप्स के तहत दायित्व अभी तक भारत के खिलाफ नहीं आए थे, तो कीमतें नीचे आ गईं।

OUR BRANCHES: New Delhi | Mumbai | Kolkata | Chennai | Ahmedabad | Bengaluru | Bhilai | Bhubaneswar | Chandigarh | Dehradun | Gandhinagar | Guwahati | Hyderabad| Kanpur | Lucknow | Mehsana | Nagaland | Patna | Raipur | Rajkot | Ranchi | Surat | Vadodara |

WhatsApp no: 7284911227 - 7284811227 chahalacademy@gmail.com

आपत्तियों का खंडन –

- इसके बजाय, प्रचलित पेटेंट व्यवस्था के खिलाफ आपत्तियों के जवाब में दो सामान्य तर्क दिए जाते हैं।
  – एक, जब तक निगमों को उनके आविष्कारों के लिए पुरस्कृत नहीं किया जाता, वे अनुसंधान एवं विकास में उनके द्वारा निवेश की गई राशि की वसूली करने में असमर्थ होंगे।
  – दूसरा, उत्पादन पर एकाधिकार के अधिकार के बिना नवप्रवर्तन के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं होगा।
- इन दोनों दावों का बार–बार खंडन किया गया है।
- हाल ही में, यह बताया गया है कि अमेरिका में मॉडर्न वैक्सीन के उत्पादन में शामिल तकनीक राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान, एक संघीय सरकारी एजेंसी, एवं अन्य सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित विश्वविद्यालयों एवं संगठनों द्वारा किए गए बुनियादी शोध से निकली है।
- इसी तरह, ऑक्सफोर्ड/एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के विकास के लिए 97% से अधिक फंडिंग के लिए सार्वजनिक धन का योगदान था।
- पिछले कुछ समय से यह भी स्पष्ट हो गया है कि इसका शोध आमतौर पर उन बीमारियों की ओर प्रेरित होता है जो विकसित दुनिया के लोगों को पीड़ित करते हैं।
- इसलिए, यह दावा कि पेटेंट को हटाने से किसी तरह कंपनी की लागत वसूल करने की क्षमता पर आक्रमण होगा, केवल असत्य है।
- दूसरी आपत्ति – यह विचार कि पेटेंट ही नवाचार को बढ़ावा देने के लिए उपलब्ध एकमात्र साधन है – एक हठधर्मिता बन गया है।
- अर्थशास्त्री जोसेफ स्टिग्लिट्ज उन कई लोगों में से एक हैं जिन्होंने पेटेंट के स्थान पर चिकित्सा अनुसंधान के लिए पुरस्कार राशि का प्रस्ताव दिया है।
  – एक प्रणाली जो पेटेंट को पुरस्कारों से बदल देती है वह 'अधिक कुशल एवं अधिक न्यायसंगत' होगी, जिसमें अनुसंधान के लिए प्रोत्साहन सार्वजनिक धन से प्रवाहित होगा।
- यह सुनिश्चित करते हुए कि एकाधिकार से जुड़े पूर्वाग्रहों को दूर किया जाए।

निष्कर्ष –

- भारतीय राज्य द्वारा लागू की गई असमान टीका नीति अक्षम्य है।
- लेकिन साथ ही, हम वैश्विक सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता को नजरअंदाज नहीं कर सकते।
- यदि राष्ट्र राज्यों को अच्छे की शक्ति के रूप में कार्य करना है, तो उनमें से प्रत्येक को वैश्विक न्याय की मांगों पर ध्यान देना चाहिए।
- महामारी ने हमें दिखा दिया है कि मौजूदा विश्व व्यवस्था कितनी अन्यायपूर्ण है।
- हम एकाधिकार प्रदान करने वाले नियमों के साथ जारी नहीं रह सकते हैं जो निरंतर संकट की स्थिति में बुनियादी स्वास्थ्य सेवा तक पहुंचने का अधिकार रखते हैं।

एक नया सामाजिक अनुबंध

कोविड हमारी सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा एवं पेंशन योजनाओं में संरचनात्मक परिवर्तन करने का एक अवसर है
सामान्य अध्ययन 2 – स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दे क्षेत्र एवं सार्वजनिक नीति

संदर्भ – कोविड–19 ने दुनिया को याद दिलाया कि एक आधुनिक राज्य एक कल्याणकारी राज्य है, जहां इसने 2020 में 1500 नए सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम देखे एवं संसाधनों के महत्व को भी मजबूत किया।

संपादकीय अंतदृष्टि –

- भारत के लिए, सामाजिक सुरक्षा की स्थिरता इसकी प्रति व्यक्ति जीडीपी रैंकिंग को 138 से ऊपर उठाने में निहित है।
  – भारत की दो सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा एवं पेंशन योजनाओं में सुधार की आवश्यकता है।
  – कर्मचारी राज्य बीमा योजना (ईएसआईएस) एवं कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) दोनों में ग्राहकों के बजाय बंधक हैं, जिनके पास विकल्प चुनने या विकल्प चुनने का कोई विकल्प नहीं है। 1950 के दशक से, हालांकि कर्मचारी कल्याण योजनाओं के रूप में जाना जाता है, दोनों संकट के समय में अपने ग्राहकों की सेवा करने में विफल रहे हैं।

ईएसआईएस एवं ईपीएफ का विवरण –

कर्मचारी राज्य बीमा योजना (ईएसआईएस) –

- यह भारत की सबसे अमीर एवं सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है जिसमें 13 करोड़ लोग शामिल हैं एवं 80,000 करोड़ रुपये नकद में हैं।
- 10 से अधिक कर्मचारियों वाले नियोक्ता 21000/माह तक कमाने वाले कर्मचारियों के लिए अनिवार्य रूप से 4% पेरोल कटौती करते हैं।
- इसके बावजूद इसका कवरेज भारत की आबादी के केवल 10% तक सीमित है,

OUR BRANCHES: New Delhi | Mumbai | Kolkata | Chennai | Ahmedabad | Bengaluru | Bhilai | Bhubaneswar | Chandigarh | Dehradun | Gandhinagar | Guwahati | Hyderabad| Kanpur | Lucknow | Mehsana | Nagaland | Patna | Raipur | Rajkot | Ranchi | Surat | Vadodara |
WhatsApp no: 7284911227 - 7284811227 chahalacademy@gmail.com

- **कर्मचारी भविष्य निधि** – यह भारत की सबसे बड़ी पेंशन योजना है जिसमें 12 लाख करोड़ रूपये का कोष एवं 6.5 करोड़ योगदानकर्ता हैं।
- 20 से अधिक कर्मचारियों वाले नियोक्ता 15000/माह तक कमाने वाले कर्मचारियों के लिए 24% पेरोल कटौती अनिवार्य करते हैं।
  – इसके बावजूद इसमें भारत की 10% श्रम शक्ति शामिल है।

सुधारों की आवश्यकता –
- ईएसआईएस का कवरेज अनुपात भारत की जनसंख्या का केवल 10% है एवं ईपीएफ का कवरेज अनुपात कुल श्रम शक्ति का केवल 10% है।
  – इनमें से 60% खाते एवं 50% पंजीकृत नियोक्ता निष्क्रिय हैं।
- ईएसआईएस का अव्ययित भंडार भारत के स्वास्थ्य देखभाल बजटीय आवंटन से बड़ा है।
- ईपीएफ की प्रशासनिक लागत के बावजूद यह अभी भी दुनिया का सबसे महंगा सरकारी प्रतिभूति म्यूचुअल फंड है, इसकी सेवाएं खराब हैं एवं पुरानी तकनीक का उपयोग करती हैं।
- समाजों में जोखिम–साझाकरण ढांचे को अद्यतन करने की आवश्यकता है क्योंकि वर्तमान संरचनाएं टूट रही हैं।
  – महिलाओं की बदलती भूमिकाओं के कारण
  – लंबे करियर
  – विघटनकारी प्रौद्योगिकियां
  – अति–वैश्वीकरण
- समय, आय एवं वित्तीय बोझ वहन करने के लिए सूक्ष्म सामाजिक सुरक्षा पुनर्वितरण की आवश्यकता है।
- आवश्यकता ईपीएफ एवं ईएसआईएस की समस्याओं को ठीक करने के लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति रखने की है, लेकिन अफोर्डेबल यूनिवर्सल बेसिक इनकम प्रस्तावों के पीछे नहीं जाने की है।

वर्तमान प्रणाली के मुद्द – खराब कवरेज अनुपात। प्रशासनिक लागत सहित उच्च लागत। असंतुष्ट ग्राहक। लक्ष्य के साथ भ्रमित मेट्रिक्स। जेल प्रावधान। अत्यधिक भ्रष्टाचार एवं कम विशेषज्ञता असभ्य एवं जवाबदेह कर्मचारी। बाजार में प्रतिस्पर्धा की कमी। उपरोक्त समस्याओं को तकनीकी समाधानों का उपयोग करके हल नहीं किया जा सकता है, लेकिन अनुकूली समाधानों जैसे कि द थ्री रिफॉर्म्स द्वारा हल किया जा सकता है।

तीन सुधार –

संरचना – नीति निर्माता, नियामक एवं सेवा प्रदाताओं की संयुक्त भूमिकाएं ईपीएफ एवं ईएसआईएस दोनों की वितरण क्षमता में बाधा उत्पन्न कर रही हैं।
– भूमिकाओं को विभाजित करना प्रदर्शन के लिए एक पूर्व शर्त है क्योंकि लक्ष्य की रणनीति एवं कौशल अलग–अलग होते हैं।
– एक स्वतंत्र नीति निर्माता 10% से अधिक कवरेज अनुपात के लिए प्रयास करेगा।
– एक स्वतंत्र नियामक दावा अनुपात के संतुलन को सुनिश्चित करेगा।
– एक स्वतंत्र सेवा प्रदाता प्रौद्योगिकी एवं कौशल विकास में भारी निवेश करेगा।
– इससे ईपीएफ के लिए एनपीएस से पूर्णता प्राप्त होगी।
– सीजीएचएस को ईएसआईएस के साथ विलय करके वीआईपी ऑप्ट–आउट समाप्त करना।
– ईपीएफ अंशदान को स्वैच्छिक बनाकर प्रवर्तनीयता बढ़ाना।
– नियोक्ताओं से खातों को डि–लिंक करके सुवाह्यता में सुधार करना।
– न्यूनतम नियोक्ता हेड–काउंट को सख्ती से समाप्त करके एवं पूर्ण योगदान कैप की शुरुआत करके सार्वभौमीकरण को लक्षित करना।

शासन –
– इएसआईएस एवं ईपीएफ के बड़े शासी बोर्डों ने सार्थक चर्चा, निर्णय लेने एवं निरीक्षण करने में बाधा उत्पन्न की है।
– इस शासन घाटे को
  + 15 से कम सदस्यों वाले छोटे बोर्डों द्वारा भरने की आवश्यकता है।
  + 70 वर्ष की आयु सीमा।
  + 10 वर्ष की अवधि सीमा।
  + डोमेन विशेषज्ञता।
  + सक्रिय उप–समितियां।
  + वास्तविक शक्तियाँ प्रदान करना।

नेतृत्व – सामान्यवादी नौकरशाहों के वर्तमान नेतृत्व को पेशेवर मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बदलना होगा क्योंकि स्वास्थ्य एवं पेंशन के लिए ऐसे कौशल की आवश्यकता होती है जो समय के साथ विकसित होते हैं।

OUR BRANCHES: New Delhi | Mumbai | Kolkata | Chennai | Ahmedabad | Bengaluru | Bhilai | Bhubaneswar | Chandigarh | Dehradun | Gandhinagar | Guwahati | Hyderabad| Kanpur | Lucknow | Mehsana | Nagaland | Patna | Raipur | Rajkot | Ranchi | Surat | Vadodara |

WhatsApp no: 7284911227 - 7284811227 chahalacademy@gmail.com

निष्कष – समानता लोकतंत्र का मूल आधार है। भारत का लोकतंत्र समानता पैदा करने वाले जटिल व्यापार–बंदों में बेहतर रहा है, हालांकि अंतर बना हुआ है। जब सामाजिक सुरक्षा को औपचारिकता, वित्तीयकरण एवं बेहतर शासन जैसी पूरक नीतियों के साथ जोड़ा जाता है तो यह संरचनात्मक एवं कोविड असमानता को कुंद कर सकती है। ईपीएफओ एवं ईएसआईएस के गैर–राजकोषीय सुधार संरचनात्मक परिवर्तनों के लिए शुरू करने के लिए एक बेहतरीन जगह है जो समानता के साथ–साथ इक्विटी सुनिश्चित करता है।

कोविड–19 एवं प्रवासी मजदूर

आजीविका जीवन बचा सकती हैं – मौजूदा सरकारी कार्यक्रम प्रवासियों को उनके मूल स्थानों पर रोजगार के लाभकारी अवसर प्रदान नहीं कर सकते हैं। सरकार को एक विशेष पैकेज के लिए लीक से हटकर सोचना चाहिए।

समान्य अध्ययन 2 – संवेदनशील एवं सार्वजनिक नीति से संबंधित मुद्दे

संदभ – कोविड–19 ने भारत को किसी सुनामी की तरह प्रभावित किया है, एवं स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे से जुझता देश एक बार फिर जीवन एवं आजीविका के मुद्दे को घूर रहा है।

संपादकीय अंतदृष्टि – भारत में प्रवासी मजदूर –

- वे भारत के सकल घरेलू उत्पाद में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। भारत में, 90% श्रम शक्ति अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत है, जहाँ 75% प्रवासी हैं।
- वे निर्माण आदि जैसी अधिकांश आवश्यक सेवाओं का प्रबंधन करते हैं। 2020 तक, भारत में लगभग 600 मिलियन आंतरिक प्रवासी हैं।

कोविड–19 के कारण प्रवासी संकट –

- दूसरी कोविड लहर से पहले, हालांकि भारत धीरे–धीरे 'नए सामान्य' की ओर लौट रहा था, लेकिन यह भूखे प्रवासी कामगारों के गृहनगर वापस जाने की परेशान करने वाली छवियों को नहीं भूला सका था।
- तालाबंदी एवं कारखानों एवं कार्यस्थलों के बंद होने के दौरान –
  - लाखों प्रवासी कामगारों ने अपनी नौकरी खो दी
  - उन्हें एवं उनके परिवार को भूखे रहने के लिए मजबूर किया।
  - कई प्रवासियों को लॉकडाउन के नियम तोड़ने के आरोप में गिरफ्तार किया गया।
  - कई लोग पैदल वापस लौट रहे थे, निर्जलीकरण एवं दुर्घटनाओं से मृत्यु हो गई। विभाजन के बाद से, यह भारत में दूसरा सबसे बड़ा जनसंख्या विस्थापन था।
  - इसने लगभग 200 मिलियन प्रवासियों को विस्थापित किया। बाजार में उनकी कमजोर स्थिति एवं शहरी–ग्रामीण के बीच उनके मौसमी उतार–चढ़ाव के कारण, कमजोर सर्कुलर प्रवासी सबसे ज्यादा प्रभावित वर्ग थे।
  - वे निर्माण स्थलों में एवं रिक्शा चालक के रूप में काम करते हैं।
- प्रवासियों को उनके अनौपचारिक स्वभाव के कारण अक्सर पर्याप्त स्वास्थ्य देखभाल, पोषण, आवास एवं स्वच्छता सुविधाओं से वंचित किया गया है।
- उनमें से अधिकांश के पास कोई बचत नहीं है एवं वे झुग्गियों एवं शयनगृहों में रहते हैं।

मूल स्थान पर प्रवासियों की आजीविका की स्थिति –

- 2020 में कोविड संकट के दौरान, आईएएस&आरएफ ने आईसीआरआईईआर के सहयोग से 6 राज्यों – उप्र, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा एवं बंगाल के प्रवासियों के उनके मूल स्थानों पर रोजगार की स्थिति का सर्वेक्षण किया।
- सर्वेक्षण में निम्नलिखित का पता चला
  - इन 6 राज्यों ने अखिल भारतीय स्तर पर 2/3 प्रवासी कामगारों को कवर किया।
  - उन प्रवासियों में, जिन्होंने शहरों एवं औद्योगिक कस्बों को अपने पैतृक गांवों एवं छोटे शहरों के लिए छोड़ दिया था, उनमें से
    - + 35.4% बेरोजगार थे।
    - + 35.8% कृषि में स्व–नियोजित श्रमिक के रूप में शामिल हैं।
    - + 9.7% कृषि–श्रमिक के रूप में काम करते हैं।
    - + 4.6% मनरेगा एवं अन्य सार्वजनिक कार्यों में काम करते हैं।
    - + 12.2% कैजुअल वर्कर के रूप में कार्य करते हैं।

- इन राज्यों में मूल स्थानों पर रोजगार के पैटर्न भी भिन्न हैं –
  - बिहार के प्रवासियों में सबसे कम बेरोजगारी (3.6%) थी, जबकि बंगाल के प्रवासियों में सबसे अधिक (54%)
  - स्व–रोजगार कृषि में, झारखंड में 67% कार्यरत थे, जबकि बंगाल में बहुत कम लगभग 10% कार्यरत हैं।
- इस प्रवास के परिणामस्वरूप, रोजगार–बेरोजगारी की प्रकृति में परिवर्तन के कारण परिवार की औसत आय में लगभग 86 प्रतिशत की भारी गिरावट आई।
- इसने लॉकडाउन की समाप्ति के बाद 63% प्रवासियों की शहरों में वापसी को प्रेरित किया।

OUR BRANCHES: New Delhi | Mumbai | Kolkata | Chennai | Ahmedabad | Bengaluru | Bhilai | Bhubaneswar | Chandigarh | Dehradun | Gandhinagar | Guwahati | Hyderabad| Kanpur | Lucknow | Mehsana | Nagaland | Patna | Raipur | Rajkot | Ranchi | Surat | Vadodara |
WhatsApp no: 7284911227 - 7284811227 chahalacademy@gmail.com

इस संबंध में सरकारी कदम –

- भारत सरकार अपनी प्रवासी आबादी के लिए कई योजनाएं लेकर आई है।
  – इसने गरीबों के लिए 1.7 लाख करोड़ रुपये खर्च करने की योजना की घोषणा की जिसमें नकद हस्तांतरण एवं अन्य खाद्य सुरक्षा उपाय शामिल थे।
  – मनरेगा के तहत, औसत दैनिक मजदूरी 182 रुपये से बढ़ाकर 202 रुपये कर दी गई।
  – प्रवासी कल्याण के लिए पीएम केयर्स फंड से करीब 1000 करोड़ रूपये आवंटित किये गये है।
  – पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत, सरकार ने 80 मिलियन प्रवासी कामगारों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराया।
- सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों वाली सरकारों ने फंसे हुए प्रवासी कामगारों को मुफ्त भोजन, आश्रय एवं परिवहन प्रदान किया।
- केंद्र ने एक आदेश जारी कर मकान मालिकों को लॉकडाउन अवधि के दौरान किराए की मांग नहीं करने का निर्देश दिया।

सरकारी प्रयासों में कमी –

- खाद्य सुरक्षा योजनाओं जैसे सरकारी प्रयास प्रवासी कामगारों के बड़े हिस्से तक नहीं पहुंचे हैं।
  – लॉकडाउन के दौरान उचित मूल्य की दुकानों की दुर्गमता के कारण।
- उच्चतम न्यायालय ने यह भी स्वीकार किया कि प्रवासी के मुद्दों को संबोधित नहीं किया गया था एवं सरकार की ओर से 'अपर्याप्तता एवं कुछ खामियां' थीं।
- फंसे हुए प्रवासियों के परिवहन के साथ बसों में खराब स्थिति एवं अधिक किराए के मुद्दों का सामना करना पड़ा।
- साथ ही, उच्चतम न्यायालय ने मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी के भुगतान की आवश्यकता वाली याचिका को खारिज कर दिया।

सर्वे में सरकार के प्रयासों के बारे में क्या पता चला –

- सर्वेक्षण इंगित करता है कि मौजूदा सरकारी कार्यक्रम प्रवासियों को उनके मूल स्थानों पर रोजगार के अवसर प्रदान करने में विफल रहे।
- मनरेगा एक रणनीति के रूप में रोजगार प्रदान करने में विफल रहा, केवल 7.7% प्रवासी कार्यरत हैं, क्योंकि यह कुछ ग्रामीण स्थानों तक नहीं पहुंचा है।
  – मनरेगा में प्रवासियों के बीच कोई दिलचस्पी नहीं है।
- यह भी पता चला कि केवल 1.75% प्रवासियों के पास जन धन खाते एवं 28% अन्य बैंक खाते थे।
- किसी भी सरकारी ऋण योजना से लाभान्वित होने वाले प्रवासियों की संख्या 1% से बहुत कम थी एवं कौशल विकास 2% पर था।

अब सरकार को क्या करना चाहिए?

- **अल्पावधि –**
  – इसकी 'एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड' योजना का विस्तार करना एवं शहरों में कार्यस्थलों पर रियायती दर पर अनाज उपलब्ध कराना।
  – सरकारी गोदामों में अतिप्रवाह अनाज स्टॉक इन स्टॉक को बनाए रखने की उच्च लागत के बजाय प्रवासियों को लाभ पहुंचाने के लिए इसका एक हिस्सा वितरित करने के लिए उपयोगी हो सकता है।
  – गरीब कल्याण योजना के तहत वित्तीय सहायता प्रवासियों को भी दी जा सकती है एवं उन्हें कुछ समूह चिकित्सा बीमा के तहत रखकर उन्हें कोविड हमले से बचाया जा सकता है। भारत के पास प्रवासियों का एक मजबूत डेटाबेस होना चाहिए।
- **दीर्घावधि –**

– पूर्वी भारत के लिए एक विशेष पैकेज, जो बुनियादी ढांचे एवं औद्योगिक विकास पर आधारित है।
– लौटने वाले प्रवासियों को नई कृषि–मूल्य श्रृंखला बनाने में शामिल करने से उत्पादक रोजगार सृजित करने एवं आजीविका की रक्षा करने की क्षमता है।

निष्कष – पर्याप्त समर्थन के बिना प्रवासी इस संकट से नहीं बच सकते। प्रवासियों के लिए बुनियादी जरूरतें प्रदान करने में भारत की विफलता ने उन्हें हाशिए पर डाल दिया है एवं सरकारी प्रयासों में गहरा अविश्वास पैदा किया है। समय आ गया है कि सरकार को प्रवासियों की आजीविका एवं जीवन की रक्षा के लिए एक आउट–ऑफ–द–बॉक्स योजना के साथ आए।

◄ ► ◄ ►◄ ►

OUR BRANCHES: New Delhi | Mumbai | Kolkata | Chennai | Ahmedabad | Bengaluru | Bhilai | Bhubaneswar | Chandigarh | Dehradun | Gandhinagar | Guwahati | Hyderabad| Kanpur | Lucknow | Mehsana | Nagaland | Patna | Raipur | Rajkot | Ranchi | Surat | Vadodara |

WhatsApp no: 7284911227 - 7284811227 chahalacademy@gmail.com

सामान्य अध्ययन – 3

दावाग्नि – दावाग्नि वसंत ऋतु में क्यों लगती है, एवं इस वर्ष वे इतनी बार क्यों हुई हैं

सामान्य अध्ययन 3 – आपदा एवं आपदा प्रबंधन (दावाग्नि)

संदभ –

- हाल ही में (4 अप्रैल), उत्तराखंड में 45 से अधिक दावाग्नि देखी गई एवं उसने केंद्र से मदद के लिए गुहार लगाई।
- हाल ही में सिमलीपाल नेशनल पार्क (ओडिशा), बांधवगढ़ फॉरेस्ट रिजर्व (मध्यप्रदेश) में जंगल में आग लग गई।

भारत एवं दावाग्नि –

- वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार, भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्र का कुल वन एवं वृक्ष आवरण 24.56 प्रतिशत है।
- रिपोर्ट इंगित करती है कि भारत के कई राज्य अत्यधिक प्रवण (पूर्वोत्तर राज्यों) से लेकर बहुत अधिक प्रवण (मध्य एवं दक्षिणी भारतीय राज्यों) तक दावाग्नि से अत्यधिक प्रभावित हैं।
- दावाग्नि प्रवण क्षेत्र कुल वन क्षेत्र का 26.2% है।
- हिमालयी राज्य जैसे उत्तराखंड एवं हिमाचल प्रदेश सालाना लगातार दावाग्नि से सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं।
- अन्य बातों के अलावा, उत्तराखंड, जिसका भौगोलिक क्षेत्र 45% से अधिक है, में पिछले 6 महीनों में 1000 से अधिक दावाग्नि की घटनाएं देखी गई हैं।

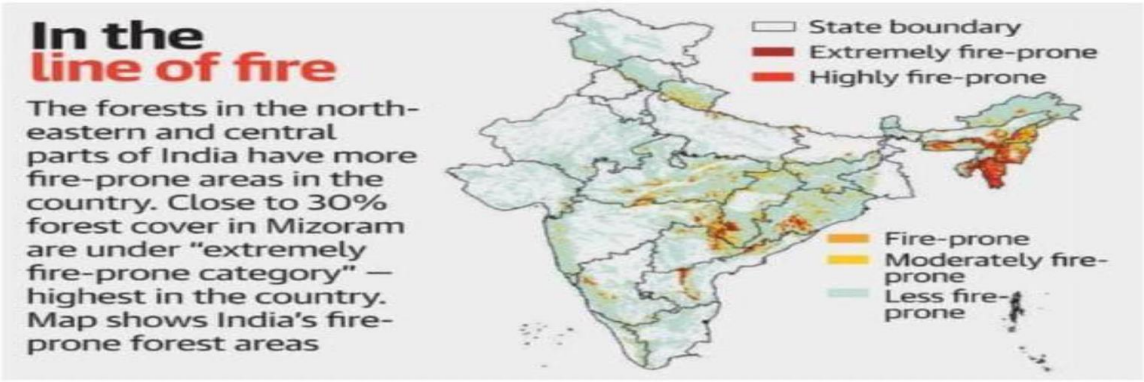

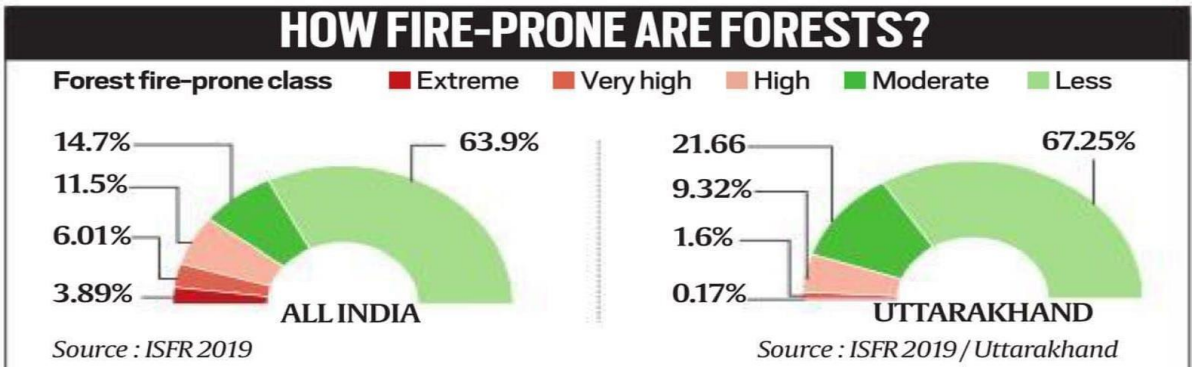

दावाग्नि के कारण – दावाग्नि प्राकृतिक एवं मानवजनित दोनों कारणों से होती है।

प्राकृतिक कारण –

– उत्तराखंड जैसे क्षेत्रों में, मिट्टी में नमी की कमी के साथ–साथ औसत से कम वर्षा को प्रमुख कारक के रूप में देखा जाता है।
– तड़ित एक अन्य कारक है जो पर्णपाती जंगलों में आग लगाती है।
– कम आर्द्रता के साथ उच्च तापमान दावाग्नि के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ प्रदान करते हैं।
– जलवायु परिवर्तन को वैश्विक स्तर पर दावाग्नि के कारण एवं प्रभाव के रूप में देखा जा सकता है। उच्च आवृत्ति, अत्यधिक ज्वलनशील प्रकृति, लंबी अवधि की दावाग्नि की बढ़ती तीव्रता सभी जलवायु परिवर्तन से जुड़ी हुई हैं।

OUR BRANCHES: New Delhi | Mumbai | Kolkata | Chennai | Ahmedabad | Bengaluru | Bhilai | Bhubaneswar | Chandigarh | Dehradun | Gandhinagar | Guwahati | Hyderabad| Kanpur | Lucknow | Mehsana | Nagaland | Patna | Raipur | Rajkot | Ranchi | Surat | Vadodara |
WhatsApp no: 7284911227 - 7284811227 chahalacademy@gmail.com

– इसके अलावा भारत में मार्च एवं अप्रैल में भीषण आग लगती है, जब जंगल सूखी मृत लकड़ियों, पत्तियों एवं घास से भर जाते हैं जो आसानी से आग शुरू करने का काम करते हैं।

मानवजनित कारण – भारत में कई बड़ी आग मानवीय गतिविधियों से उत्पन्न होती हैं जैसे
– माचिस की तीली, सिगरेट बट, बिजली की चिंगारी या प्रज्वलन का कोई भी स्रोत जो जानबूझकर या लापरवाही के कारण होता है, वह भी दावाग्नि का कारण बनता है।
– हाल ही में सिमिलिपाल दावाग्नि में, महुआ के फूलों को इकट्ठा करने के लिए स्थानीय लोगों ने सूखे पत्तों में आग लगा दी जिससे बड़े पैमाने पर जंगल में आग लग गई।
– सदियों से भले ही भारतीय जंगल दावाग्नि से प्रभावित हैं, लेकिन समस्या आज और बढ़ गई है।
– बढ़ती मानव एवं मवेशियों की आबादी ने चराई, वन उत्पादों एवं स्थानांतरित खेती की बढ़ती मांग को जन्म दिया है।

दावाग्नि को नियंत्रित करने में चुनौतियाँ –
- बड़े कार्यों को करने के लिए भू–भाग एवं स्थलाकृतिक अवरोध।
- अत्यधिक संभावित क्षेत्रों में पर्याप्त अग्निशमन कर्मियों की कमी।
- घने जंगलों के माध्यम से वन कर्मचारियों एवं उपकरणों को समय पर जुटाने में भारी अंतराल।
- भारी पानी के वाहनों के उपयोग में ढांचागत अड़चनें।
- तेज हवा की गति एवं हवा की दिशा दावाग्नि को नियंत्रित करने में बड़ी बाधा उत्पन्न करती है।

दावाग्नि के परिणाम –
- जलवायु परिवर्तन में शमन एवं अनुकूलन में वनों की प्रमुख भूमिका दावाग्नि से प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगी।
- इससे वन पारिस्थितिकी तंत्र का ह्रास होता है, जिसके कारण व्यापक रूप से प्रतिकूल प्रभाव पड़ते हैं व भारत, जहां लकड़ी, चारा आदि के लिए जंगलों पर निर्भर 1.7 लाख गांवों की आजीविका अत्यधिक प्रभावित होगी।
  – आग के दौरान उत्पन्न गर्मी जानवरों के आवास को नष्ट कर देती है एवं उनके विलुप्त होने का कारण बन सकती है।
  – मिट्टी की नमी एवं उर्वरता बदलने के कारण मिट्टी की गुणवत्ता में कमी आती है, कुल मिलाकर वे मिट्टी की उत्पादकता को प्रभावित करते हैं।
  – यह कार्बन सिंक संसाधनों को भी कम करता है एवं वातावरण में CO_2 को बढ़ाता है। जिससे क्षेत्र का माइक्रोकलाइमेट बदल रहा है एवं ओजोन परत भी घट रही है।

दावाग्नि को नियंत्रित करने के लिए उठाए गए कदम –
- 2004 में, एफएसआई ने वास्तविक समय में दावाग्नि की निगरानी के लिए वन अग्नि चेतावनी प्रणाली विकसित की।
- 2019 में, उपरोक्त सिस्टम को अपग्रेड किया गया है एवं अब सैटेलाइट सूचना का उपयोग करता है।
- मोडिस सेंसर का उपयोग करते हुए, एफएसआई पहचाने गए आग के हॉटस्पॉट की वास्तविक समय की जानकारी एकत्र करता है।
- **दावाग्नि पर राष्ट्रीय कार्य योजना, 2018**
  – देश में आग प्रबंधन में सुधार के लिए
  – वन फ्रिंज समुदायों को सूचित करने, सक्षम एवं सशक्त बनाने एवं उन्हें वन विभागों के सहयोग से काम करने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से।
- **वन आग रोकथाम एवं प्रबंधन योजना** –
  – दावाग्नि से निपटने में राज्यों की सहायता के लिए केंद्र द्वारा वित्त पोषित पहल।

आगे की राह – भले ही दावाग्नि मुख्य रूप से शुष्क मौसम में होती है लेकिन इसके प्रतिकूल प्रभावों को रोकने के लिए पर्याप्त सावधानी बरतनी पड़ती है। जिनमें निम्न उपाय शामिल है –
- दमकल कर्मियों की संख्या बढ़ाना।
- दावाग्नि से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए अग्निशामकों के उपकरणों एवं उपकरणों का उन्नयन।
- वन क्षेत्रों के आसपास मानदंडों के उल्लंघन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करना।
- मुख्य रूप से दावाग्नि के लिए आपदा प्रबंधन निधि में वृद्धि जो राज्यों को प्रभावी शमन एवं अनुकूली कार्रवाई करने में मदद करेगी।
- उपग्रह आधारित अलर्ट सिस्टम के साथ ग्राउंड आधारित डिटेक्शन को एकीकृत करके पूर्व चेतावनी प्रणाली विकसित करने की आवश्यकता है।
- जलवायु परिवर्तन नीतियों के साथ संरेखित मौजूदा दिशानिर्देशों को समेकित करने के लिए एक समग्र एवं व्यापक राष्ट्रीय नीति की आवश्यकता है।
- समुदाय के कार्यों से वन स्वास्थ्य एवं पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान नहीं होगा, यह सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय समुदायों में जागरूकता पैदा करने एवं उन्हें संवेदनशील बनाने की आवश्यकता है।

OUR BRANCHES: New Delhi | Mumbai | Kolkata | Chennai | Ahmedabad | Bengaluru | Bhilai | Bhubaneswar | Chandigarh | Dehradun | Gandhinagar | Guwahati | Hyderabad| Kanpur | Lucknow | Mehsana | Nagaland | Patna | Raipur | Rajkot | Ranchi | Surat | Vadodara |

WhatsApp no: 7284911227 - 7284811227 chahalacademy@gmail.com

ईंधन पर जीएसटी – एक मूल्य बनाम राजस्व ट्रेड–ऑफ

सामान्य अध्ययन 3 – भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संसाधन जुटाना (जीएसटी)

संदभ –

- तेजी से बढ़ती ईंधन कीमतों की पृष्ठभूमि में, लेखक (भाजपा सांसद) का मत है कि केवल पेट्रोल एवं डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने से ईंधन की कीमतें कम नहीं होंगी जब तक कि केंद्र एवं राज्य सरकारें राजस्व में कटौती नहीं करती हैं।

पृष्ठभूमि –

- जीएसटी का विवरण –
  – जीएसटी एक गंतव्य आधारित अप्रत्यक्ष कर है जिसे 101वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा पेश किया गया है।
  – राज्य स्तर पर जीएसटी के अंतर्गत सम्मिलित कर – राज्य वैट, मनोरंजन कर, चुंगी एवं प्रवेश कर, विलासिता कर, लॉटरी, सट्टे एवं जुए पर कर
  – केंद्रीय स्तर पर सामान्य अध्ययनटी के तहत सम्मिलित कर – केंद्रीय उत्पाद शुल्क, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, सेवा कर, अतिरिक्त सीमा शुल्क
- कर जिन्हें, जीएसटी के तहत सम्मिलित नहीं किया गया – संपत्ति कर एवं स्टाम्प शुल्क, बिजली शुल्क, शराब पर उत्पाद शुल्क, मूल सीमा शुल्क, पेट्रोलियम क्रूड, डीजल एवं प्राकृतिक गैस पर कर

भारत में वर्तमान स्थिति –

- चालू वित्त वर्ष में, केंद्र एवं राज्यों को पेट्रोल एवं डीजल से राजस्व के रूप में लगभग 5.5 लाख करोड़ रुपये की आय होने की उम्मीद है।
- पेट्रोल एवं डीजल पर केंद्रीय लेवी से बाहर, निम्नलिखित दो घटक केंद्र एवं राज्यों के बीच करों के विभाज्य पूल का हिस्सा हैं – मूल उत्पाद शुल्क, विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क।
- पेट्रोल एवं डीजल पर लगाए गए निम्नलिखित शुल्क केंद्र द्वारा पूरी तरह से बनाए रखे जाते हैं एवं विशेष रूप से उपकर के उद्देश्य के लिए उपयोग किए जाते हैं – सड़क एवं अवसंरचना उपकर, कृषि अवसंरचना एवं विकास उपकर।

अंतर्राष्ट्रीय परिदृ'य –

- यूरोपीय संघ में, इन उत्पादों पर वैट, भंडारण लेवी, पर्यावरण करों एवं इस तरह के करों की सीमा 45 से 60 प्रतिशत तक होती है।
- कनाडा में, पेट्रोलियम उत्पादों पर प्रति लीटर 25 से 30 प्रतिशत जीएसटी के अतिरिक्त लगभग 15 प्रतिशत जीएसटी लगता है।

पेट्रोल–डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने में आ रही दिक्कतें –

- पेट्रोल एवं डीजल पर कई तरह के लेवी लगाने के कारण, इसे जीएसटी के 28 प्रतिशत के तहत लाने से राज्यों एवं केंद्र को राजस्व का महत्वपूर्ण नुकसान होगा।
- एक बार जीएसटी के दायरे में लाए जाने के बाद स्लैब दर तय करना एक मुद्दा है, क्योंकि राज्य किसी भी राजस्व की हानि के लिए अनिच्छुक हैं।
- जीएसटी के तहत पेट्रोल एवं डीजल को शामिल करने के माध्यम से राज्यों के राजस्व में गिरावट के मामले में मुआवजा तंत्र का अभाव

आगे की राह – अप्रत्यक्ष करों के बजाय, सुधारों के माध्यम से प्रत्यक्ष कर आधार को बढ़ाने के लिए कदम उठाए जाने हैं जैसे

- इलेक्ट्रॉनिक टैक्स फिलिंग सिस्टम
- नकद लेनदेन की सीमा को कम करना
- पेट्रोल एवं डीजल को जीएसटी में शामिल करने के कारण राजस्व में कमी के मामले में राज्यों द्वारा एक उपयुक्त मुआवजा तंत्र तैयार किया जाना है।

एलडब्ल्युई एवं आतंकवाद विरोधी रणनीति

वामपंथी उग्रवाद एवं आतंकवाद विरोधी रणनीति विकसित करना वामपंथी उग्रवाद का मुकाबला करने के लिए किसी भी रणनीति के लिए विद्रोहियों को सैन्य रूप से हराने एवं विद्रोही आवेगों को पूरी तरह से दबाने का दोहरा उद्देश्य होना चाहिए।
सामान्य अध्ययन 3 – वामपंथी उग्रवाद के विकास एवं प्रसार के बीच संबंध

प्रसंग –

- माओवादियों द्वारा हाल ही में 22 सुरक्षा कर्मियों की हत्या की पृष्ठभूमि में, लेखक आतंकवाद विरोधी ढांचे के बारे में चर्चा करता है जिसे अपनाया जाना चाहिए।

OUR BRANCHES: New Delhi | Mumbai | Kolkata | Chennai | Ahmedabad | Bengaluru | Bhilai | Bhubaneswar | Chandigarh | Dehradun | Gandhinagar | Guwahati | Hyderabad| Kanpur | Lucknow | Mehsana | Nagaland | Patna | Raipur | Rajkot | Ranchi | Surat | Vadodara |
WhatsApp no: 7284911227 - 7284811227 chahalacademy@gmail.com

पृष्ठभूमि –

- वामपंथी उग्रवाद वामपंथी विचारधाराओं से प्रेरित राज्य के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का एक रूप है।
- वे संसदीय लोकतंत्र को अस्वीकार करते हैं एवं सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने का लक्ष्य रखते हैं।
- माओवादी, चरमपंथी समूहों में से एक, माओवाद से अपनी विचारधारा प्राप्त करते हैं, जो चीन के माओत्से तुंग द्वारा समर्थित साम्यवाद का एक रूप है।

संपादकीय विश्लेषण –

- पिछले कुछ वर्षों में, गिरफ्तारी एवं आत्मसमर्पण जैसे कारकों में वृद्धि के कारण माओवादी हिंसा कम हो रही है।
- हालांकि, हिंसा में गिरावट को माओवादियों द्वारा सामरिक वापसी के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है एवं हालिया हमला एक वेकअप कॉल है।
- माओवादियों की प्रमुख ताकत में शामिल हैं –
  – कुशल खुफिया नेटवर्क
  – स्थानीय कमांडरों को अधिकार का हस्तांतरण
  – स्थानीय जनजातियों का समर्थन
  – स्थानीय परिदृश्य का वर्चस्व

अपनाई जाने वाली रणनीति की प्रकृति –

- एक विचारधारा का मानना है कि लोगों के दिल एवं दिमाग को जीतकर लोक केंद्रित दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए ताकि जबरदस्ती कार्रवाई से बचा जा सके।
- एक अन्य विचारधारा का मानना है कि शत्रु केंद्रित दृष्टिकोण को अपनाने की आवश्यकता है एवं पूर्ववर्ती आंध्र प्रदेश की सफलता का श्रेय शत्रु–केंद्रित दृष्टिकोण को दिया जा सकता है।
- माओवादियों द्वारा किए जा रहे हमलों का मुकाबला करने के लिए राज्यों को ग्रेहाउंड जैसी सामरिक ताकतों को बढ़ाने की जरूरत है।
- राज्यों को भी एक दूसरे के साथ समन्वय करना चाहिए क्योंकि बेहतर समन्वय माओवादियों के हमलों के दौरान एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए एक निवारक के रूप में कार्य करता है।

सरकार की रणनीति –

- समाधान सिद्धांत में वामपंथी उग्रवाद से निपटने के लिए विभिन्न स्तरों पर तैयार की गई दीर्घकालिक नीति के लिए अल्पकालिक नीति शामिल है।
- समाधान का अर्थ है–
  एस– स्मार्ट नेतृत्व,
  ए– आक्रामक रणनीति,
  एम– प्रेरणा एवं प्रशिक्षण,
  ए– एक्शनेबल इंटेलिजेंस,
  क– डैशबोर्ड आधारित केपीआई (की परफॉरमेंस इंडिकेटर)
  एच– हार्नेसिंग टेक्नोलॉजी,
  ए– प्रत्येक थिएटर के लिए कार्य योजना,
  एन– वित्त पोषण तक पहुंच नहीं।

अन्य कदम उठाए गए –

- सार्वजनिक अवसंरचना में सुधार के लिए विशेष केंद्रीय सहायता।
- शहर के केंद्रों तक बेहतर पहुंच एवं आजीविका के अवसरों में सुधार के लिए सड़क संपर्क परियोजना।
- आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए एकलव्य मॉडल स्कूल जैसी शैक्षिक पहल।

आगे की राह –

- विद्रोहियों को सैन्य रूप से हराने एवं विद्रोही आवेगों को दबाने के लिए संस्थागत बदलाव की आवश्यकता है।
- वामपंथी उग्रवाद के जाल में फंसे निर्दोष व्यक्तियों को मुख्यधारा में लाने के लिए राज्यों को समर्पण नीति को युक्तिसंगत बनाना चाहिए।

महत्वपूर्ण जानकारी –

- भारत में नक्सलवाद द्वारा ज्ञात वामपंथी उग्रवाद, जिसकी उत्पत्ति पश्चिम बंगाल के नक्सल बाड़ी गाँव में हुई थी, जो अब 11 राज्यों में फैल गया है, जिन्हें कुख्यात रूप से 'रेड कॉरिडोर' के रूप में जाना जाता है।

OUR BRANCHES: New Delhi | Mumbai | Kolkata | Chennai | Ahmedabad | Bengaluru | Bhilai | Bhubaneswar | Chandigarh | Dehradun | Gandhinagar | Guwahati | Hyderabad| Kanpur | Lucknow | Mehsana | Nagaland | Patna | Raipur | Rajkot | Ranchi | Surat | Vadodara |
WhatsApp no: 7284911227 - 7284811227 chahalacademy@gmail.com

- 2004 में सभी फ्रिंज समुहों के लेफ्ट विंग के साथ आने के बाद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) के रूप में जाना जाने वाला भारत व्यापक संगठन उभरा।
  – यह प्रमुख, वामपंथी संगठन है जो नागरिकों एवं सुरक्षा बलों की हत्या सहित अधिकांश हिंसक घटनाओं के लिए जिम्मेदार है।
  – इसका उद्देश्य एक सशस्त्र क्रांति छेड़ना एवं अपनी सरकार के गठन के लिए हिंसा को मुख्य हथियार के रूप में मौजूदा लोकतांत्रिक राज्य संरचना को उखाड़ फेंकना है।

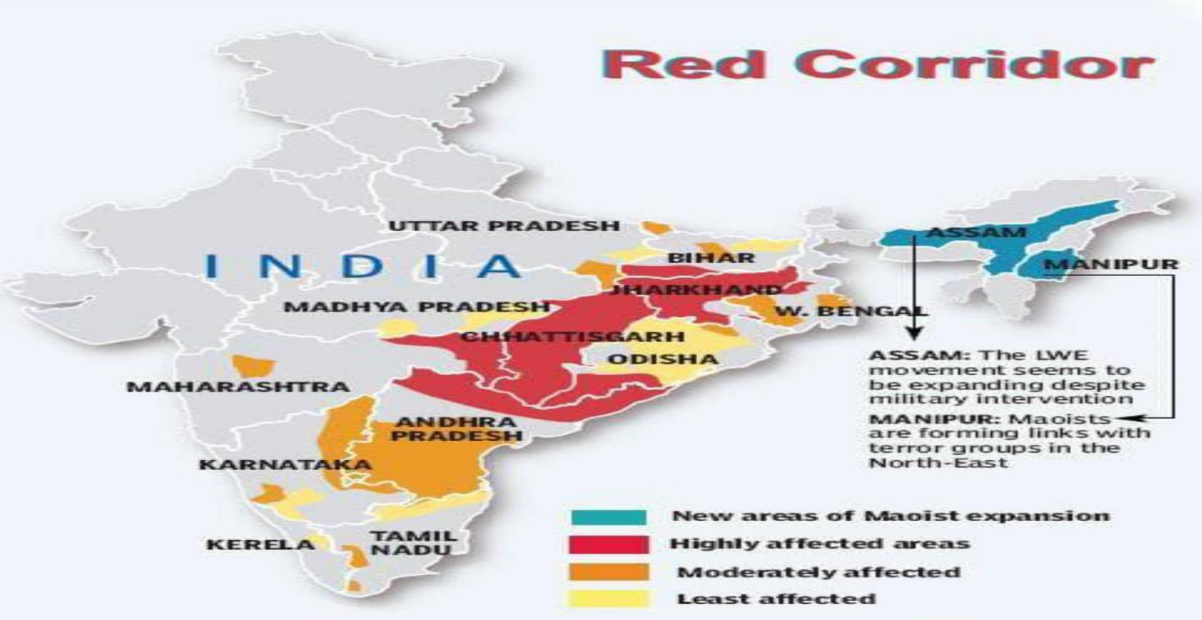

भारत में वामपंथी उग्रवाद की वर्तमान स्थिति –

- गृह मंत्रालय के अनुसार, भारत में 11 राज्यों के 90 जिले वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित हैं।
  – लेकिन वामपंथी उग्रवाद की हिंसा का भौगोलिक प्रसार 2018 में काफी कम होकर 60 जिलों तक पहुंच गया है।
  – साथ ही, हिंसा का दायरा केवल 30 जिलों तक सीमित है, जो 89% वामपंथी उग्रवाद की हिंसा के लिए जिम्मेदार है। अधिकांश घटनाएं गढ़चिरौली, दंतेवाड़ा, बस्तर, सुकमा एवं बीजापुर जिलों के आसपास हो रही हैं।
  – पिछले दशकों में 1500 से अधिक लोग मारे गए हैं, लेकिन मृत्यु की तीव्रता में धीरे–धीरे कमी आई है।

वामपंथी उग्रवाद के कारण –

- पंचवर्षीय योजना के तहत आर्थिक विकास के कारण विकास ध्रुवों का निर्माण हुआ जो केवल कुछ शहरी क्षेत्रों तक ही सीमित रहा जिससे असमान विकास हुआ।
- भूमि सुधारों की विफलता एवं सरकारी कर्मचारियों के उत्पीड़न के कारण वन भूमि का हस्तांतरण।
- कृषि विकास नीतियों ने आर्थिक एवं सामाजिक असमानता को कम किए बिना उत्पादन में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया।
- औद्योगिक विकास नीतियों ने पूंजीपतियों को उनके अधिकारों एवं संसाधनों के आदिवासियों का शोषण करने में मदद की।
- इन दूरस्थ क्षेत्रों को जिला मुख्यालयों से जोड़ने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे की कमी ने उग्रवाद को फलने–फूलने में मदद की।
- कुशल मानव संसाधन की कमी जैसे डॉक्टर, शिक्षक आदि ने इन क्षेत्रों को और वंचित कर दिया।
- सरकारी योजनाओं की दुर्गमता एवं दूरस्थ क्षेत्र में समानांतर सरकारों की उपस्थिति ने राज्य के नेतृत्व वाले विकास में बाधा उत्पन्न की।

उठाए गए कदम –

- **सुरक्षा उपाय –**
  – ब्लैक पैंथर, ग्रेहाउंड आदि जैसे विशेष नक्सल विरोधी बलों की स्थापना विभिन्न विभागों के अधिकारियों के बहु–अनुशासनात्मक समूहों के साथ की गई है।
  – सुरक्षा संबंधी व्यय (एसआरई) योजना के तहत केंद्र सरकार, राज्य की विभिन्न आवश्यकताओं से संबंधित सुरक्षा संबंधी व्यय की प्रतिपूर्ति करती है।
  – वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों को केंद्र सीएपीएफ, यूएवी, राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए धन, खुफिया जानकारी साझा करने आदि प्रदान कर रहा है।

OUR BRANCHES: New Delhi | Mumbai | Kolkata | Chennai | Ahmedabad | Bengaluru | Bhilai | Bhubaneswar | Chandigarh | Dehradun | Gandhinagar | Guwahati | Hyderabad| Kanpur | Lucknow | Mehsana | Nagaland | Patna | Raipur | Rajkot | Ranchi | Surat | Vadodara |
WhatsApp no: 7284911227 - 7284811227 chahalacademy@gmail.com

- **विकास संबंधी उपाय –**
  – अवसंरचना विकास योजनाओं जैसे सड़क कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में मोबाइल सेवाएयुनिवर्सल सर्विस ऑब्लीगेशन फंड (युएसओएफ) की व्यवस्था
  – ग्रामीण गरीब युवाओं के प्रशिक्षण एवं नियुक्ति के लिए डीडीयू ग्रामीण कौशल योजना के तहत रोशनी जैसे कौशल विकास के उपाय।
  – वित्तीय समावेशन एवं क्षेत्र में आजीविका केंद्रों को खोलने पर जोर देना।

- **विश्वास निर्माण के उपाय –**
  – 2011 से सुरक्षा बलों एवं स्थानीय लोगों के बीच की खाई को पाटने के लिए नागरिक कार्रवाई कार्यक्रम लागू किया गया है।
  – समर्पण एवं पुनर्वास नीतियां जैसे पात्र आत्मसमर्पण करने वालों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना।

आगे की राह –

- चरमपंथियों के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए सहमति आधारित दृष्टिकोण की आवश्यकता है।
- केंद्र एवं राज्य के बीच के मतभेदों को दूर करने के लिए समन्वय केंद्र के रूप में एक स्थायी संस्थागत तंत्र स्थापित किया जा सकता है।
- माओवादी हिंसा के खिलाफ पुलिस बल की क्षमताओं को बढ़ाना इसे बेअसर करने की कुंजी होगी।
- सरकार को उन विकास उपकरणों पर ध्यान देने की जरूरत है जो बिना असमानता के संसाधनों का पुनर्वितरण करते हैं।
- विकास को सुरक्षा बलों के साथ मिलकर काम करना चाहिए जैसे कि प्रशासनिक गतिविधि को फिर से शुरू करना बलों द्वारा एक क्षेत्र को साफ करने के तुरंत बाद होना चाहिए प्रभावित क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं के लिए चुनाव कराना, इसके बाद अतिरिक्त वित्तीय एवं निर्णय लेने की शक्तियों के साथ इन संस्थानों को मजबूत करना एक आवश्यकता है।
- सुरक्षा बल के संचालन की सफलता न्यायसंगत युद्ध की अवधारणा पर आधारित होनी चाहिए जो संपार्श्विक क्षति से बचने के लिए अधिकतम करने का प्रयास करती है।
- सरकार को शीघ्र समय में युद्ध जीतने के प्रचारक दावों से दूर रहने की आवश्यकता है।

निष्कष – नक्सलवाद के प्रसार को रोकने के लिए, नागरिक समाज के अभिनेताओं के साथ काम करना सबसे अच्छी रणनीतिक प्रतिक्रिया होगी, जिसके लिए काउंटर रणनीति की फिर से अवधारणा की आवश्यकता होती है। सहमति आधारित दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है जो सुरक्षा बलों के लिए बल–गुणक के रूप में काम कर सके। समाधान दृष्टिकोण के प्रभावी कार्यान्वयन के साथ वामपंथी उग्रवाद का विरोध किया जाएगा।

शुद्ध शून्य एवं जलवायु अन्याय

उत्सर्जन लक्ष्य विकसित देशों द्वारा जलवायु कार्रवाई में देरी करता है एवं इसका उपयोग विकासशील देशों को बोझ स्थानांतरित करने के लिए किया जा रहा है।
सामान्य अध्ययन 3 – संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण एवं गिरावट

संदभ – जलवायु परिवर्तन की बुराइयों के रामबाण समाधान के रूप में 2050 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन के लिए विकसित देशों के हालिया प्रयास ने इसके आसपास बहस शुरू कर दी।

जलवायु न्याय क्या है? – यह समाज के सभी वर्गों के लिए संसाधनों का उचित एवं समान वितरण सुनिश्चित करना एवं ग्रह को भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक धारणीय स्थिति में देना है।

जलवायु न्याय की आवश्यकता –

- जलवायु परिवर्तन में योगदान में ऐतिहासिक अंतर।
- तकनीकी, आर्थिक एवं सामाजिक क्षमताओं में बदलाव।
- राष्ट्रों में संसाधनों का असमान वितरण एवं उपयोग।
- संतुलित विकास के अवसर सुनिश्चित करने के लिए

जलवायु क्रियाएं एवं यूएनएफसीसीसी –

- ऐतिहासिक जिम्मेदारियों पर आधारित इक्विटी एवं सामान्य लेकिन अलग–अलग जिम्मेदारियों एवं संबंधित क्षमताओं (सीबीडीआर–आरसी) के सिद्धांत 1992 से यूएनएफसीसीसी के जलवायु कार्यों का आधार रहे हैं।
- 1997 क्योटो प्रोटोकॉल समग्र जीएचजी उत्सर्जन को कम करने के लिए औद्योगिक देशों के लिए बाध्यकारी लक्ष्य के लिए कानूनी रूप से एक ऐतिहासिक मोड़ था।
- पेरिस समझौता जलवायु न्याय क्षेत्र में वैश्विक समुदायों के लिए एक अग्रगामी मार्च था जहाँ
  – विकसित देशों ने 2025 तक न केवल रोकथाम कार्रवाई करने बल्कि उच्च वित्तीय प्रतिबद्धताओं एवं तकनीकी व्यवस्था को प्रदान करने एवं सुविधा प्रदान करने का वचन दिया।

OUR BRANCHES: New Delhi | Mumbai | Kolkata | Chennai | Ahmedabad | Bengaluru | Bhilai | Bhubaneswar | Chandigarh | Dehradun | Gandhinagar | Guwahati | Hyderabad| Kanpur | Lucknow | Mehsana | Nagaland | Patna | Raipur | Rajkot | Ranchi | Surat | Vadodara |

WhatsApp no: 7284911227 - 7284811227 chahalacademy@gmail.com

– जबकि विकासशील देश कानूनी रूप से बाध्य घरेलू शमन करने उपायों एवं उनके राष्ट्रीय निर्धारित योगदान (एनडीसी) की रिपोर्टिंग के लिए सहमत हुए।

- लेकिन जलवायु परिवर्तन की बुराइयों के लिए रामबाण उपाय के रूप में शुद्ध शून्य उत्सर्जन का विचार यूएनएफसीसीसी एवं जलवायु कार्रवाई उपलब्धियों के मूल सिद्धांतों को कमजोर करता है।

भारत एवं जलवायु न्याय –

- पेरिस सीओपी में, भारत की अभिव्यक्ति के साथ जलवायु न्याय को पेरिस समझौते की प्रस्तावना में अंकित किया गया था।
- भारत घरेलू नीतियों जैसे सभी के लिए ऊर्जा एवं आवास, स्वास्थ्य एवं फसल बीमा आदि में जलवायु संवेदनशीलता को शुरू करने में अग्रणी रहा है, जो जलवायु परिवर्तन से सबसे अधिक प्रभावित लोगों के लिए जलवायु न्याय सुनिश्चित करता है।
- गरीबों के लिए टिकाऊ जीवन एवं सुरक्षा जाल को संतुलित करने के अपने प्रयासों के कारण भारत जलवायु न्याय वार्तालाप का हिस्सा बन गया है।

जलवायु न्याय के तीन पहलू – वितरणात्मक न्याय – समानता, समानता एवं योग्यता के सिद्धांतों पर आधारित संसाधन वितरण।
– ग्लोबल कार्बन स्पेस जलवायु परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण संसाधन है।
– औद्योगीकरण द्वारा ग्रीनहाउस गैसों में बड़े हिस्से के निर्माण के लिए जिम्मेदार होने के बावजूद, विकसित राष्ट्र अभी भी अपने शानदार उपभोग के लिए बड़े कार्बन स्पेस को अपने लिए अलग कर पा रहे हैं।
– ऐतिहासिक रूप से, विकासशील देश असमान रूप से पीड़ित हैं एवं अब बुनियादी जरूरतों से उत्सर्जन में कटौती करने के दायित्व के अधीन हैं।
– क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर के अनुसार, विकसित देशों द्वारा की गई जलवायु क्रियाएं पेरिस समझौते के लक्ष्यों के साथ असंगत हैं, इसलिए उन्हें वितरणात्मक न्याय सुनिश्चित करने के लिए महत्वाकांक्षी जलवायु कार्यों को सुनिश्चित करने पर ध्यान देना चाहिए।

विनिमेय न्याय – पिछली जलवायु कार्रवाई प्रतिबद्धताओं का वास्तव में सम्मान करना।
– भले ही दूसरे चरण के क्योटो प्रोटोकॉल लक्ष्य यूएनएफसीसीसी के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त एवं स्पष्ट थे, लेकिन अधिकांश विकसित राष्ट्र पीछे हट गए एवं लक्ष्य लेने से इनकार कर दिया।
– वे जलवायु कार्यों का समर्थन करने के लिए 2020 तक 100 बिलियन डॉलर जुटाने के अपने जलवायु वित्त लक्ष्य को पूरा करने में भी विफल रहे।
– पिछली प्रतिबद्धताओं की पूर्ति जलवायु महत्वाकांक्षाओं को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण अग्रदूत हैं।

सुधारात्मक न्याय – गलत को सही करने से संबंधित है।
– विकसित देशों को कमजोर एवं गरीब आबादी वाले विकासशील देशों की सुरक्षा के लिए अधिक से अधिक न्यूनीकरण जिम्मेदारियां उठाकर एवं वित्त एवं प्रौद्योगिकी प्रदान करके अपने जलवायु ऋण को चुकाने की जरूरत है।

निष्कष –

- हालांकि विकसित देशों का मानना है कि 2050 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन जलवायु व्यवस्था में एक सकारात्मक सफलता है, लेकिन दूसरी तरफ यह विकसित देशों द्वारा ऐतिहासिक जिम्मेदारियों से बचने एवं बोझ को विकासशील देशों की ओर कर देने का के लिए एक कदम है। यह विकासशील देशों के लिए उचित समय है, जो पेरिस समझौते में इक्विटी एवं सीबीडीआर–आरसी के सिद्धांतों को स्थापित करने के लिए लड़े, इस अवसर पर उठे एवं विकसित देशों को जिम्मेदारी से कार्य करने के लिए मजबूर करे।

व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक क्यों मायने रखता है

विधेयक के तहत प्रस्तावित व्यवस्था, मौजूदा व्यवस्था से अलग होना चाहती है जो उपयोगकर्ताओं के डेटा की पर्याप्त रूप से सुरक्षा नहीं करती है।

सामान्य अध्ययन 3 – साइबर सुरक्षा

प्रसंग –

- महामारी ने अधिक लोगों को डिजिटल अर्थव्यवस्था में भाग लेने के लिए मजबूर किया है।
- मोबिविक पर हाल ही में कथित डेटा उल्लंघन भारत का सबसे बड़ा उल्लंघन हो सकता है, जिसमें 9.9 करोड़ उपयोगकर्ताओं के डेटा जोखिम में हैं।
- ऐसी घटनाओं को रोकने एवं उपयोगकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिए मजबूत डेटा सुरक्षा व्यवस्था आवश्यक है।
- व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2019 या 'गोपनीयता विधेयक', सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति बी एन श्रीकृष्ण की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा तैयार किए गए पिछले प्रारूप संस्करण से प्रेरित है, जो अब एक संयुक्त संसदीय समिति द्वारा जांच के अधीन है, उपयोगकर्ताओं को उनके व्यक्तिगत डेटा की मजबूत सुरक्षा प्रदान करने में एक बड़ी भूमिका निभा सकता है।

OUR BRANCHES: New Delhi | Mumbai | Kolkata | Chennai | Ahmedabad | Bengaluru | Bhilai | Bhubaneswar | Chandigarh | Dehradun | Gandhinagar | Guwahati | Hyderabad| Kanpur | Lucknow | Mehsana | Nagaland | Patna | Raipur | Rajkot | Ranchi | Surat | Vadodara |
WhatsApp no: 7284911227 - 7284811227 chahalacademy@gmail.com

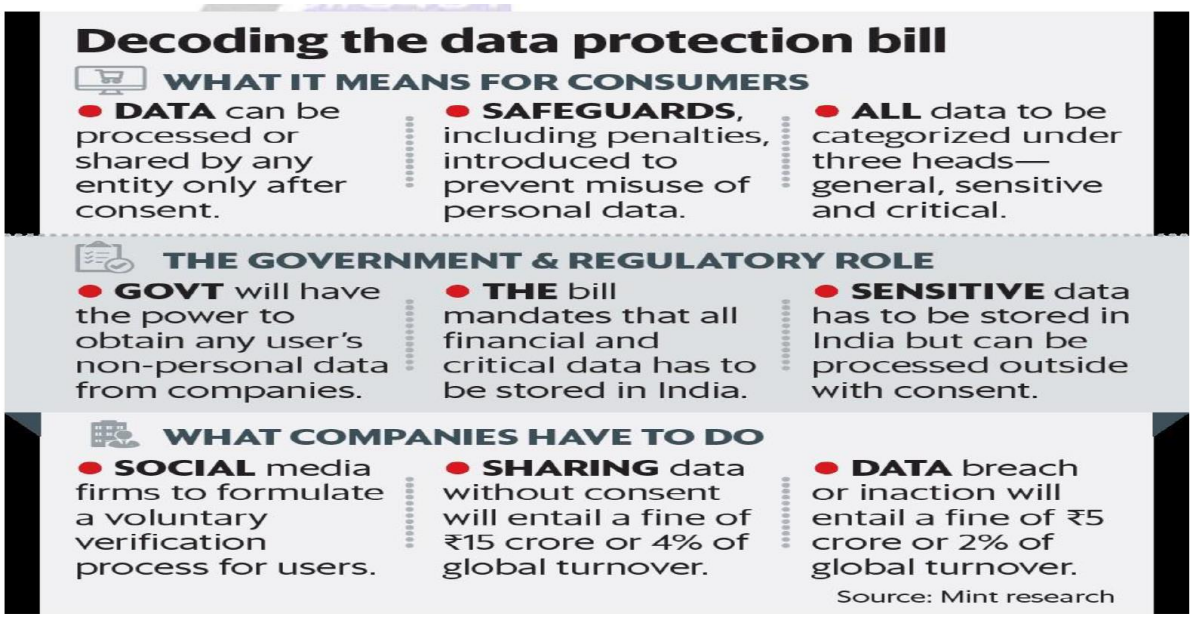

- अधिक मजबूत डेटा संरक्षण कानून की आवश्यकता 2017 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टस्वामी (सेवानिवृत्त) बनाम भारत संघ जिसने निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में स्थापित किया।
- यह व्यक्तिगत है, या जो व्यक्ति की पहचान कर सकता है डेटा के संग्रह, आंदोलन एवं प्रसंस्करण को विनियमित करके व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा करने का प्रयास करता है।
- विधेयक सरकार को विदेशों में कुछ प्रकार के व्यक्तिगत डेटा के हस्तांतरण को अधिकृत करने की शक्ति देता है एवं सरकारी एजेंसियों को नागरिकों के व्यक्तिगत डेटा एकत्र करने की अनुमति देता है।
- बिल डेटा को तीन श्रेणियों में विभाजित करता है –
  – व्यक्तिगत डेटा – वह डेटा जिससे किसी व्यक्ति की पहचान की जा सकती है जैसे नाम, पता आदि।
  – संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा – कुछ प्रकार के व्यक्तिगत डेटा जैसे वित्तीय, स्वास्थ्य से संबंधित, यौन अभिविन्यास, बायोमेट्रिक, आनुवंशिक, ट्रांसजेंडर स्थिति, जाति, धार्मिक विश्वास, एवं बहुत कुछ। इसे केवल भारत में संग्रहीत करने की आवश्यकता है एवं इसे डेटा सुरक्षा एजेंसी (डीपीए) के अनुमोदन सहित कुछ शर्तों के तहत ही विदेशों में संसाधित किया जा सकता है।
  – महत्वपूर्ण व्यक्तिगत डेटा – कुछ भी जिसे सरकार किसी भी समय महत्वपूर्ण मान सकती है, जैसे सैन्य या राष्ट्रीय सुरक्षा डेटा। इसे केवल भारत में ही संग्रहित एवं संसाधित किया जाना चाहिए।
- बिल डेटा मिररिंग (व्यक्तिगत डेटा के मामले में) की आवश्यकता को हटा देता है। विदेश में डेटा ट्रांसफर के लिए केवल व्यक्तिगत सहमति की आवश्यकता होती है।
- डेटा मिररिंग वास्तविक समय में डेटा को एक स्थान से स्टोरेज डिवाइस में कॉपी करने का कार्य है।

कोई प्रभावी सुरक्षा नहीं –

- भारत में व्यक्तिगत डेटा मुख्य रूप से सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 एवं विभिन्न अन्य क्षेत्रीय नियमों द्वारा शासित होता है।
- हालांकि, यह डेटा सुरक्षा व्यवस्था उपयोगकर्ताओं एवं उनके व्यक्तिगत डेटा को प्रभावी सुरक्षा प्रदान करने से कम है।
- उदाहरण के लिए, संस्थाएं व्यापक नियमों एवं शर्तों के तहत व्यक्तिगत डेटा को संसाधित करने के लिए उपयोगकर्ताओं की सहमति लेकर शासन में सुरक्षा को ओवरराइड कर सकती हैं।
  – यह समस्याप्रद है क्योंकि उपयोगकर्ता नियम एवं शर्तों या सहमति देने के निहितार्थ को नहीं समझ सकते हैं।
- इसके अलावा, ढांचे डेटा सुरक्षा पर जोर देते हैं लेकिन डेटा गोपनीयता पर पर्याप्त जोर नहीं देते हैं।
- आईटी अधिनियम के तहत डेटा सुरक्षा प्रावधान सरकारी एजेंसियों पर भी लागू नहीं होते हैं। यह डेटा सुरक्षा के लिए एक बड़ा वैक्यूम बनाता है जब सरकारें बड़ी मात्रा में व्यक्तिगत डेटा एकत्र एवं संसाधित कर रही होती हैं।
- अंत में, ऐसा प्रतीत होता है कि यह व्यवस्था डेटा प्रोसेसिंग प्रौद्योगिकी में नए विकास से उत्पन्न जोखिमों को दूर करने के लिए पुरातन एवं अपर्याप्त हो गई है।

आने वाली व्यवस्था – विधेयक के तहत प्रस्तावित व्यवस्था कुछ प्रमुख तरीकों से मौजूदा व्यवस्था से अलग होने का प्रयास करती है।

- सबसे पहले, बिल सभी क्षेत्रों में सरकारी एवं निजी संस्थाओं दोनों के लिए डेटा सुरक्षा व्यवस्था लागू करने का प्रयास करता है।
- दूसरा, विधेयक डेटा सुरक्षा एवं डेटा गोपनीयता पर जोर देने का प्रयास करता है।

OUR BRANCHES: New Delhi | Mumbai | Kolkata | Chennai | Ahmedabad | Bengaluru | Bhilai | Bhubaneswar | Chandigarh | Dehradun | Gandhinagar | Guwahati | Hyderabad| Kanpur | Lucknow | Mehsana | Nagaland | Patna | Raipur | Rajkot | Ranchi | Surat | Vadodara |
WhatsApp no: 7284911227 - 7284811227 chahalacademy@gmail.com

– जहां संस्थाओं को व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा के लिए सुरक्षा उपाय बनाए रखने होंगे, वहीं उन्हें डेटा सुरक्षा दायित्वों एवं पारदर्शिता एवं जवाबदेही के एक सेट, ऐसे उपाय जो यह नियंत्रित करते हैं कि संस्थाएं उपयोगकर्ताओं की गोपनीयता एवं हितों को बनाए रखने के लिए व्यक्तिगत डेटा को कैसे संसाधित कर सकती हैं, को भी पूरा करना होगा।

- तीसरा, बिल उपयोगकर्ताओं को उनके व्यक्तिगत डेटा पर अधिकारों का एक सेट एवं उन अधिकारों का प्रयोग करने का साधन देना चाहता है।
- चौथा, विधेयक डेटा संरक्षण प्राधिकरण (डीपीए) के रूप में एक स्वतंत्र एवं शक्तिशाली नियामक बनाने का प्रयास करता है।
  – डीपीए शासन के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए डेटा प्रोसेसिंग गतिविधियों की निगरानी एवं विनियमन करेगा।
  – इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि जब संस्थाएं व्यवस्था के तहत अपने दायित्वों का पालन नहीं करती हैं, तो डीपीए उपयोगकर्ताओं को निवारण के लिए एक चैनल देगा।

विधेयक पर चिंता –

- उदाहरण के लिए, क्लॉज 35 के तहत, केंद्र सरकार किसी भी सरकारी एजेंसी को बिल के अनुपालन से छूट दे सकती है।
- तब सरकारी एजेंसियां बिल के तहत किसी सुरक्षा उपाय का पालन किए बिना व्यक्तिगत डेटा को संसाधित करने में सक्षम होंगी। यह उपयोगकर्ताओं के लिए गंभीर गोपनीयता जोखिम पैदा कर सकता है।
- इसी तरह, उपयोगकर्ताओं को बिल में विभिन्न उपयोगकर्ता सुरक्षा उपायों (जैसे अधिकार एवं उपचार) को लागू करना मुश्किल हो सकता है।
- उदाहरण के लिए, बिल उन उपयोगकर्ताओं के लिए कानूनी परिणामों की धमकी देता है जो डेटा प्रोसेसिंग गतिविधि के लिए अपनी सहमति वापस लेते हैं।
- व्यवहार में, यह उपयोगकर्ताओं को उन प्रसंस्करण गतिविधियों के लिए सहमति वापस लेने से हतोत्साहित कर सकता है जिनसे वे बाहर निकलना चाहते हैं।
- एक स्वतंत्र प्रभावी नियामक के रूप में डीपीए के लिए अतिरिक्त चिंताएं भी सामने आती हैं जो उपयोगकर्ताओं के हितों को बनाए रख सकती हैं।

आगे की राह –

- भारत के लिए एक मजबूत डेटा संरक्षण व्यवस्था का समय आ गया है।
- विधेयक की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति ने विधेयक में 86 संशोधन एवं एक नया खंड प्रस्तावित किया है – हालांकि सटीक परिवर्तन सार्वजनिक डोमेन में नहीं हैं।
- समिति के 2021 में संसद के मानसून सत्र में अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने की उम्मीद है।
- इसमें विभिन्न चिंताओं को दूर करने की दिशा में लक्षित विधेयक में कुछ बदलाव करने के लिए इस समय को लेने से एक मजबूत एवं अधिक प्रभावी डेटा संरक्षण व्यवस्था बन सकती है।

आईपीएबी को श्रद्धांजलि

इसका कार्यकाल, पेटेंट कानून पर घरेलू बौद्धिक संपदा कानून विकसित करने का एक चूक हुआ अवसर साबित हुआ है
सामान्य अध्ययन 3रू

प्रसंग –

- 4 अप्रैल को, भारत के राष्ट्रपति ने ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स (तर्कसंगतीकरण एवं सेवा की शर्तें) अध्यादेश, 2021 पर हस्ताक्षर करके कॉपीराइट अधिनियम, 1957, पेटेंट अधिनियम, 1970, व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999, भौगोलिक संकेत में संशोधन करके आईपीएबी को बंद कर दिया।
- बौद्धिक संपदा (आईपी) अधिकारों से संबंधित विवादों के निर्धारण के लिए भारत के विशेषज्ञ न्यायाधिकरण, बौद्धिक संपदा अपीलीय बोर्ड (आईपीएबी) का निधन, इसके कठिन जीवन का प्रतीक है।

पृष्ठभूमि –

- इसका गठन 15 सितंबर, 2003 को भारत सरकार द्वारा भारतीय ट्रेडमार्क अधिनियम, 1999 एवं माल के भौगोलिक संकेत (पंजीकरण एवं संरक्षण) अधिनियम, 1999 के तहत रजिस्ट्रार के निर्णयों के खिलाफ अपीलों को सुनने एवं हल करने के लिए किया गया था।
- 1970 के बाद से पेटेंट अधिनियम में अधिकांश महत्वपूर्ण संशोधन संसद द्वारा पारित अधिनियम के माध्यम से नहीं, बल्कि एक अध्यादेश के माध्यम से हुए।

परेशान जीवन –

- अपनी स्थापना के बाद से, आईपीएबी को एक अवांछित बच्चे की तरह माना जाता रहा है।
- ऐतिहासिक रूप से, बौद्धिक संपदा कार्यालय (आईपीओ) से अपील, सुधार एवं निरसन आवेदन विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा सुने गए थे।

OUR BRANCHES: New Delhi | Mumbai | Kolkata | Chennai | Ahmedabad | Bengaluru | Bhilai | Bhubaneswar | Chandigarh | Dehradun | Gandhinagar | Guwahati | Hyderabad| Kanpur | Lucknow | Mehsana | Nagaland | Patna | Raipur | Rajkot | Ranchi | Surat | Vadodara |
WhatsApp no: 7284911227 - 7284811227 chahalacademy@gmail.com

- हालांकि, 2002 के पेटेंट (संशोधन) अधिनियम ने इन शक्तियों को उच्च न्यायालयों से हटा दिया एवं इसे आईपीएबी तक बढ़ा दिया।
- हालांकि आईपीएबी का पेटेंट पक्ष सिद्धांत रूप में 2002 से अस्तित्व में था, केंद्र सरकार ने मद्रास उच्च न्यायालय की फटकार के बाद अप्रैल 2007 में ही इसके कामकाज को अधिसूचित किया।
- भले ही आईपीएबी प्रशासनिक कारणों से नियमित रूप से पेटेंट पक्ष पर अपना न्यायनिर्णायक कार्य नहीं कर रहा है, यह निश्चित रूप से विभिन्न उच्च न्यायालयों के समक्ष न्यायिक समीक्षा का विषय रहा है।
- इन मामलों में आईपीएबी की संवैधानिकता को चुनौती, दिल्ली एवं चेन्नई में उच्च न्यायालय के समक्ष रिक्तियों को भरने की मांग करने वाली याचिकाएं एवं यहां तक कि अध्यक्ष के कार्यकाल के विस्तार के लिए सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका भी शामिल है।
- लगभग दो वर्षों तक बिना प्रमुख के रहने के बाद, जनवरी 2018 में, आईपीएबी को एक प्रमुख दिया गया – जब्त संपत्ति के अपीलीय न्यायाधिकरण के तत्कालीन अध्यक्ष को अतिरिक्त प्रभार दिया गया था।
  – हालांकि, तकनीकी कारणों से पेटेंट मामलों की सुनवाई शुरू होने में काफी देरी हुई थी – पेटेंट के लिए तकनीकी सदस्य की नियुक्ति, जिसके साथ अध्यक्ष पेटेंट पर मामलों का फैसला करते समय बैठता है, जो बहुत आवश्यक तकनीकी विशेषज्ञता लाता है जो आमतौर पर पेटेंट मामलों की मांग होती है, में देरी हुई।
- तकनीकी सदस्य की नियुक्ति आखिरकार पिछले वर्ष सरकार द्वारा इंडियन ड्रग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन द्वारा मुकदमा दायर करने के बाद हुई।
- आईपीएबी के अंत का अनुमान इसे चलाने वाले नेताओं ने लगा लिया था।
  – आईपीएबी में न केवल कम स्टाफ था, बल्कि इसके प्रशासनिक कर्मचारी अक्सर प्रतिनियुक्ति पर होते थे, बल्कि कई बार तो यह काफी हद तक अंडरपावर भी था।
  – न्यायाधिकरण को चेन्नई के गर्मियों के पावरकट का खामियाजा भुगतना पड़ा
- कल्पना किजीए प्रौद्योगिकी एवं नवाचार की रक्षा करने वाली सर्वोच्च संस्था चेन्नई की चिलचिलाती गर्मी बिजली कटौती के समय बिना किसी व्यवहार्य बैकअप के कैसे कार्य करती होगी।
- आईपीएबी के मामलों के क्षेत्राधिकार को ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट एवं भौगोलिक संकेत के बीच विभाजित किया गया था, जहां प्रमुख व्यवसाय ट्रेडमार्क से संबंधित था।
- आईपीएबी ने न केवल आईपी के विभिन्न रूपों के साथ अपने समय को जोड़ा, बल्कि पांच अलग–अलग शहरों में भी इसकी बैठक हुई, जिसमें केवल एक अध्यक्ष था, जिसे कभी–कभी उनके बीच उड़ान भरनी पड़ती थी।
- चेयरपर्सन को इन सभी शहरों में पार्टियों एवं कागजातों को बुलाना पड़ा, जिससे जनता को भारी कीमत चुकानी पड़ी।
- किसी भी मामले में, आईपीएबी में पेटेंट के लिए निपटान दर इसकी निरंतरता को उचित नहीं ठहराती है।
- पेटेंट विवाद अपनी तकनीकी जटिलता के कारण ट्रेडमार्क के बाद आईपीएबी का प्रमुख समय लेने वाला व्यवसाय था।
- दायर पेटेंट मामलों में से लगभग 70% मामले या तो किसी न किसी स्तर पर लंबित थे या अभी सुनवाई के लिए उठाए जाने बाकी हैं।
- आईपीएबी की स्थापना के बाद, सभी उच्च न्यायालयों से आईपीएबी को 15 से अधिक मामले स्थानांतरित नहीं किए गए थे।
- इस निपटान दर के अनुसार, लंबित आवेदनों के निपटान में एक और दशक लग जाता, नए आवेदनों की तो बात ही छोड़ दें।
- विडंबना यह थी कि विशेष विशेषज्ञों द्वारा मामलों के त्वरित निपटान के प्राथमिक उद्देश्य से न्यायाधिकरणों की स्थापना की गई थी।
- पेटेंट कार्यालय द्वारा दिया गया प्रत्येक पेटेंट आईपीएबी के समक्ष अपील का एक संभावित विषय है।

खोया हुआ अवसर –

- 1970 एवं 2005 के बीच फार्मास्यूटिकल्स एवं रसायनों के लिए उत्पाद पेटेंट की वापसी, एंटी–एवरग्रीनिंग प्रावधान या मजबूत अनिवार्य लाइसेंसिंग व्यवस्था, इसने दुनिया को अपने कानून में कई ट्रिप्स–अनुपालन लचीलेपन की पेशकश की है।
- लेकिन जब इन प्रावधानों के इर्द–गिर्द न्यायशास्त्र विकसित करने की बात आई – इन प्रावधानों को कैसे काम किया जाएगा, इस पर उच्चतम न्यायालयों के कानून – यह विफल रहा है।
- कुछ उज्ज्वल स्थानों को छोड़कर, पेटेंट अधिनियम में न्यायिक व्याख्या के माध्यम से लचीलेपन का विस्तार करने के लिए अनिच्छा रही है जो कानून का विस्तार करता है।
- आईपीएबी के कार्यकाल को पेटेंट कानून पर घरेलू बौद्धिक संपदा कानून विकसित करने का एक चूक हुआ अवसर के रूप में याद किया जाएगा, जिसकी भारत में बहुत कमी है।

OUR BRANCHES: New Delhi | Mumbai | Kolkata | Chennai | Ahmedabad | Bengaluru | Bhilai | Bhubaneswar | Chandigarh | Dehradun | Gandhinagar | Guwahati | Hyderabad| Kanpur | Lucknow | Mehsana | Nagaland | Patna | Raipur | Rajkot | Ranchi | Surat | Vadodara |

WhatsApp no: 7284911227 - 7284811227 chahalacademy@gmail.com

रोगाणुरोधी प्रतिरोध – मूक खतरा

समस्या से निपटने का अर्थ होगा स्वास्थ्य, कृषि, व्यापार एवं पर्यावरण क्षेत्रों को शामिल करना
सामान्य अध्ययन 3 – फार्मा सेक्टर एवं स्वास्थ्य विज्ञान

प्रसंग –

- वर्तमान स्वास्थ्य एवं आर्थिक संकट जितना गंभीर है, कोविड–19 भविष्य के संकटों का अग्रदूत हो सकता है।
- रोगाणुरोधी प्रतिरोध (एएमआर), वह घटना जिसके द्वारा बैक्टीरिया एवं कवक विकसित होते हैं एवं वर्तमान में उपलब्ध चिकित्सा उपचार के लिए प्रतिरोधी बन जाते हैं, 21वीं सदी की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अदनोम घेब्रेयसस ने जुलाई 2020 में कहा, 'एएमआर एक धीमी सुनामी है जो चिकित्सा प्रगति की एक सदी को पूर्ववत करने की धमकी देती है'।
- एएमआर पहले से ही एक वर्ष में 7,00,000 मौतों के लिए जिम्मेदार है।
- जब तक इस खतरे से निपटने के लिए तत्काल उपाय नहीं किए जाते, हम जल्द ही एक अभूतपूर्व स्वास्थ्य एवं आर्थिक संकट का सामना कर सकते हैं, जिसमें 10 मिलियन वार्षिक मौतें एवं 2050 तक 100 ट्रिलियन डॉलर तक की लागत शामिल है।

विविध चुनौतियां –

- एएमआर आधुनिक चिकित्सा के लिए एक संभावित खतरे का प्रतिनिधित्व करता है।
- बैक्टीरियल एवं फंगल संक्रमणों के इलाज के लिए कार्यात्मक रोगाणुरोधी दवाओं के बिना, यहां तक कि सबसे आम शल्य चिकित्सा प्रक्रियाओं के साथ–साथ कैंसर कीमोथेरेपी भी अनुपचारित संक्रमणों के जोखिम से भरा हो जाएगा।
- नवजात एवं मातृ मृत्यु दर में वृद्धि होगी।
- इन सभी प्रभावों को विश्व स्तर पर महसूस किया जाएगा, लेकिन एशिया एवं अफ्रीका के निम्न एवं मध्यम आय वाले देशों (एलएमआईसी) में परिदृश्य एवं भी गंभीर है।
  – एलएमआईसी ने सस्ते एवं आसानी से उपलब्ध रोगाणुरोधी दवाओं का उपयोग करके मृत्यु दर को काफी कम कर दिया है।
- रोगाणुओं में दवा प्रतिरोध कई कारणों से उभरता है। इसमे शामिल है
  – दवा में रोगाणुरोधी दवाओं का दुरुपयोग,
  – कृषि में अनुपयुक्त उपयोग, एवं
  – फार्मास्युटिकल निर्माण स्थलों के आसपास संदूषण जहां अनुपचारित अपशिष्ट पर्यावरण में बड़ी मात्रा में सक्रिय रोगाणुरोधी छोड़ते हैं।
- यह गंभीर चुनौती है कि पिछले तीन दशकों में एंटीबायोटिक दवाओं के किसी भी नए वर्ग ने बाजार में प्रवेश नहीं किया है, मुख्य रूप से उनके विकास एवं उत्पादन के लिए अपर्याप्त प्रोत्साहन के कारण।
- गैर–लाभकारी पीईडब्ल्यु ट्रस्टों की एक हालिया रिपोर्ट में पाया गया कि 95% से अधिक एंटीबायोटिक्स विकास में हैं।
- विकल्प आज छोटी कंपनियों से हैं, जिनमें से 75% के पास वर्तमान में बाजार में कोई उत्पाद नहीं है।
- इन विविध चुनौतियों से निपटने के लिए कई क्षेत्रों में कार्रवाई की आवश्यकता है – नए एंटी–माइक्रोबियल विकसित करने के अलावा, संक्रमण–नियंत्रण उपायों से एंटीबायोटिक का उपयोग कम हो सकता है।
- इसके अलावा, रोगाणुओं में प्रतिरोध के प्रसार को ट्रैक करने के लिए, इन जीवों की पहचान करने के लिए निगरानी उपायों को अस्पतालों से परे विस्तारित करने एवं पशुधन, अपशिष्ट जल एवं खेत के अपवाह को शामिल करने की आवश्यकता है।
- अंत में, चूंकि रोगाणु अनिवार्य रूप से विकसित होते रहेंगे एवं नए रोगाणुरोधी भी प्रतिरोधी बनेंगे, इसलिए हमें निरंतर आधार पर नए प्रतिरोधी उपभेदों का पता लगाने एवं उनका मुकाबला करने के लिए निरंतर निवेश एवं वैश्विक समन्वय की आवश्यकता है।

आगे की राह –

- नई एंटीबायोटिक दवाओं के विकास का समर्थन करने के लिए 2020 में एक बहु–क्षेत्रीय $ 1 बिलियन एएमआर एक्शन फंड लॉन्च किया गया था, एवं यूके अपनी व्यावसायिक व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए नए एंटीमाइक्रोबियल के भुगतान के लिए सदस्यता–आधारित मॉडल का परीक्षण कर रहा है।
- एंटीबायोटिक दवाओं के उचित उपयोग पर केंद्रित अन्य पहलों में अनावश्यक एंटीबायोटिक नुस्खे को कम करने के लिए रोगी शिक्षा पर पेरू के प्रयास शामिल हैं।
- ऑस्ट्रेलिया के नियामक सुधार, जो डॉक्टर के व्यवहार को प्रभावित करते हैं, एवं पॉइंट–ऑफ–केयर डायग्नोस्टिक्स के उपयोग को बढ़ाने के लिए पहल करते हैं, जैसे कि ईयू–समर्थित वैल्यू–डीएक्स प्रोग्राम
- मानव उपयोग से परे, पशुधन में एंटीबायोटिक दवाओं के उपयोग को रोकने के लिए डेनमार्क के सुधारों से न केवल जानवरों में प्रतिरोधी रोगाणुओं के प्रसार में उल्लेखनीय कमी आई है, बल्कि खेती की दक्षता में भी सुधार हुआ है।
- अंत में, फार्मास्युटिकल कचरे के माध्यम से एएमआर फैलाने में विनिर्माण एवं पर्यावरण प्रदूषण की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए, सक्रिय एंटीबायोटिक दवाओं की मात्रा को रोकने के लिए, भारत द्वारा हाल ही में प्रस्तावित कानूनों पर गौर करने की आवश्यकता है, जो फार्मास्यूटिकल्स के सबसे बड़े निर्माताओं में से एक है।

OUR BRANCHES: New Delhi | Mumbai | Kolkata | Chennai | Ahmedabad | Bengaluru | Bhilai | Bhubaneswar | Chandigarh | Dehradun | Gandhinagar | Guwahati | Hyderabad| Kanpur | Lucknow | Mehsana | Nagaland | Patna | Raipur | Rajkot | Ranchi | Surat | Vadodara |

WhatsApp no: 7284911227 - 7284811227 chahalacademy@gmail.com

- जबकि एएमआर के उद्भव एवं प्रसार को नियंत्रित करने की कोशिश करने वाली पहलों का स्वागत है, एक मौन दृष्टिकोण की सीमाओं को पहचानने की आवश्यकता है।
- वर्तमान पहल बड़े पैमाने पर एएमआर से संबंधित व्यक्तिगत मुद्दों को लक्षित करती है (जैसे कि नई एंटीबायोटिक दवाओं की अनुपस्थिति, अनुचित नुस्खे एवं पर्यावरण प्रदूषण) एवं इसके परिणामस्वरूप, हितधारकों (प्रदाताओं, रोगियों एवं दवा कंपनियों) के संकीर्ण रूप से परिभाषित समूह।
- केवल रोगाणुरोधी दवाओं के चिकित्सक के नुस्खे को विनियमित करने से उन सेटिंग्स में बहुत कम काम आएगा जहां रोगी की मांग अधिक होती है एवं रोगाणुरोधी व्यवहार में काउंटर पर स्वतंत्र रूप से उपलब्ध होते हैं, जैसा कि कई एलएमआईसी में होता है।
- प्रदाता प्रोत्साहन के माध्यम से नुस्खे को नियंत्रित करने के प्रयासों के साथ होना चाहिए
  – अनुचित मांग को कम करने के लिए उपभोक्ताओं को शिक्षित करने के प्रयास
  – मानक उपचार दिशानिर्देश जारी करें जो प्रदाताओं को ऐसी मांगों के लिए खड़े होने के लिए सशक्त बनाएगा,
  – साथ ही नैदानिक निर्णय लेने में सहायता के लिए पॉइंट–ऑफ–केयर डायग्नोस्टिक्स प्रदान करना।
- स्वास्थ्य प्रणाली से परे नीतिगत संरेखण की भी बहुत आवश्यकता है।
- कृषि, पशु स्वास्थ्य एवं पर्यावरण में एएमआर की बेहतर निगरानी के साथ नैदानिक चिकित्सा में समाधानों को एकीकृत किया जाना चाहिए।
- नीति निर्माण एवं उसके कार्यान्वयन दोनों में अंतर्राष्ट्रीय संरेखण एवं समन्वय सर्वोपरि है।
- वास्तव में, हाल के पत्रों ने एएमआर से निपटने के लिए एक समान वैश्विक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए एक खाके के रूप में पेरिस समझौते का उपयोग करने का प्रस्ताव दिया है।

एक पोस्ट–कोविड वित्तीय ढांचा

सरकार को अपने प्राथमिक संतुलन में धीरे–धीरे सुधार करने की योजना बनानी चाहिए यह वृद्धि–ब्याज अंतर के प्रतिकूल होने के जोखिम से रक्षा करेगा

सामान्य अध्ययन 3 – सरकारी बजट (एफआरबीएम)।

संदभ – भारत की राजकोषीय स्थिति पहले से ही बढ़ रही है, कोविड संकट बढ़ गया है। इस संदर्भ में एफआरबीएम अधिनियम में सुधार के सुझाव दिए गए हैं।

क्या है एफआरबीएम एक्ट?

- राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम 2003 में राजकोषीय प्रबंधन में अंतर–पीढ़ी इक्विटी सुनिश्चित करने, व्यापक आर्थिक स्थिरता, राजकोषीय एवं मौद्रिक नीति के बीच बेहतर समन्वय एवं अपने वित्तीय संचालन में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य केंद्र सरकार को सुनिश्चित करने के लिए अधिनियमित किया गया था।
- मुख्य उद्देश्य देश के राजस्व घाटे को खत्म करना एवं राजकोषीय घाटे को प्रबंधनीय 3% तक लाना था।
- एफआरबीएम अधिनियम में समय–समय पर संशोधन किया गया है एवं सरकार ने एफआरबीएम अधिनियम की समीक्षा पर एनके सिंह को नियुक्त किया है, निम्नलिखित की सिफारिश की गई है केंद्र एवं राज्य के ऋण–से–जीडीपी अनुपात को 2023 तक 60% तक लाया जाना चाहिए (40% केंद्र एवं 20% राज्य।)
- केंद्र को अपना राजकोषीय घाटा 3.5% (2017) से 2.5% (2023) कम करना चाहिए।
- केंद्र को अपने राजस्व घाटे को प्रत्येक वर्ष सकल घरेलू उत्पाद के 0.25% तक कम करना चाहिए, 2023 तक 0.8% तक पहुंचाना चाहिए।
- किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा के प्रतिचक्रीय उतार–चढ़ाव को समायोजित करने के लिए एक एस्केप क्लॉज की सिफारिश की।

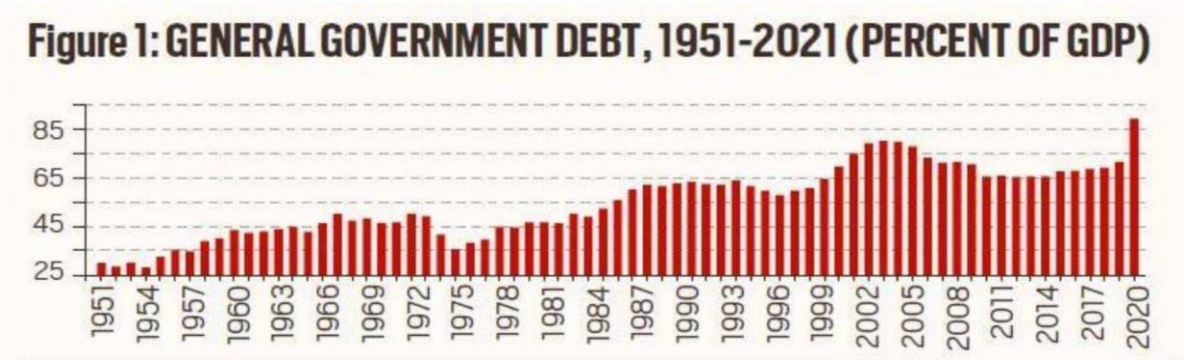

OUR BRANCHES: New Delhi | Mumbai | Kolkata | Chennai | Ahmedabad | Bengaluru | Bhilai | Bhubaneswar | Chandigarh | Dehradun | Gandhinagar | Guwahati | Hyderabad| Kanpur | Lucknow | Mehsana | Nagaland | Patna | Raipur | Rajkot | Ranchi | Surat | Vadodara |
WhatsApp no: 7284911227 - 7284811227 chahalacademy@gmail.com

वर्तमान एफआरबीएम के साथ मुद्द –

- यह समग्र घाटे, राजस्व घाटे एवं ऋण के लिए लक्ष्य निर्धारित करता है, लक्ष्यों का यह प्रसार संघर्ष पैदा करता है एवं इस तरह ऋण स्थिरता को बाधित करता है।
- विशिष्ट लक्ष्यों को निर्धारित करने में उचित आर्थिक आधार का अभाव होता है एवं इससे सरकारों को बजट से इतर व्यय एवं राजस्व का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।
- जब तक किसी विशिष्ट लक्ष्य को प्राप्त करने का दबाव बना रहता है, लेन–देन में पारदर्शिता संभव नहीं हो सकती।
- एफआरबीएम ने विकास के शुरुआती दौर में घाटे के लक्ष्य तक पहुंचने में मदद की लेकिन बाद में यह ढांचा घाटे के लक्ष्यों के उल्लंघन को रोकने में विफल रहा।

भारतीय राजकोषीय स्थिति की समस्याएं –

- भारत का सरकारी ऋण सकल घरेलू उत्पाद के 90% के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया।
- मौजूदा विरोधी नीतियों के साथ भी, भविष्य में ऋण सकल घरेलू उत्पाद के 80% से अधिक होने की संभावना है।
- भारत ऋण स्थिरता के प्रश्नों पर, यह दो कारकों पर निर्भर करता है।
  – प्राथमिक शेष (पीबी) जो राजस्व घटा गैर–ब्याज व्यय है।
  – आर–जी, जो उधार लेने की लागत एवं नाममात्र की वृद्धि दर के बीच का अंतर है।
- उपरोक्त कारकों के आधार पर भारत 1998 से 3 चरणों से गुजरा है।
  – चरण 1 (2000 के दशक की शुरुआत में) इस अवधि के दौरान, भारत प्रतिकूल ब्याज–विकास अंतर के कारण उच्च ऋण में चला गया। जहां ब्याज दरें वृद्धि से अधिक होती हैं, जिसके कारण अधिक मात्रा में ऋण होता है।
  – चरण 2 – (पिछला दशक)
- जब प्राथमिक शेष राशि ब्याज–वृद्धि अंतर (आर–जी) से अधिक होती है, तो ऋण तेजी से नहीं बढ़ता है। भले ही भारत प्राथमिक संतुलन में नकारात्मक चल रहा हो, यह अनुकूल तह (ब्याज दरें विकास से कम हैं) द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया था।
- चरण 3 (2019 से)
  – उपरोक्त संतुलन प्रतिकूल आरजी के कारण अब ऋण में अचानक वृद्धि के कारण टूट गया है। (जिससे ब्याज दरें वृद्धि से अधिक होती हैं)
- उपरोक्त अस्थिर ऋण को दूर करने के लिए, सरकार को प्राथमिक शेष अधिशेष बनाए रखने की आवश्यकता है।

एफआरबीएम का पुनर्निर्माण – एक विकल्प

- सरकार को ऋण स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए ठोस पहले सिद्धांतों के आधार पर एक स्पष्ट उद्देश्य परिभाषित करना चाहिए।
- सरकार एफआरबीएम के रीमेक में निम्नलिखित सिद्धांतों–रणनीति का उपयोग कर सकती है।
  – भारत को नीति को निर्देशित करने के लिए कई राजकोषीय मानदंड छोड़ देना चाहिए भविष्य की रूपरेखा विशिष्ट संख्याओं एवं लक्ष्यों पर तय नहीं की जानी चाहिए।
  – सरकार को राजकोषीय नीति को निर्देशित करने के उपाय के रूप में प्राथमिक संतुलन को लक्षित करने पर ध्यान देना चाहिए प्राइमरी बैलेंस सरप्लस रखने से भविष्य में प्रतिकूल होने वाले विकास–ब्याज अंतर के खिलाफ राजकोषीय स्थिरता की रक्षा करने में मदद मिलती है। अंत में, केंद्र को प्राथमिक संतुलन को धीरे–धीरे सुधारने पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यह प्रति वर्ष औसतन जीडीपी का: है, जो इसे व्यवहार्य एवं अनुकूलन एवं समायोजित करने में आसान बनाता है।

- <u>इस दृष्टिकोण के लाभ</u> –
  – यह सरल एवं अनुकूलन में आसान है।
  – यह क्रमिक एवं व्यवहार्य है, साथ में इसे विश्वसनीय बनाता है।
  – साख में सुधार से विकास–ब्याज अंतर में सुधार का एक अच्छा चक्र बनता है जो बदले में ऋण को कम करता है एवं अंत में ऋण स्थिरता संभावनाओं में सुधार करता है।

निष्कष –

हालांकि कोविड ने भारत की राजकोषीय स्थिति को बढ़ा दिया है। लेकिन अतीत की सीखों से हमें नई रणनीतियों को अनुकूलित एवं पुर्नविकसित करने की आवश्यकता है। नई रणनीति जो विशिष्ट ऋण अनुपात पर ध्यान केंद्रित करने के वर्तमान उद्देश्य से ऋण स्थिरता प्राप्त करने के लिए पर्याप्त प्रस्थान का प्रतिनिधित्व करती है, भारतीय अर्थव्यवस्था को भविष्य के झटकों से निपटने एवं एक लाभकारी चक्र बनाने में मदद करेगी।

OUR BRANCHES: New Delhi | Mumbai | Kolkata | Chennai | Ahmedabad | Bengaluru | Bhilai | Bhubaneswar | Chandigarh | Dehradun | Gandhinagar | Guwahati | Hyderabad| Kanpur | Lucknow | Mehsana | Nagaland | Patna | Raipur | Rajkot | Ranchi | Surat | Vadodara |

WhatsApp no: 7284911227 - 7284811227 chahalacademy@gmail.com

सेक्टर आधारित परिवर्तन के माध्यम से कम कार्बन वाला भविष्य

भारत में, एक सेक्टर–आधारित, कार्रवाई–आधारित दृष्टिकोण कम कार्बन परिवर्तन को चलाने के लिए ढांचा प्रदान कर सकता है
सामान्य अध्ययन 3 – जलवायु परिवर्तन

प्रसंग –

- इस सप्ताह (22–23 अप्रैल) संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा आयोजित 'लीडर क्लाइमेट समिट' के निर्माण में, इस बारे में लेखों की झड़ी लग गई है कि क्या भारत को 'शुद्ध–शून्य' उत्सर्जन लक्ष्य की घोषणा करनी चाहिए, एवं कब तक।
- इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज (आईपीसीसी) 1.5 डिग्री सेल्सियस रिपोर्ट ने वैश्विक कार्बन उत्सर्जन को 2050 तक शुद्ध–शून्य तक पहुंचने का आह्वान किया, सभी देशों से 2050 को शुद्ध–शून्य लक्ष्य वर्ष के रूप में घोषित करने का आह्वान किया।
- चूंकि विकसित देशों द्वारा कार्बन स्पेस के अनुपातहीन हिस्से का उपयोग किया गया है, इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि वे अपने कूटनीतिक प्रयासों की ताकत से मेल खाने के लिए घर पर साहसपूर्वक कार्य करें।
- फिर भी, एक जलवायु–संवेदनशील देश के रूप में, भारत को आदर्श रूप से 1.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे वैश्विक तापमान वृद्धि को सीमित करने में योगदान करने के लिए अपने प्रयास भी करना चाहिए।
- ऐसा करते समय, उसे वैश्विक जलवायु वार्ताओं के इतिहास एवं अपनी स्वयं की विकासात्मक आवश्यकताओं की दृष्टि नहीं खोनी चाहिए।
- हालांकि एक बड़ा देश एवं अर्थव्यवस्था, हम अभी भी एक बहुत गरीब देश हैं जहां एक महत्वपूर्ण विकास घाटा है – उदाहरण के लिए, हमारा प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन विश्व औसत से आधे से भी कम है।

भारत को क्या करना चाहिए –

- फिर भी, एक भारतीय 2050 शुद्ध–शून्य प्रतिबद्धता की घोषणा करते हुए, कई धनी देशों की तुलना में डी–कार्बोनाइजेशन का अधिक भारी बोझ उठाना, एवं भारत की विकास आवश्यकताओं से गंभीरता से समझौता कर सकता है।
- हम एक तीसरा रास्ता सुझाते हैं, जो हमारी पहुंच के भीतर प्रौद्योगिकियों को आक्रामक रूप से अपनाने के माध्यम से ठोस, निकट–अवधि के क्षेत्रीय परिवर्तनों पर केंद्रित है, एवं उच्च कार्बन लॉक–इन से बचने के लिए एक गंभीर प्रयास है।
  – यह उन प्रमुख क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धात्मकता, नौकरी–सृजन, वितरणात्मक न्याय एवं कम प्रदूषण को जोड़ती है, जहां भारत पहले से ही तेजी से बदल रहा है, क्षेत्रीय कम कार्बन विकास मार्गों पर ध्यान केंद्रित करके इसे सबसे अच्छा पूरा किया जाता है।
- यह दृष्टिकोण प्रत्यक्ष रूप से भारत के नेट–जीरो की ओर बढ़ने के अनुरूप है, जो हमारा दीर्घकालिक उद्देश्य होना चाहिए।

डी–कार्बोनाइज बिजली क्षेत्र –

- शुद्ध–शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने के लिए, पहेली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बिजली क्षेत्र को डीकार्बोनाइज करना है, जो भारत के ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन का एकमात्र सबसे बड़ा स्रोत (लगभग 40%) है।
- डी–कार्बोनाइज्ड बिजली भारत को शहरीकरण एवं औद्योगिक विकास में परिवर्तनकारी परिवर्तन करने की अनुमति देगी, उदाहरण के लिए परिवहन के लिए बिजली के उपयोग का विस्तार करके, एवं शहरी नियोजन में विद्युत प्रणालियों को एकीकृत करके।
- अब तक, बिजली क्षेत्र में हमारे प्रयासों ने नवीकरणीय बिजली क्षमता का विस्तार करने पर ध्यान केंद्रित किया है, 2022 तक सौर के 20 जीडब्ल्यु से 175 जीडब्ल्यु की अक्षय क्षमता तक छलांग एवं सीमा से बढ़ने के लक्ष्य के साथ, 2030 तक 450 जीडब्ल्यु अक्षय क्षमता तक बढ़ रहा है।
- यात्रा की दिशा के रूप में उपयोगी होते हुए, भारत को अब बिजली की व्यापक पुर्नकल्पना एवं हमारी अर्थव्यवस्था एवं समाज में इसकी भूमिका के लिए गियर्स को स्थानांतरित करने की आवश्यकता है।
  – ऐसा करने का एक तरीका नवीकरणीय ऊर्जा के विस्तार से आगे बढ़कर कोयला आधारित बिजली क्षमता के विस्तार को सीमित करना है।
  – यह आसान नहीं होगा – कोयला दृढ़, प्रेषणीय शक्ति प्रदान करता है एवं आज बिजली का लगभग 75% हिस्सा है, प्रमुख क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था का समर्थन करता है, एवं बैंकिंग एवं रेलवे जैसे क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है।

कोयला बिजली के लिए सीमा –

- पहला, साहसिक कदम यह प्रतिज्ञा करना होगा कि भारत अपनी कोयले से चलने वाली बिजली क्षमता को पहले से घोषित की गई क्षमता से आगे नहीं बढ़ाएगा, एवं कोयला आधारित उत्पादन को स्वच्छ एवं अधिक कुशल बनाने का प्रयास करते हुए 2030 तक उच्चतम कोयला बिजली क्षमता तक पहुंच जाएगा।

इसका एक मजबूत तर्क ह –

- कोयला तेजी से अलाभकारी होता जा रहा है एवं समय के साथ इसे चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने से जलवायु शमन के अलावा वायु प्रदूषण में कमी जैसे स्थानीय लाभ प्राप्त होंगे।
- इस तरह की प्रतिज्ञा अक्षय ऊर्जा एवं भंडारण के विकास की पूरी गुंजाइश देगी एवं निवेशकों को एक मजबूत संकेत देगी।

OUR BRANCHES: New Delhi | Mumbai | Kolkata | Chennai | Ahmedabad | Bengaluru | Bhilai | Bhubaneswar | Chandigarh | Dehradun | Gandhinagar | Guwahati | Hyderabad| Kanpur | Lucknow | Mehsana | Nagaland | Patna | Raipur | Rajkot | Ranchi | Surat | Vadodara |

WhatsApp no: 7284911227 - 7284811227 chahalacademy@gmail.com

- दूसरा, आवश्यक कदम एक बहु–हितधारक जस्ट–ट्रांजिशन कमीशन बनाना है जो भारत के कोयला बेल्ट में कोयले से परे आजीविका के अच्छे अवसर सुनिश्चित करने के लिए सरकार एवं प्रभावित समुदायों के सभी स्तरों का प्रतिनिधित्व करता है।
- यह आवश्यक है क्योंकि एक उज्जवल निम्न कार्बन भविष्य की संक्रमण लागत भारत के गरीबों की पीठ पर नहीं पड़नी चाहिए।
- तीसरा, कम कार्बन वाला बिजली भविष्य इस क्षेत्र की मौजूदा समस्याओं जैसे कि खराब वित्त एवं वितरण कंपनियों के प्रबंधन को संबोधित किए बिना महसूस नहीं किया जाएगा, जिसके लिए गहरे बदलाव एवं उलझे हुए हितों पर काबू पाने की आवश्यकता है।
- अंत में, भारत को भविष्य की प्रौद्योगिकियों जैसे बिजली भंडारण, स्मार्ट ग्रिड, एवं प्रौद्योगिकियों में अग्रणी बनने के लिए कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता होगी जो परिवहन जैसे अन्य क्षेत्रों के विद्युतीकरण को सक्षम बनाती हैं।
- उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन जैसे उपकरणों सहित निजी क्षेत्र के साथ सावधानीपूर्वक साझेदारी के माध्यम से, भारत को इन प्रमुख क्षेत्रों में रोजगार सृजन एवं वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता के लक्ष्य के लिए बिजली संक्रमण का उपयोग करना चाहिए।

ऊर्जा सेवाओं में सुधार

- बढ़ते शहरीकरण एवं बिजली सेवाओं का विकास सक्रिय उपायों के माध्यम से भवनों के भीतर ऊर्जा खपत को आकार देने का एक अच्छा अवसर प्रदान करता है।
  – बढ़ती आय एवं तापमान के साथ कूलिंग की जरूरतें तेजी से बढ़ने की उम्मीद है।
  – एयर कंडीशनर, पंखे एवं रेफ्रिजरेटर एक साथ घरों में लगभग 60% बिजली की खपत करते हैं।
  – आज, बाजार में बिकने वाला औसत पंखा एक कुशल पंखे की तुलना में दोगुने से अधिक खपत करता है एवं औसत रेफ्रिजरेटर लगभग 35% अधिक।
  – सबसे कुशल ब्रैकेट में, भारत 2030 तक एयर कंडीशनर की बिक्री का 80% एवं पंखे एवं रेफ्रिजरेटर की बिक्री का 50% आक्रामक लक्ष्य निर्धारित कर सकता है।
- ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के अलावा, इससे उपभोक्ता बिजली बिलों को कम करने का लाभ होगा।
- भारत इस परिवर्तन का लाभ स्वच्छ उपकरणों के उत्पादन में एक वैश्विक नेता बनने के अवसर के रूप में भी ले सकता है।

समयसीमा बनाना –

- आगे जाकर, भारत अपने भविष्य के वादों के हिस्से के रूप में शुद्ध–शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने के लिए प्रशंसनीय रास्ते एवं समयसीमा प्रस्तुत करने के लिए प्रतिबद्ध होने पर भी विचार कर सकता है।
- भारत इस अवधि का उपयोग वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला के हिस्से के रूप में अपनी प्रौद्योगिकी एवं विनिर्माण क्षमता को बढ़ाने के लिए एक रणनीतिक रोड मैप विकसित करने के लिए भी कर सकता है, ताकि रोजगार एवं निर्यात राजस्व का लाभ प्राप्त किया जा सके।
- इस तरह का एक एकीकृत दृष्टिकोण, जो महत्वाकांक्षी, विश्वसनीय एवं हमारी विकास संबंधी जरूरतों में निहित है – जिसमें जलवायु शमन की जरूरतें भी शामिल हैं – एक महत्वाकांक्षी, दूरंदेशी एवं परिणाम–उन्मुख भारत का प्रतिनिधित्व करेगा।

◄ ► ◄ ►◄ ►

CHAHAL ACADEMY
LEARN TODAY! LEAD TOMORROW!

OUR BRANCHES: New Delhi | Mumbai | Kolkata | Chennai | Ahmedabad | Bengaluru | Bhilai | Bhubaneswar | Chandigarh | Dehradun | Gandhinagar | Guwahati | Hyderabad| Kanpur | Lucknow | Mehsana | Nagaland | Patna | Raipur | Rajkot | Ranchi | Surat | Vadodara |

WhatsApp no: 7284911227 - 7284811227 chahalacademy@gmail.com

CHAHAL ACADEMY

Chahal Academy has pan India presence

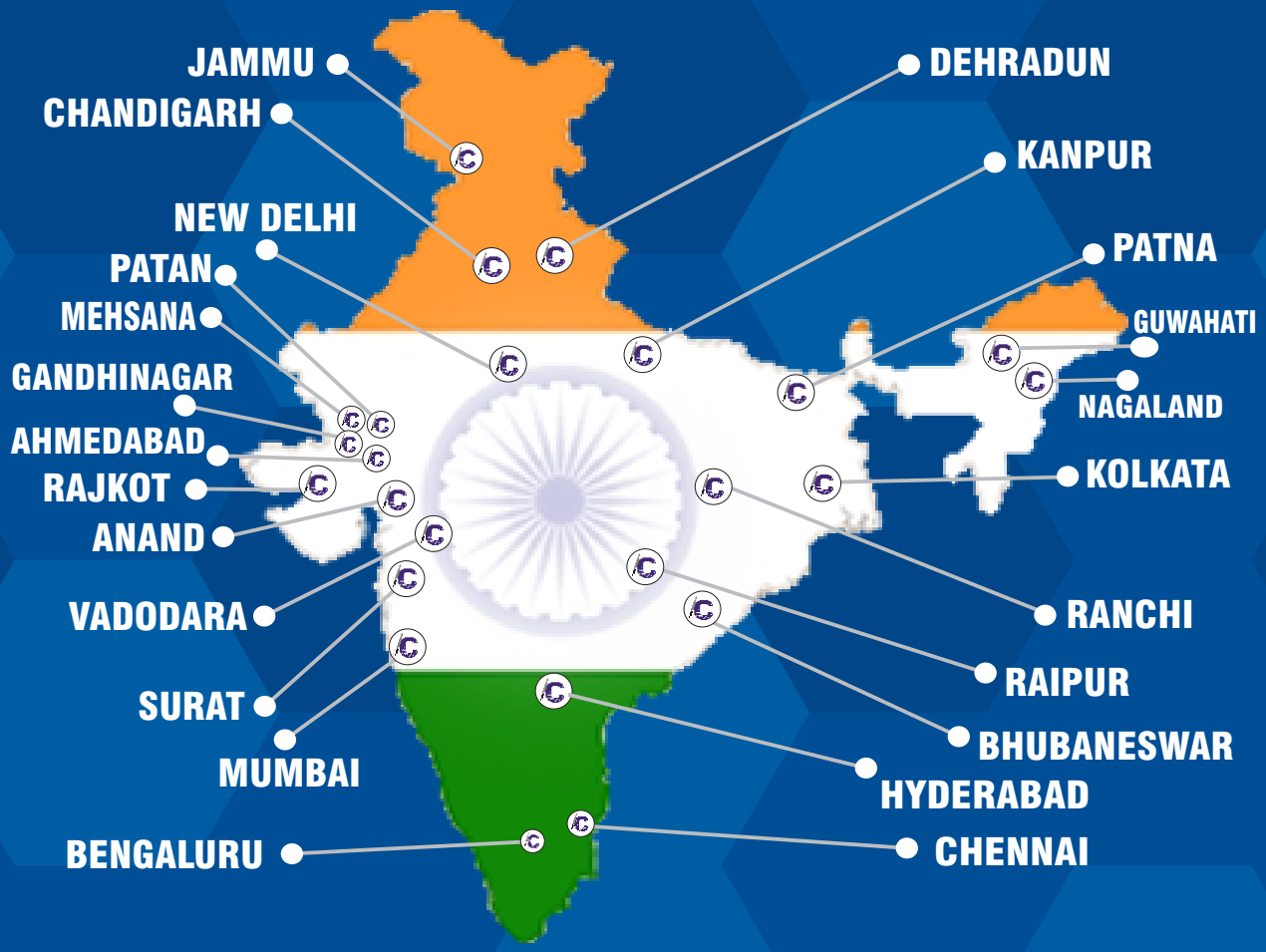

VISIT US AT

N Corporate Office
New Delhi: 982-155-3677
Metro Pillar 112, Office No. 22-B,Ground Floor, Near, Pusa Rd, Old Rajinder Nagar, Karol Bagh, New Delhi, Delhi 110060

M Mumbai: 990-911-1227
415, Pearl Plaza Building, 4th Floor, Exactly opp Station Next to Mc Donalds. Andheri West, Andheri West, Mumbai, Maharasthra 400058

K Kolkata: 728-501-1227
Office No.23, Second Floor, Siddharth City Center 122, Lebutala, Bowbazar, Kolkata, West Bengal 700013

A Ahmedabad:726-599-1227
Office No.104, First Floor Ratna Business Square, Opp. H.K.College, Ashram Road, Ahmedabad - 380009

A Anand: 720-382-1227
T-9 3rd Floor Diwaliba Chambers, Vallabh Vidyanagar, Near ICICI Bank, BhaiKaka Statue, Anand - 388120

B Bhubaneswar: 720-191-1227
B-43, First Floor, Opposite Rama Devi University Vani Vihar, Saheed Nagar, Bhubaneswar, Odisha 751007

B Bhilai: 720-381-1227
Shop No.30/A/1/B, 1st floor Commercial Complex, Nehru Nagar East, Bhilai, Chhattisgarh 490020

G Gandhinagar: 6356061801
A-508, 5th Floor, Vrundavan Trade Centre (VTC), Nr. Reliance Chokdi, Urjanagar 1, Kudasan, Gandhinagar - 382421

K Kanpur: 720-841-1227
2nd Floor, Clyde House, Opposite Heer Palace Cinema, The Mall Road, Kanpur Cantonment, Kanpur - 208004, Uttar Pradesh.

D Dehradun: 762-281-1227
Ojaswi Complex, 2nd Floor, Ballupur Chowk, Dehradun, Uttarakhand 248001

P Patna: 762-101-1227
3rd Floor, Pramila mansion Opposite Chandan Hero Showroom, Kankarbagh Patna - 800020, Bihar

V Vadodara: 720-390-1227
102-Aman Square, Beside Chamunda Restaurant, Behind Fatehgunj Petrol Pump, Vadodara, Gujarat-390002

R Raipur: 931-321-8538
D-117, First Floor, Near Shri Hanuman Mandir, Sector-1, Devendra Nagar, Raipur, Chattisgarh- 492009

H Hyderabad: 931-321-8048
Office No.418/A, Downtown mall, beside Lotus Hospitals For Women & Children, Lakdikapul, Hyderabad, Telangana 500004

S Surat: 720-391-1227
Office NO. 601, 6th Floor, 21st Century Business Centre, Beside World Trade Centre, Near Udhna Darwaja, Ring Road Surat - 395002

N Ranchi: 931-321-8471
Building, 3rd floor SMU, Purulia Rd, above Indian Overseas Bank, Ranchi, Jharkhand 834001

Write us at: chahalacademy@gmail.com | www.chahalacademy.com

Follow us at: YouTube Linked in